तृतीय माला, खण्ड १२—अंक २९

बुधवार, २३ जनवरी, १९६३

३ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र--द्वितीय भाग)

3rd Lok Sabha

(खण्ड १२ में अंक २७ से अंक ३१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या ४३० से ४३२, ४३५ से ४४१ और ४४३ . २५१—७१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८ . . २७२–७३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३३, ४३४, ४४४ से ४४६, ४४६-क और ४४७ से ४५४ . . २७३—८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ९९४ से १०५० . . . २८०—३०६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ३०६–३०७

'टस्कर' परियोजना में कथित अनियमितताएं

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ३०७—०९

प्राक्कलन समिति ३१०

छटा और सातवां प्रतिवेदन

राज्य सभा से सन्देश ३१०

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक सभा पटल पर रखे गये . . ३१०

(१) विशेष विवाह (संशोधन विधेयक, १९६३) . . ३१०

(२) श्री परिसीमन विधेयक, १९६३ . . . ३१०

(३) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन)विधेयक, १९६३ . . ३१०

कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव ३११—५२

श्री जवाहरलाल नेहरू . ३११—२२

श्री अ० कु० गोपालन ३२२—२५

श्री रंगा . ३२५—२७

श्री उ० ना० ढेबर . ३२७–२८

श्रीमती रेणुका राय ३२८—३०

श्री उ० मू० त्रिवेदी ३३०–३१

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी . . ३३२—३४

श्री अ ०प्र० जैन . . ३३४–३५

श्री दासप्पा ३३५

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[कृपया शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा

बुधवार, २३ जनवरी, १९६३/३ माघ, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु

+

†*४३०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री मन्त्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा निवृत्ति की आयु ५५ से बढ़ा कर ५८ करने का क्या व्यावहारिक प्रभाव होगा ;

(ख) इस का नौकरियों पर और वित्तीय दृष्टि से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा देने से सामान्य सेवाओं तथा प्रशासनिक वर्गों में दक्ष मानवों की बहुत कमी अंशतः पूरी हो सकेगी।

(ख) इस का नौकरियों में भरती पर बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। पूरा प्रभाव जानने में पर्याप्त समय लगेगा। इस का अनुमान लगाया गया है कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से सेवानिवृत्ति लाभों का व्यय अधिक नहीं बढ़ेगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सेवाओं तथा वित्त पर इस का प्रभाव जाने बिना ही इक तरफा निर्णय किये जाने से राज्यों तथा केन्द्र के बीच कुछ कठिनाइयां तथा विवाद उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो राज्यों ने क्या कठिनाइयां बताई हैं और उन का उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सामान्यतः राज्य सरकारों का परामर्श लिया गया था और यह मामला पर्याप्त समय से सामने था। यह सच है कि दो अथवा तीन राज्य सरकारों ने अपना मत अभी तक नहीं स्पष्ट किया था। परन्तु मैं समझता हूं कि हमें सभी राज्यों का सामान्य समर्थन मिल गया था। राज्यों के कर्मचारियों के संबंध में राज्य सरकारें जैसा उचित समझें वैसा कर सकती हैं।

†मूल अंग्रेजी में

2575 (Ai) LSD-1

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह सच है और माननीय गृह-कार्य मंत्री पहले भी बता चुके हैं कि राज्य सरकारों को छूट है कि वह राज्य के कर्मचारियों के लिए जो नीति चाहें अपनायें । परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों ने माननीय गृह-कार्य मंत्री को स्पष्टतः बता दिया था कि केन्द्र में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा देने से राज्य सरकारों के लिए यह असंभव हो जायेगा कि वह इसी प्रकार की कार्यवाही न करें और यदि वह यह कार्यवाही करते हैं तो उन की सेवाओं तथा वित्त पर इस का क्या प्रभाव होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : अभी ब्योरों पर चर्चा नहीं हुई है । परन्तु आठ राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन किया है । दो ने यह बताया है कि वह अभी इस पर विचार कर रही हैं तथा तीन का अभी उत्तर नहीं मिला है । इस से माननीय सदस्य को मालूम हो जायेगा कि अधिकांश राज्यों ने इस का पूरी तरह से समर्थन किया है । जब राज्य सरकारें इस को स्वीकार कर लेंगी तब इस का वित्तीय प्रभाव क्या होगा इस मामले पर भविष्य में विचार किया जायेगा ।

श्री मन्त्री: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकारी अधिकारियों की ओर से इस सम्बन्ध में कोई प्रोटेस्ट-नोट आया है और यदि आया है, तो उस के कन्टेन्ट्स क्या हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ने एक कागज़ तो देखा है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, कोई रिप्रेजेन्टेटिव तरीके पर, प्रतिनिधित्व के ढंग से, कोई ऐसा पत्र नहीं आया है ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि अधिकांश राज्यों ने अवकाश-ग्रहण की आयु को बढ़ाने का समर्थन किया है । क्या इस का यह अर्थ है कि वे अपने राज्यों की सेवाओं पर इस को लागू करना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सब राज्यों में इस सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाने का अनुरोध किया गया है या सुझाव दिया गया है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : साधारणतः हमारी राय तो यही है कि रिटायरमेंट की एज बढ़ानी चाहिए, लेकिन जैसाकि मैं ने कहा है, हम लोग इस बारे में कोई ज़बर्दस्ती नहीं कर रहे हैं । हम लोगों ने यह नहीं कहा है कि वे ऐसा करें ही । हम ने इस विषय में अपनी राय दी है । माननीय सदस्य को यह जान कर शायद खुशी होगी कि उन का प्रदेश इस सिलसिले में कुछ आगे जाना चाहता है ।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : माननीय मंत्री ने बताया कि कई राज्यों ने अभी तक अपनी राय नहीं बताई है तथा कुछ ने अभी अपना मत नहीं बनाया है । क्या सरकार को यह बताया गया है कि कुछ राज्य सरकारों के प्रवक्ताओं ने इस का विरोध समाचारपत्रों में किया है तथा क्या कुछ ने इस का एकदम विरोध किया है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी हां । एक राज्य सरकार ने इस का पूर्णतः विरोध किया है । उनका विचार है कि सेवा विस्तार होने पर उन व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए जो स्वस्थ तथा दक्ष हैं । परन्तु हाल में ही मैं ने मुख्य मंत्रियों से बातचीत की थी उस में से सभी ने कहा है कि वह मामले पर पुनः विचार करेंगे ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्योंकि यह सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का तथा ५५ वर्ष की आयु तक सेवा की सामान्य दशा रहने का प्रश्न है इसलिए क्या सरकार तीनों दशाओं अर्थात् सत्यनिष्ठा, दक्षता तथा उपयुक्तता के संबंध में इकतरफा प्रतिबन्ध लगा सकती है तथा कर्मचारियों के संरक्षण के लिए प्रक्रिया हैं ? सेवानिवृत्ति में यह एकदम वृद्धि की गई है अथवा किसी किसी को छूट दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लालबहादुर शास्त्री : ऐसा एकदम नहीं होगा और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न उठाया है । नियमों के अधीन कर्मचारी के ५५ वर्ष की आयु हो जाने पर यह व्यवस्था होगी कि प्रत्येक मामले पर गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा अर्थात् उस की सत्यनिष्ठा, स्वास्थ्य तथा दक्षता देखी जायेगी । यदि उस को ठीक नहीं पाया जायेगा तो उस की सेवानिवृत्ति की आयु नहीं बढ़ाई जायेगी ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वेतन आयोग की यह सिफारिश स्वीकार कर ली है ? यदि हां, तो १ दिसम्बर १९६२ की तिथि किस प्रकार तथा क्यों चुनी गई थी तथा इस को १९५९ से, जबकि उन को सिद्धान्ततः स्वीकार किया गया था, क्यों लागू नहीं किया गया था ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सिद्धान्त तो हाल में ही स्वीकार किया गया था । तिथि का तो ऐसा है कि कोई भी तिथि निश्चित की जाती तो वह सभी को तो स्वीकार नहीं होती । परन्तु मामला मंत्रिमंडल के सामने रखा गया था । पूर्ण सरकार ने इस तिथि का निर्णय किया था ।

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : क्या एक अथवा दो राज्यों ने केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में सेवानिवृत्ति पर ५५ वर्ष के बाद प्रति वर्ष विचार हो । वह विचार करेंगे कि क्या इस को केवल एक वर्ष बढ़ाया जाये और इस प्रकार वह इस को ५८ वर्ष तक बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर सकेंगे ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी नहीं । कर्मचारियों को संदेहास्पद अवस्था में रखना ठीक नहीं होगा । प्रति वर्ष वृद्धि का उन की नैतिकता पर प्रभाव पड़ेगा ।

मद्य निषेध

†*४३१. {
+श्री महेश्वर नायक :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन् :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री दे० जी० नायक :
श्री मन्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ राज्य सरकारों ने संघ सरकार से अपने राज्यों में मद्य निषेध का विस्तार करने का व्यय उठाने तथा उसके कारण होने वाली राजस्व की हानि को पूरा करने की प्रार्थना की है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार का क्या रवैया है ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) जी हां ।

(ख) १८ और १९ जनवरी १९६३ को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक में समस्त प्रश्न पर विचार किया गया था। निर्णय बताने वाली प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

विवरण

मद्य निषेध नीति

राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक अनौपचारिक रूप से १८ जनवरी १९६३ तथा १९ जनवरी १९६३को हुई थी जिसमें विभिन्न राज्यों में मद्य निषेध के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया था। यह स्वीकार किया गया था कि मद्य निषेधकी प्रभावोत्पादक रूप से क्रियान्वितिके तथा इसकी बुराइयों के विभिन्न सुझावों की और खोज की जाये। इस आधार पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान पद्धति में तथा राज्यों की मद्यनिषेध नीति में कोई परिवर्तन अथवा छट नहीं दी जानी चाहिये ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या सरकार को राजस्व की हानि तथा विभिन्न राज्यों में मद्यनिषेध के विस्तार पर व्यय के संबंध में कुछ आभास है ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)**: मैं ठीक आंकड़े नहीं बता सकता हूं परन्तु हानि के बारे में समाचारपत्रों में जो समाचार प्रकाशित हुए हैं वह बहुत अधिक हैं । कुछ समाचारपत्रों ने बताया है कि हानि २०० करोड़रुपये से ३०० करोड़ रुपये तक होगी। यह आंकड़े बहुत अधिक मालूम होते हैं। मुझे बताया है कि योजना आयोग इन पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया है कि उत्पादन कर में हानि ३५ करोड़ रुपये से ४५ करोड़ रुपये तक की होगी ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री के साथ हाल में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया था कि मद्य निषध नीति को एकदम समाप्त कर दिया जाये अथवा उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जी नहीं। सच यह है कि यह स्वीकार किया गया कि मद्यनिषेध नीति को छोड़ा नहीं जा सकता । परन्तु इस बात पर अधिक बल दिया गया कि योजना को इस प्रकार क्रियान्वित किया जाये कि जिससे जनता में भ्रष्टाचार अथवा उत्पीड़न न हो । हम इसी लिये विचार कर रहे हैं कि इसको किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या यह सच नहीं है कि जिन राज्यों में अंशतः मद्यनिषेध है उन्होंने सुझाव दिया है कि मद्यनिषेध को हटा दिया जाये ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : विभिन्न राज्यों में इस संबंध में मतभेद है । मेरे माननीय मित्र के पास का एक राज्य है मद्रास जिसने मद्यनिषेध बनाये रखने को कहा है और अन्यथा उनके इलाकों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है इस बैठक में यह निर्णय किया गया था कि वर्तमान स्थिति को कुछ दिनों तक जारी रक्खा जाये। तो क्या कारण है कि कुछ राज्य सरकारों ने बगैर केन्द्रीय सरकार से परामर्श किये या स्वीकृति लिये अपने आप नये कार्यक्रम शुरू कर दिये। जैसे उत्तर प्रदेश में ११ जिलों में मद्य निषेध को समाप्त कर दिया गया। इस के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या राय है ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : कई चीजों में माननीय सदस्य का प्रदेश आगे रहता है, मेरे खयाल में इस में भी उन्होंने नेतृत्व किया है।

†श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या यह सच नहीं है कि सामान्यतः यह स्वीकार किया गया था आपातकाल में मद्यनिषेध नीति तथा कार्यक्रम को न बढ़ाया जाये ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां। ऐसा ही है।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने कभी यह ख्याल किया है कि चरित्र का मूल्य इस टैक्स से और इस आमदनी से ज्यादा है, और जहां के हमारे गृह-मंत्री जी निवासी हैं, जहां से वे चुने कर आये हैं अर्थात् इलाहाबाद, और हरिद्वार को दुबारा भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है ? क्या इस के बारे में सरकार कुछ कहेगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप जाती हमला तो न करें।

श्री यशपाल सिंह : मेरा और मंत्री जी का प्रदेश तो एक ही है।

†श्री पें० वेंकटासुब्बया: क्या यह सच नहीं है कि कुछ राज्यों में मद्यनिशेध के कार्य में असफलता जनता के कारण नहीं आई है अपितु राज्य सरकारों की प्रशासनिक कमियों तथा नीतियों के कारण आई है? यदि हां, तो हाल में हुए सम्मेलन में इस नीति के ठीक तथा उचित क्रियान्वयन पर कोई चर्चा हुई है ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : जो हां। जैसा मैंने पहले बताया हम अधिकांश समय कार्यक्रम के अच्छी तरह से क्रियान्वयन पर विचार करते रहें। मैं मानता हूं कि कुछ प्रशासनिक कमियां है। हमें समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना होता है।

मिट्टी के तेल की उचित मूल्य वाली दुकानें

+

†*४३२. { श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उपभोक्ताओं के लिये मिट्टी के तेल की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिये देश के बड़े-बड़े नगरों में उचित मूल्य वाली जिन दूकानों को खोलने का विचार था क्या वे खोल दी गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे अपने उद्देश्य में कहां तक सफल रही हैं ?

†खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस): (क) मिट्टी के तेल की बिक्री के लिये महाराष्ट्र राज्य तथा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ क्षेत्रीय प्रशासनों में उचित मूल्य की

---

†मूल अंग्रेजी में

दूकानें खोली गई हैं। शेष राज्यों तथा संघ क्षेत्रों ने बताया है कि मिट्टी के तेल के वितरण के लिए उचित मूल्य की दूकानें नहीं खोली गई है क्योंकि वहां पर सामान्य संभरण हो रहा है।

(ख) जहां कहीं यह दूकानें खोली गई है वहां पर नियमित संभरण हो रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : जबकि समाचारपत्रों के समाचारों तथा निकट से पर्यवेक्षणों के अनुसार सामान्य संभरण नियमित नहीं है इसलिये भारत के अन्य राज्यों में इस प्रकार की दूकानों को खोलने के लिए केन्द्रीय सरकार को किसने रोका ?

†**श्री हजरनवीस** : यह केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि राज्यों में वस्तुओं के वितरण का विनियमन करें। जहां कहीं कमी है राज्य सरकारों ने कार्यवाही की है।

†**श्री दी०चं० शर्मा**: लोक-सभा के गत सत्र में यह बताया गया था कि मिट्टी के तेल में कुछ चोर बाजारी हुई थी। जिन व्यक्तियों ने चोर बाजारी की थी क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ?

†**श्री हजरनवीस** : यह इस प्रश्न के अर्न्तगत नहीं आता है। परन्तु मैं समझता हूं कि मिट्टी के तेल के ठीक तरह से वितरण न करने के बारे में कुछ व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे।

श्री सरजू पाण्डेय : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मिट्टी के तेल की बहुत किल्लत है, ऐसी कोई शिकायत केन्द्रीय सरकार को मिली है या नहीं, और अगर मिली है तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हजरनवीस : जी नहीं, कोई शिकायत नहीं मिली है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्योंकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के नियंत्रण का प्रश्न राष्ट्रीय नीति का मामला है क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार ने यह समझा कि मिट्टी के तेल का वितरण उचित मूल्य की दूकानों से शुरू कर दिया जाये और अनुचित लाभ उठाने वालों को पहले पकड़ लिये जाने की प्रतीक्षा न की जाये ?

†**श्री हजरनवीस** : स्थिति पर ध्यान रखा जा रहा है और सरकार को यह मालूम नहीं है कि मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। ज्यूंही ऐसी आशंका होगी कार्यवाही बिना विलम्ब के की जायेगी।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सभी राज्यों को मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में दे दिया गया है तथा विशेषत: उन राज्यों को जहां पर अब तक उचित मूल्य की दूकानें नहीं खोली गई हैं ?

†**श्री हजरनवीस**: मैंने बताया कि वस्तु के विनियमन की जिम्मेदारी राज्यों पर है तथा भारत प्रतिरक्षा अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार भी दिये गए हैं। यदि वह हम से और अधिक अधिकार मांगेंगे तो हम उस पर विचार करेंगे।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : माननीय मंत्री ने बताया कि संघ क्षेत्रों में उचित मूल्य की दूकानें खोली गई थीं। क्या उनको जानकारी है कि नई दिल्ली के उपनगरों में अब भी मिट्टी का तेल बड़े ऊंचे मूल्यों पर बिक रहा है ?

†**श्री हजरनवीस**: मुझे इसका पता नहीं है। हाल में ही मुझे कुछ व्यक्ति मिले थे जिन्होंने बताया था कि मिट्टी के तेल का पर्याप्त संभरण है और मूल्य कम हो रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आपात-काल के कारण शिक्षा प्रणाली की पुनर्व्यवस्था

+

†*४३५. { **श्री प० कुन्हन् :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री सं० ब० पाटिल :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संकट का मुकाबला करने के लिये शिक्षा प्रणाली की पुनर्व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७०८।६३]

श्री बड़े : जो टेबल पर स्टेटमेंट रक्खा गया है, उस में लिखा है :

" सभी क्रमों पर विज्ञान की शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है " ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सभी स्टेटों में इस प्रकार का आयोजन किया गया है ? अगर करिकुलम में कोई फ़र्क़ किया गया है तो उसके वास्ते शासन ने कितना ज्यादा पैसा दिया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : माननीय सदस्य को यह ज्ञात है कि जहां तक शिक्षा का काम है, उस का सारा प्रबन्ध राज्य सरकारों को करना पड़ता है । लेकिन उन को साधारणतया यह इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं कि इमर्जेन्सी में जो आवश्यक काम हैं उन के लिये वे ज्यादा वक्त दें । इसी दृष्टि से जो वैज्ञानिक पढ़ाई का काम है उस को पुनर्गठित किया जा रहा है ।

श्री बड़े : मेरा सवाल यह है कि कोई फ़र्क़ किया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप को फिर एक मौका दे दूंगा ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : विवरण से मालूम होता है कि क्या जन शक्तिकी वर्तमान आवश्यकता को पूरा करते रहने के लिए शारीरिक प्रशिक्षण तथा एन०सी०सी० प्रशिक्षण स्कूलों तथा कालिजों में लागू किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं नहीं चाहता कि अनुपूरक प्रश्न पढ़े जायें ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : मैं केवल विवरण देख रहा था । विवरण के पैराग्राफ २ में बताया गया है कि कालिजों तथा स्कूलों में शारीरिक प्रशिक्षण तथा एन सी सी प्रशिक्षण की योजनायें बनाई जा रही हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और क्या सरकार कालिजों में अनिवार्य सैनिक शिक्षा लागू करने पर विचार कर रही है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : स्कूलों में पर्याप्त बच्चों का प्रशिक्षण हो रहा है । हम ने सभी राज्य सरकारों को लिखा है कि जिन राज्यों में शारीरिक शिक्षा नहीं है वहां पर छठी क्लास से

---

†मूल अंग्रेजी में

ग्यारहवीं क्लास तक राष्ट्रीय अनुशासन योजना अनिवार्य रुप से लागू करें। एन सी सी के बारे में सभा जानती है कि इसको सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया जा रहा है तथा विश्वविद्यालयों ने इसको लागू कर दिया है और प्रतिदिन चार घंट (पीरियड) रखना स्वीकार कर लिया है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार . . .

श्री बड़े : क्या मैं जान सकता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : जब आप चाहेंगे उस वक्त जान सकेंगे या जब मैं चाहूंगा तब आप जान सकेंगे।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार के अधीन जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं उनमें आपत्काल को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्रम में क्या विशेष व्यवस्थाएं की गयी हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : एक विस्तृत स्टेटमेंट सदन की मेज़ पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य उसको देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि क्या क्या काम किया गया है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** हम ने विवरण सुना नहीं।

†**डा० का०ला० श्रीमाली :** यह एक लम्बा विवरण है। यदि आप अनुमति दें तो मैं उसको पढ़ दूं। परन्तु इसमें पांच छः मिनट लग जायेंगे।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच नहीं है कि राष्ट्रीय एकता परिषद् की शिक्षा समिति तथा हाल में ही लखनऊ में हुए अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के ३७वें सम्मेलन ने सुझाव दिया कि आपातकाल को राष्ट्रीय महत्व बना लिया जाये ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इन दोनों संस्थाओं के सुझावों पर विचार कर लिया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** हमारी शिक्षा में अभी भी राष्ट्रीयता है तथा वर्तमान आपातकाल से निबटने के लिए शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक क़दम उठाये गये हैं।

श्री बड़े : अध्यक्ष महोदय . . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर बड़े साहब इस तरह घबड़ाते रहेंगे तो उनकी बारी नहीं आयेगी।

श्री बड़े : मैं दो बार खड़ा हो चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप चाहे चार बार खड़े हों लेकिन मैं चाहूंगा तभी बुलाऊंगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** विवरण में बताया गया है कि शिक्षा संस्थाओं के शोधनशालाओं तथा वर्कशापों का व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पूरा पूरा उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि वैज्ञानिकों की बहुत कमी है इसलिए क्या हम ने निर्णय किया है कि हायर सैकन्डरी पाठ्यक्रमों में सामान्यतः जो कुछ किया जा रहा है आपातकाल में उनकी संख्या बढ़ा दी जाये ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** प्रत्येक राज्य के बारे में ब्योरा बताना बड़ा कठिन होगा। यह तो राज्य सरकारों को भजा जाने वाला सामान्य निदेश है। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष राज्य अथवा संस्था के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं वह बता सकता हूं परन्तु समस्त भारत

---

†मूल अंग्रजी में

के कारखानों, शोधनशालाओं आदि के बारे में बताना बड़ा कठिन है। मैं उसी के समान सामान्य विवरण दे सकता हूं जैसा मैंने दिया है।

श्री बड़े : मैं पूछना चाहता हूं कि डिफेंस की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने कितना परसेंटेज इनक्रीज करने का निश्चय किया है, और राज्यों को क्या डाइरेक्टिव भेजा है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: जहां तक फिजिकल एजूकेशन के प्रोग्राम और नेशनल डिसिप्लिन स्कीम का सम्बन्ध है, केन्द्र ने इन के पूरे खर्च की जिम्मेदारी ली है। इस पर लगभग पांच करोड़ रुपया खर्च होगा, मुझ ठीक याद नहीं है। इसके अलावा जो भी दूसरी योजना है उसमें योजना के मुताबिक राज्य सरकारों को सहायता दी जायेगी।

माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना

\+

†*४३६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सभी माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**शिक्षा मन्त्री के सभा-सचिव (श्री मं० रं० कृष्ण) :** (क) जी हां।

(ख) शारीरिक शिक्षा और राष्ट्रीय अनुशासन की एक आपातकालीन योजना बनाई गई है जिसके अनुसार शारीरिक शिक्षा तथा एन० सी० सी० के वर्तमान कार्यक्रमों से राष्ट्रीय अनुशासन योजना का समन्वय किया जायेगा। लगभग ६,४५० नये राष्ट्रीय अनुशासन संहिता के निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है तथा इस योजना के अधीन राष्ट्रीय अनुशासन संहिता द्वारा प्रशिक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त एकीकृत आपातकालीन कार्यक्रम की आवश्यकता के लिए शारीरिक शिक्षा अध्यापक तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना निदेशक को पुनः प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। जब इन सभी कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा हो जायेगा तब कार्यक्रम में लगभग १.०२ करोड़ छठी से ग्यारहवीं कक्षा के विद्यार्थी आ जाने की आशा है।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : यह योजना लागू की जाने वाली है उस पर कितना लागत खर्च पड़ेगा ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** लगभग ६ करोड़ रुपये खर्च करने का विचार है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** यह बताया गया कि शारीरिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय अनुशासन के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण हो। क्या मैं जान सकता हूं कि प्रशिक्षण अवधि क्या होगी तथा भारत सरकार का इस पर क्या व्यय होगा तथा क्या सभी राज्यों तथा संघ क्षेत्रों पर धन व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** देश के विभिन्न स्कूलों में १५,००० शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुशासन योजना में ३,२०० निदेशक हैं। इन सभी व्यक्तियों को ६ से १२ सप्ताह का प्रतिस्मरणात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा। मैंने बताया कि हम इस योजना पर लगभग ६ करोड़ रुपये व्यय करेंगे।

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती : आपातकाल को देखते हुए क्या सरकार जो कार्य अलवर में जनरल भोंसले के निरीक्षण में चल रहा है, उसको और स्थानों पर भी लागू करने का विचार कर रही है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** जी हां। इस योजना के अधीन समस्त देश में हम बहुत से केन्द्र चालू कर रहे हैं।

†**श्री हेडा :** क्योंकि योजना पर प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी लगभग १५ नये पैसे व्यय होते हैं इसलिए क्या सरकार सभी राज्यों में इसको अनिवार्य बनाने का विचार कर रही है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** जिस प्रकार हम कालिजों में एन० सी० सी० को अनिवार्य बनाने के लिए सोच रहे हैं उसी प्रकार हाई स्कूलों में इस योजना को भी अनिवार्य बनाया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह सही है कि अलवर में चलने वाले नेशनल डिसिप्लिन स्कीम के मातहत राइफिल ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि इस एजूकेशन का ज्यादातर समय कल्चुरल प्रोग्राम में चला जाता है ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** इस योजना के अधीन हम शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दे रहे हैं।

श्री यशपाल सिंह : बिना राइफलों के ?

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री कछवाय :** क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना सभी राज्यों में कब तक पूरी तौर से लागू हो जायेगी ?

†**श्री मं० रं० कृष्ण :** जून १९६३ के अन्त तक हमें आशा है कि इन सभी व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर दिया जायेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि इस राष्ट्रीय अनुशासन योजना की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी ? क्या उसके लिए अलवर के अतिरिक्त भारतवर्ष में और भी कोई शिक्षण केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जैसा कि अभी मेरे साथी ने बताया, कई केन्द्र खुल रहे हैं अलवर के अलावा और दो तीन वर्षों में जितने भी इंस्ट्रक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग हो जायेगी और अनिवार्य रूप से इस योजना को स्कूलों में लागू किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग

+

†*४३७. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की दो दिन की बैठक में, जो कि देहरादून में ५ और ६ दिसम्बर, १९६२ को हुई थी, तेल की गहन खोज के लिये कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कौन कौन से क्षेत्रों में तेल की खोज की जायेगी; और

(ग) सरकार ने वर्तमान उपलब्ध स्रोतों से उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) देश में तेल की खोज के लिए कार्यक्रम को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। ४ तथा ५ दिसम्बर, १९६२ को अपनी बैठक में आयोग ने निर्णय किया है कुछ क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य बढ़ा दिये जायें।

(ख) पुट्टकोट्टई क्षेत्र, मद्रास राज्य में ड्रिलिंग कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा तथा बिहार के पूर्निया तथा रक्सौल क्षेत्रों में गहरी ड्रिलिंग आरम्भ कर दी जायेगी। गुजरात के अहमदाबाद में भी ड्रिलिंग कार्यों को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किये जायेंगे।

(ग) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की उपरोक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि गुजरात में अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल के और क्षेत्र बनाये जायें जिससे इन क्षेत्रों से मार्च, १९६३ तक उत्पादन १,५०० टन प्रति दिन से २,००० टन प्रति दिन बढ़ा दिया जाये। यह भी निर्णय किया गया था कि गुजरात (अहमदाबाद के निकट) कलोल क्षेत्र में चट्टानों की परतों का परीक्षण करें जिससे जुलाई, १९६३ तक परीक्षण उत्पादन हो सके।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या नये तेल क्षेत्रों में उत्पादन आरम्भ होने तक हमारी रिफाइनरी बन जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नये तेल का उत्पादन हो रहा है और बम्बई रिफाइनरी—एस्सो तथा बर्मा शैल को दिया जा रहा है। अन्य उत्पादन क्षेत्रों के बारे में उत्पादन कार्यक्रम ऐसा बनाया जा रहा है जो रिफाइनरी बनने के अनुरूप हो।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि गौहाटी रिफाइनरी का काम १९६२ में इस के समय समय पर बन्द हो जाने के कारण संतोषजनक नहीं था और यदि हां, तो क्या ऐसा मशीनों की खराबी के कारण हुआ था अथवा अन्य कारणों से ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : कुछ समय से रिफाइनरी का काम धीमा कर दिया गया था अथवा इस को बन्द कर दिया गया था परन्तु मशीनों में खराबी के कारण नहीं अपितु रिफाइनरी के पहले वर्ष में कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण उत्पादन धीमा हो गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या यह सच है कि हाल में ही आसाम से खोज करने तथा कच्चे तेल के उत्पादन के संयंत्र तथा यंत्र बाहर ले जाये गये थे और यदि हां तो क्या उन को वापस भेज दिया गया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : श्रीमान् इस सम्बन्ध में एक और अन्य प्रश्न आ रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह तेल की खोज का विस्तार अपने साधनों से किया जा रहा है अथवा क्या दुनिया के अन्य देशों से धन तथा जानकारी ली जा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं ने सभा में कई बार बताया है कि हमारे कर्मचारी तेल की खोज का कार्यक्रम अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं तथा सब जानकारी उन के पास है। हमको कभी कभी ड्रिलिंग यंत्र लेने पड़ते हैं और उस के लिए ऋण का प्रबन्ध किया गया है । कार्यक्रम के विस्तार को संगठित किया जा रहा है क्योंकि ठेका ड्रिलिंग के लिए हमें ऋण मिल रहा है ।

†**श्री अ० क० गोपालन** : क्या केरल सरकार ने कुछ क्षेत्रों का सुझाव दिया है जहां पर खोज की जा सकती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । कभी कभी ऐसे व्यक्तियों से जो तेल की खोज में रुचि रखते हैं सुझाव आते रहते हैं । वैसे ही केरल से भी आए थे । हम जानते हैं कि वहां पर ऐसे क्षेत्र हैं जहां तेल की खोज की जा सकती है । हम पूरी स्थिति पर विचार कर रहे हैं और समय पर देश के उस भाग में भी तेल की खोज का काम आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्योंकि हाल में ही यह समाचार मिला है कि पाकिस्तान इस स्थिति में है कि १०,००० टन तैयार तेल का निर्यात कर सके मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को आभास है कि हम ऐसा करने की स्थिति में कब होंगे ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारे पास अभी भी फालतू तेल है । संभवतः दो वर्ष पहले से । हम देश से पांच अथवा दस गुना पैट्रोल के उत्पादों का निर्यात कर रहे हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : हम आत्मनिर्भर नहीं हैं ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : समाचार पत्रों में एक विशेष उत्पाद के बारे में समाचार है । पैट्रोल का प्रयोग वे मोटरकारों को करते हैं । हमारे पास पैट्रोल फालतू है परन्तु भट्टी और मिट्टी का तेल नहीं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या सरकार ने खम्भात की खाड़ी से पैट्रोल अथवा तेल की खोज की संभावना का पता लगाया है तथा यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : खाड़ी में खोज का कार्यक्रम ४–५ दिन पहले आरम्भ हुआ था । हम नहीं जानते कि पता लगाने में कितना समय लगेगा ।

†**श्री मान सिंह पु० पटेल** : कोयली में तेल रिफायनरी की क्षमता बढ़ाने के सरकार के निर्णय के आधार पर क्या मैं जान सकता हूं कि रिफाइनरी कब से चालू हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री के० दे० मालवीय : वर्तमान अनुसूची के अनुसार कोयली की रिफाइनरी का आरम्भ सितम्बर-अक्तूबर १९६४ में हो जायेगा ।

सरकारी क्षेत्र में चौथा तेलशोधक कारखाना

+

†*४३८. श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मन्त्री :
श्री अ० व० राघवन् :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने वाले चौथे तेल शोधक कारखाने के स्थापना के विषय में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

†खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख) दक्षिण भारत में एक उपयुक्त स्थान पर चौथी तेल शोधनशाला स्थापित करने का निर्णय किया गया है । परन्तु उस की वास्तविक स्थिति अभी निश्चित नहीं की गई है ।

†श्री अ० क० गोपालन : क्या ई० एन० आई० के विशेषज्ञों, जिन्हों ने इन क्षेत्रों का दौरा किया था, ने कोई प्रतिवेदन दिया है और, यदि हां, तो क्या उन्हों ने यह कहा है कि तेल शोधनशाला के लिये कोचीन सर्वोपयुक्त स्थान है ?

†श्री के० दे० मालवीय : हां, श्रीमान् । एक या दो विशेषज्ञ समितियों से तेलशोधनशाला के लिये स्थान चुनने के लिए दक्षिण भारत का सवक्षण करने के लिए कहा गया था और उन्हों ने हमें जो प्रतिवेदन दिया उस में यह कहा गया है कि उन्हें कई स्थान पसन्द आये हैं । कोचीन भी उन में से एक है ।

†श्री प० कुन्हन् : क्या सरकार को केरल सरकार और विकास परिषद् से वहां पर तेलशोधनशाला स्थापित करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†श्री के० दे० मालवीय : केरल सरकार ने केरल में एक तेल शोधनशाला बनाने के लिए बड़ा जोरदार अभ्यावेदन किया है ।

†श्री मोहसिन : क्या मैसूर सरकार ने कोई अभ्यावेदन किया है . . . .

†अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सरकार ने वैसा अभ्यावेदन किया होगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सिलसिले में किसी फ़ारेन कन्ट्री के साथ कोलेबोरेशन हुआ है ? यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : रिफ़ाइनरी को लगाने के लिए बाहर से या तो ठेकेदारों को बुलाते हैं, या कोलेबोरेटर्ज़ आते हैं । कोयली की रिफ़ाइनरी हम लोग खुद ही खड़ी कर रहे हैं आयल एंड नेचुरल गैस कमीशन के इन्तज़ाम में, उस की मिल्कियत में, लेकिन हम इस में मशीनों और एक्स-पर्ट्स की मदद दूसरे कन्ट्रीज़ से ले रहे हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** विशेषज्ञ समिति ने और किन स्थानों को तेलशोधनशाला खोलने के लिए उपयुक्त बताया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** तीन राज्य--मद्रास, मैसूर और केरल--दक्षिण में तेल शोधनशाला खोलने के लिये बहुत उत्सुक हैं और उन्हों ने बंगलौर, कोचीन, ट्यूटीकोरिन, मद्रास और एक या दो अन्य स्थानों का सुझाव दिया है ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** सरकार स्थान के संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अगले दो या तीन सप्ताह के अन्दर ।

सिबसागर परियोजना में रूसी विशेषज्ञ

+

†*४३९. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री कपूर सिंह :
श्री मन्त्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सिबसागर परियोजना में आयोग की सहायता कर रहे रूसी विशेषज्ञों को हटा लिया गया है तथा उन्हें रूस वापस भेज दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). आसाम में नवम्बर, १९६२ में जैसी सैनिक स्थिति थी उस को और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उस क्षेत्र में किये जाने वाले छिद्रण कार्य पर उस के प्रभाव को देखते हुए आयोग ने रूसी विशेषज्ञों को, उन की सेवाओं के उचित प्रयोग की दृष्टि से, गुजरात की विभिन्न परियोजनाओं में नियुक्त कर दिया है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** क्या रूसी विशेषज्ञों के वापस जाने तक भारतीय विशेषज्ञ रूसी विशेषज्ञों से कोई टेक्नीक सीख सके ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** किसी को भी वापस नहीं भेजा गया है । स्वयं तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने यह निर्णय किया कि उन रूसी विशेषज्ञों को कुछ समय के लिए अन्य क्षेत्रों को भेज दिया जाये क्योंकि उस समय स्थिति कुछ अनिश्चित सी थी ।

†**श्री महेश्वर नायक :** मेरा प्रश्न यह था कि क्या भारतीय इंजीनियर रूसी विशेषज्ञों से कोई टेक्नीक सीख सके हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां। भारतीय लोग ६० प्रतिशत काम सीख चुके हैं। देश में थोड़े से ही रूसी हैं जो हमें समय समय पर सलाह देते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सिबसागर परियोजना का कार्य पुनः प्रारम्भ हो गया है और रूसी विशेषज्ञ अपना काम करने के लिए वहां लौट आये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, दो सप्ताह पूर्व ही हमने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बैठक में यह निर्णय किया था कि वह कार्य तुरन्त प्रारम्भ कर दिया जाये। निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है और कुछ रूसी वहां वापस चले गये हैं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महोड़ा** : क्या सरकार इस तेल क्षेत्र में रूसी विशेषज्ञों के कार्य से सन्तुष्ट है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हां, श्रीमान्, हम उन के कार्य से बहुत सन्तुष्ट हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच नहीं है कि चीन द्वारा एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा के पश्चात् रूसी विशेषज्ञों को वापस भेजने के साथ ही तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल संस्थापन, विशेष रूप से सिबसागर में, नष्ट कर दिये और इस से वहां आतंक तथा असन्तोष फैला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी नहीं; यह कहना ठीक नहीं है कि कोई भी संस्थापन नष्ट कर दिया गया। काम सामान्यत: चलता रहा। कार्य की प्राथमिकता निर्धारण की दृष्टि से उसे केवल लगभग एक सप्ताह के लिये बन्द किया गया था। उस अवधि में रूसियों को अन्यत्र भेज दिया गया था।

†**श्री अब्दुलगनी गोनी** : मुझे ज्ञात हुआ है कि रूसी विशेषज्ञों ने जम्मू तथा काश्मीर में कुछ छिद्रण किये थे और परिणाम संतोषजनक रहा। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी जम्मू तथा काश्मीर में तेल की खोज करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिबसागर परियोजना से रूसियों के हटा लिये जाने के कारण उनके द्वारा चलाये जाने वाले संयंत्र तथा उपकरण बेकार पड़े हुये हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, यह ठीक है कि कुछ सप्ताह तक कुछ उपकरण वहां बेकार पड़े रहे क्योंकि हमारे कार्य के संबंध में अनिश्चित अवस्था थी। अब वैसी बात नहीं है। निर्माण कार्य जारी हो गया है और छिद्रण कार्य सड़कों के बन जाने पर ही प्रारम्भ होगा।

भारत का प्रतिरक्षा अधिनियम

+

†*४४०. { **श्री मोहसिन** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री भक्त दर्शन :
श्री बाल्मीकी :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को नजर बन्द कर लिया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उनकी राज्यवार संख्या क्या है ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) और ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें भारत के प्रतिरक्षा नियम, १९६२ के नियम ३० के अन्तर्गत नजर-बन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या दी गई है ।

विवरण

राज्य	नजरबन्द व्यक्तियों की संख्या
१. आसाम	१६०
२. आन्ध्र प्रदेश	२४
३. बिहार	२६
४. गुजरात	१६
५. केरल	३८
६. मद्रास	४६
७. महाराष्ट्र	१११
८. मैसूर	२३
९. मध्य प्रदेश	१२
१०. उड़ीसा	२७
११. पंजाब	४७
१२. राजस्थान	५
१३. उत्तर प्रदेश	२४
१४. पश्चिम बंगाल	१०८
१५. दिल्ली	—
१६. गोआ, दमन तथा दीव	४
१७. हिमाचल प्रदेश	२
१८. मनीपुर	९
१९. पांडिचेरी	—
२०. त्रिपुरा	६७
२१. नागालैंड	—
२२. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—
२३. लक्कदीव, मिनिकाय तथा अमीन दीव द्वीप समूह	—
योग	७४९

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहसिन** : पटल पर रखे गये विवरण से मालूम होता है कि ७४६ व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं। क्या यह सच है कि उनमें से अधिकांश साम्यवादी दल के हैं ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : ऐसे व्यक्ति भी गिरफ्तार किये गये हैं जो साम्यवादी दल के नहीं हैं।

†**श्री मोहसिन** : उनमें से कितने साम्यवादी दल के हैं और कितने अन्य दलों के ?

†**गृह-कार्य मन्त्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : उनमें से बहुत से साम्यवादी दल के हैं और कुछ अन्य दलों के। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी दल के नहीं हैं। हमने समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध भी कार्रवाई की है। मैं समझता हूं कि राष्ट्र विरोधी कार्यों के कारण लगभग ६० व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

†**श्री महेश्वर नायक**: समाज-विरोधी तत्वों के अलावा मैं जानना चाहता हूं कि राष्ट्र विरोधी कार्यों-शत्रु के एजेंट के रूप में काम करने के कारण कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : कुछ व्यक्ति जासूसी करने के कारण भी गिरफ्तार किये गये हैं परन्तु उनकी संख्या बहुत कम है।

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, इस विवरण से ज्ञात होता है कि ७४६ व्यक्ति इस समय नजरबन्द हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कुल कितने शुरू में गिरफ्तार किये गये थे, कितने अब तक रिहा हो चुके हैं और क्या रिहाई के बारे में कोई अखिल भारतीय नीति अपनाई गई है या राज्यों के ऊपर ही इसको छोड़ दिया गया है ?

श्री लालबहादुर शास्त्री : इसमें से लोग छूटे भी हैं। जहां तक छोड़ने की बात है, ज्यादातर गिरफ्तारियां प्रदेश सरकारों ने ही की हैं ———

श्री भक्त दर्शन : कितने छूटे हैं ?

श्री लालबहादुर शास्त्री : करीब १५६। यह अभी कल तक की रिपोर्ट है। मगर रिव्यू होता रहता है और मुमकिन है, और भी बीच में छूटे हों।

†**श्री नर्रासिम्हा रेड्डी** : क्या भारत सरकार की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत कांग्रेस दल का भी कोई सदस्य गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : हमने पूरी निष्पक्षता बरती है और एक कांग्रेसी को भी नजरबन्द किया गया है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इन व्यक्तियों को गिरफ्तार करने, उनके मामलों पर पुनर्विचार करने और उनको रिहा करने का निर्णय पूर्णतः राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है अथवा केन्द्रीय सरकार का भी उसमें कुछ हाथ है और वह राज्य सरकारों को कोई हिदायतें देती हैं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जी नहीं, हम कोई हिदायत नहीं देते हैं क्योंकि वह पूर्णतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। परन्तु हम मिल कर इन चीजों की चर्चा जरूर करते हैं और आवश्यकतानुसार अपने सुझाव भी देते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बसुमतारी** : क्या गृहमंत्री की जानकारी में यह बात लाई गई है कि कुछ दिन पूर्व आसाम की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्य राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयों के कारण गिरफ्तार किये गये हैं और यदि हां तो वे कारवाइयां क्या हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम उन कार्रवाइयों के ब्योरे में नहीं जा सकते ।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि दिल्ली में श्री रूप नारायण तथा दो अन्य व्यक्तियों को केवल इस कारण गिरफ्तार किया गया है कि उन्होंने संसद सदस्यों को एक पत्र भेजा था जिसमें. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि हम प्रत्येक व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों को लेंगे तो वह प्रश्नों के घंटे में नहीं निपटाये जा सकेंगे . . . .

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या समस्त राज्य सरकारों द्वारा पुनर्विलोकन किये गये हैं और क्या अनेक मामले ऐसे भी हैं जिनमें बहुत छोटी सी बात पर गिरफ्तारियां हुई हैं ? क्या समस्त राज्यों में पुनर्विलोकन किये गये हैं विशेषकर पश्चिम बंगाल में ?

†**अध्यक्ष महोदय** : पुनर्विलोकन किये गये हैं या नहीं, केवल इतने भाग का उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जी, हां । इन समस्त राज्यों में पुनर्विलोकन किये गये हैं । इस समय मेरे पास ३ राज्यों के आंकड़े हैं । मद्रास में ६१ व्यक्ति रिहा कर दिये गये हैं, गुजरात में ३२ और पंजाब में २१ ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं एक बात जानना चाहता हूं । श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी अपनी बात पूरी नहीं कह सके थे । वह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष की गिरफ्तारी का नहीं है । प्रत्येक नागरिक को संसद सदस्य को पत्र लिखने का अधिकार है । क्या भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम द्वारा हमारा यह विशेषाधिकार भी छीना जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जो प्रश्न पूछा था वह एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारणों के सम्बन्ध में था । मैंने उसकी अनुमति इसलिये नहीं दी थी कि हम कारणों की चर्चा नहीं कर सकते ।

†**श्री रंगा** : इसमें मौलिक अधिकारों का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । इस अध्यादेश के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं । इसलिये माननीय मंत्री से उसकी सूचना प्राप्त करना सर्वथा उचित है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मेरी बात ठीक नहीं समझी गई है । मेरा कहना केवल इतना है कि इसे प्रश्नों के घंटे में न लेकर किसी अन्य रूप में लिया जा सकता है . . . . . डा० सिंघवी ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या सरकार सभा पटल पर ऐसा विवरण रखेगी जिसमें उन व्यक्तियों जिनको देश के किसी भी प्राधिकारी द्वारा भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया हो, के नाम तथा ऐसी नजरबन्दी के जिम्मेदार कारण दिये गये हों ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मैं उनके नाम तो बता सकता हूं परन्तु नजरबन्दी के कारण नहीं बता सकता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या मंत्री जी की जानकारी में यह बात लाई गई है कि जिलाधीश ने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं अन्य झगड़ों के कारण नजरबन्दी की शक्ति का प्रयोग किया है ?

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं एक औचित्य प्रश्न रखना चाहता हूं । मैंने पूछा था कि क्या नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के नाम और उनकी नजरबन्दी के कारण सभा-पटल पर रखे जा सकते हैं ? माननीय मंत्री ने कहा कि वह नजरबन्दी के कारण नहीं रख सकते हैं । क्या वह उनके नाम और नजरबन्दी के लिये जिम्मेदार परिस्थितियां बता सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नामों के सम्बन्ध में वह कह चुके हैं कि वह बताने के लिए तैयार हैं। **(अन्तर्बाधायें)**

†**श्री बड़े** : परन्तु वह तो अध्यक्ष महोदय का विनिर्णय चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : किस बात पर ?

†**श्री बड़े** : कारण बताने के सम्बन्ध में क्या आपत्ति है ? क्या यह लोक हित के विरुद्ध है? जब अभियुक्त को कारण बताये जाते हैं तो हमें क्यों नहीं बताए जा सकते हैं ? यदि कारण नहीं तो परिस्थितियां ही बता दी जायें । उन्होंने एक प्रश्न पूछा है और वह आपका विनिर्णय चाहते हैं कि वह सूचना देना लोक हित की दृष्टि से ठीक होगा या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस बात पर विनिर्णय देने का कोई प्रश्न नहीं है । वह एक अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे तथा उन्होंने इसके लिये यह तरीका अपनाया । यदि कोई आपत्ति है तो उसका उत्तर भी मंत्री जी बता देंगे, मैं नहीं । फिर वह क्या विनिर्णय चाहते हैं ?

†**श्री उ० मू० त्रिवदी** : क्या माननीय मंत्री की जानकारी में यह बात लाई गई है कि सम्बन्धित जिलाधीश ने कुछ नजरबन्दियां व्यक्तिगत द्वेष के कारण कराई हैं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : मेरे पास कोई सूचना नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य के दिमाग में कोई बात हो तो वह मुझे बता सकते हैं । परन्तु मैं सभा को यह बता देना चाहता हूं कि इन मामलों की राज्य के उच्चतम प्राधिकारी द्वारा जांच की जाती है । कुछ राज्यों के मुख्य-मंत्रियों ने मुझे लिखा है कि अन्तिम आदेश पारित किये जाने के पूर्व उन्होंने स्वयं उनकी जांच की ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या भारत की प्रतिरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद ही रिहा कर दिया गया था और यदि उत्तर 'हां' में है तो क्या वे गिरफ्तारियां जल्दबाजी में की गई थीं अथवा उन्हें किसी दबाव के कारण रिहा कर दिया गया ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जी, नहीं । सरकार को पूर्ण अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को अगले दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन रिहा कर दे । संसद में इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि हम समस्त मामलों का पुनर्विलोकन करें । हमने वैसा ही किया और यह पाया कि इन परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों को तुरन्त रिहा कर देना ही वांछनीय होगा ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या इसका मतलब .....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य हर प्रश्न के बाद खड़े हो जाते हैं । मैं उनके दल के नेता से कहूंगा कि वह अपने दल के सदस्यों में अनुशासन रखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन** : मैंने और डा० सिंघवी ने एक प्रस्ताव भेजा है। क्या आप उस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर मैं अभी कैसे दे सकता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैंने यह पूछा था कि क्या पश्चिम बंगाल के मामलों का पुनर्विलोकन किया जा चुका है और यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति रिहा किये गये हैं ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जी नहीं, उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। पुनर्विलोकन अवश्य किया जायेगा परन्तु अभी तक रिहाई के कोई भी आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

†**श्री ह० प० चटर्जी** : यदि निरपराध, व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते हैं तो इसका क्या इलाज है ? मैंने ऐसा एक मामला बताया भी था। यदि केन्द्र तुरन्त पुनर्विलोकन नहीं करता है तो क्या किया जाना चाहिये ?

†**श्री लालबहादुर शास्त्री** : जो मामले मेरी जानकारी में लाये गये हैं उनके सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मैंने सम्बन्धित मुख्य मंत्रियों से कह दिया है और मुझे विश्वास है कि वह उन पर यथाशीघ्र विचार करगे।

भारत क लिय रूसी तेल उत्पाद

†*४४१. **श्री बिशन चन्द्र सेठ** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस और सरकारी "इण्डियन आइल कम्पनी" द्वारा ३ लाख टन भट्टी के तेल के संभरण के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतवर्ष १९६३ में दस लाख टन तेल उपाद (प्रधानतः मिट्टी का तेल) प्राप्त करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये निबन्धन और शर्तें क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)**: (क) से (ग). यह सच है कि इण्डियन आयल कम्पनी ने कमी वाले उत्पादों, अर्थात् मिट्टी का तेल, एच० एस० डी० और भट्टी के तेल, का काफी मात्रा में आयात करने के लिये सोवियत तेल निर्यात संगठन के साथ करार किया है। उनकी मात्रा अथवा करार की शर्तें तथा निबन्धन बताना लोकहित में नहीं है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आयल में भी कोई ऐसी बात हो सकती है जो न बताई जा सके, लेकिन उसको मैं छोड़ता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास आयल बाहर से आ रहा है और हमारे देश में भी पर्याप्त मात्रा में तेल निकल रहा है, तो हम इसके सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भर हो जायेंगे ?

खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं तो आशा करता हूं कि हम जल्द आत्मनिर्भर हो जायेंगे। तेल का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और उसका उत्पादन भी बढ़ता जाता है। मुझ उम्मीद है कि हम चार पांच साल में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती सावित्री निगम** : हम प्रति वर्ष कितना मिट्टी का तेल आयात करते हैं और उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होती है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम विदेशों से मिट्टी का तेल आयात करने पर लगभग १२ से १५ करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बा** : आयात किये जाने वाले मिट्टी के तेल का मूल्य क्या होगा और हमारे देश के मूल्यों की तुलना में वह कैसा है ?

†**श्री हजरनवीस** : बहुत अनुकूल है ।

अखिल भारतीय शिक्षा सेवा

४४३. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय शिक्षा सेवा शुरू करने का प्रश्न विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) क्या वर्तमान संकट में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ आधार प्रदान करने की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया गया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकारों से यह बताने की प्रार्थना की गई थी कि क्या वे ऐसी सेवा के गठन से सिद्धान्त रूप से सहमत हैं । कुछ राज्य सरकारों से अभी उत्तर आने बाकी हैं ।

(ग) राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार वर्तमान संकट के प्रारम्भ होने से पहले से ही, इस विषय पर विचार कर रही थी ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : मैं जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों ने अपने उत्तर अभी तक नहीं भेजे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जिनके उत्तर आए हैं, वे राज्य हैं, बिहार, गुजरात, जम्मू और काश्मीर, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, असम, मैसूर, मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वैस्ट बंगाल और पंजाब । बाकियों के नहीं आये हैं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : जिन राज्यों के अभी तक उत्तर आए हैं, उनकी इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जिनसे उत्तर आये हैं, उनमें से कुछ ने तो सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार किया है, कुछ ने कहा है कि निश्चित जवाब बाद में दिया जाएगा, और कुछ ने यह लिखा है कि इसकी जरूरत नहीं है, इस सर्विस की जरूरत नहीं है ।

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : अखिल भारतीय सेवाओं के कानून में संशोधन आने वाला है । उसमें इंडियन एजुकेशन सर्विस को भी शामिल करने के प्रश्न पर क्या सरकार विचार करेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं । अभी तो इसका पूरा जवाब ही नहीं आया है । अभी तो प्रश्न ही नहीं उठता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १८

बंगाल और उड़ीसा राज्यों के नाम पर सेना गठित करना

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और बंगाल के मुख्य मंत्रियों ने केन्द्रीय सरकार से उन राज्यों के नाम पर सेना गठित करने की अनुमति मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनुमति दे दी गई है ;

(ग) यह अनुमति किन विशेष शर्तों के साथ दी गई है ; और

(घ) क्या इस प्रकार से राज्य सेनाओं के गठन द्वारा सैनिकों में भिन्नता की प्रवृत्ति का उदय नहीं होगा और उसे रोकने के लिए सरकार क्या सोच रही है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) भारत सरकार को पश्चिमी बंगाल सरकार से एक सुझाव प्राप्त हुआ है कि बंगाल अथवा बंगाली रेजिमेंट नाम से एक रेजिमेंट बनाई जाए, जिसमें अधिकतर बंगाली ही हों । उड़ीसा सरकार से इस प्रकार का कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) तथा (ग). सुझाव को स्वीकार करने की साध्यता तथा वांछनीयता विचाराधीन है ।

(घ) इस मामले में जो भी निर्णय लिया जायगा उस पर इस भावना का प्रभाव अवश्य पड़ेगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार को जो बंगाली रेजिमेंट के सम्बन्ध में पत्र लिखा है उस में क्या विशेष कारण दिये हैं जिस-से कि उन को इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक करेस्पांडेंस का सवाल है, मेरी और उन की बातें हुई थीं । उन्होंने अपने सम्भाषण में कहा था कि ऐसी मांग हम करते रहे हैं कि इस को शुरू किया जाय । कोई कारण इस के लिये उन्होंने नहीं दिये थे । वह इतना चाहते थे कि बंगाली लोगों को इस सेना के काम में शरीक होने का ज्यादा मौका मिले ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने कभी इस बात पर भी विचार किया है कि प्रत्येक प्रान्त के सैनिकों की अलग रेजिमेंट बनाने के पश्चात् सेना के अन्दर या देश के अन्दर वह जिस भावना को उदय करना चाहती है उस के अन्दर बाधा पड़ेगी ? यदि हां, तो इस को रोकने के लिये क्या सरकार कोई निश्चय कर रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस का भी ख्याल किया जायगा जब इस पर कोई भी निर्णय किया जायगा ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह उचित नहीं होगा कि आई० एन० ए० की तरह से इन रेजिमेंट्स का नाम महात्मा गांधी और सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रक्खे जायें, बजाये इस के कि उन के नाम स्टेटों के नाम से रक्खे जायें ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर भी गौर किया जायगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** प्रतिरक्षा सेनाओं के संबंध में हम सब राष्ट्रीय एवं समेकित दृष्टिकोण का तो स्वागत करते हैं परन्तु मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या ऐसी रेजीमेण्ट के लिये अनुमति देने से इन्कार करने से पहले सरकार का मराठा रेजीमेण्ट, पंजाब रेजीमेण्ट आदि को खत्म कर देने का विचार है ताकि एक राष्ट्रीय रेजीमेण्ट बन सके?

†**श्री यशवन्तराव चव्हाण :** संभवत: इस समस्या के साथ साथ उस पर भी विचार करना होगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या यह सच है कि ब्रिटिश शासनकाल में एक बंगाली रेजीमेण्ट बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी और यह भी एक कारण है जिससे कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने वहां की जनता की सहमति से यह प्रस्ताव रखा है? यदि ऐसा है तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह कार्यवाही का सुझाव है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** हमको गैर-सैनिक समझा जाता था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह कह रहे हैं कि उस पर भी विचार किया जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि वर्तमान समय में बंगाल के लोगों के फौज में भरती होने पर कोई प्रतिबन्ध है जिस की वजह से यह प्रश्न उठाया गया और जो सेना खड़ी की जायगी क्या वह सीधे रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत रहेगी?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : ऐसा कोई प्रतिबन्ध तो नहीं है ।

श्री मा० ला० वर्मा : मैं रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि चूंकि मराठा या राजपूताना रेजिमेंट आदि के जो नाम हैं वे अंग्रेजी शासन के वक्त में रक्खे गये थे, तो क्या यह सोचेंगे कि आज आजादी के नये युग में भी इस प्रकार के प्रान्तीयता के नाम रक्खे जायें या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : हां, सोचेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली में भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की शिक्षा

†४३३. **श्री अ० सिं० सहगल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **भाषाई** अल्पसंख्यकों सम्बन्धी आयुक्त की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली में भाषा अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों को उनकी मातृ भाषा की शिक्षा देने के लिए क्या कार्यवाही की है और क्या वह पिछले तीन वर्षों में समय समय पर इस बारे में स्कूलों के प्रधानों को जारी किये गये परिपत्रों की प्रतियां भी पटल पर रखेंगे ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : सरकार की शिक्षा नीति के अनुसार भाषायी अल्प संख्यकों के विद्यार्थियों के लिए प्राईमरी एवं माध्यमिक स्तरों पर मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने की पर्याप्त सुविधायें दिल्ली में मौजूद हैं। इसलिये भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त की सिफारिशों के आधार पर उनको कोई विशेष हिदायतें जारी करना आवश्यक नहीं समझा गया।

खेत्री तांबा परियोजना

†*४३४. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेत्री तांबा परियोजना के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या वहां उत्पादित तांबे का मूल्य विश्व बाजार के मूल्य जैसा होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना अन्तर होगा ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ७०७/६३]**

(ख) और (ग). आशा है कि खेतरी में 'इलेक्ट्रोलिटिक' तांबे की उत्पादन लागत से आयात किये गये तांबे से कम होगी। अन्त:कालीन प्राक्कलनों के अनुसार खेतरी में १०० किलोग्राम 'इलेक्ट्रोलिटिक' तांबे की उत्पादन लागत २५६ रुपए २० नये पैसे होगी जब कि आयात की गई इलेक्ट्रोलिटिक तांबे के तार की छड़ों का औसत मूल्य १९६२ में (भारतीय पत्तन पर लागत बीमा भाड़ा सहित) ३१७ रुपए ७५ नये पैसे प्रति १०० किलोग्राम था।

सिंगरेनी कोयला खानें

†*४४४. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री पें० वेंकटासुब्बया

क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरेनी कोयला खान समवाय की अंश पूंजी में सहभागिता की सीमा के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ कोई समझौता हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो देरी के कारण क्या हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). सिंगरैनी कोयला खान समवाय की अंश पूंजी में केन्द्र और आन्ध्र प्रदेश के बीच सहभागिता के स्वरूप के प्रश्न पर हाल में राज्य सरकार और कोयला खान समवाय के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी। मामला अभी भी विचाराधीन है :

---

†**मूल अंग्रेजी में**

पृथक्करण की प्रवृत्तियों को रोकना

†*४४५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री मन्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों को पृथक्करण की प्रवृत्तियों को उपयुक्त कानून बनाकर रोकने के विषय पर एक पत्र भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो किन विशेष प्रस्तावों पर उनकी राय मांगी गयी थी ; और

(ग) उनके क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) से (ग) : लोक-सभा में २१ जनवरी, १९६३ को पुर:स्थापित किये गये संविधान (सोलहवां संशोधन) विधेयक, १९६३ में सन्निहित उपबन्धों पर राज्य सरकार के विचार आमंत्रित किये गये थे। राज्य-सरकार ने संविधान में प्रस्तावित संशोधन से सामान्य सहमति प्रकट की है ।

'बर्माशैल', 'एस्सो' तथा 'काल्टैक्स' की स्थापित क्षमता में वृद्धि करना

†*४४६. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री यु० द० सिंह :

क्या **खाद्य और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 'बर्मा शैल', 'एस्सो और 'काल्टेक्स' ने अपनी वर्तमान स्थापित क्षमता की वृद्धि के लिये प्रस्ताव किये हैं तथा उनके आवेदनों पर यदि कोई निर्णय किया गया है तो क्या ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : इन तेलशोधनशालाओं को अपनी वर्तमान अधिकतम क्षमता के बराबर कार्य करने की अनुमति दी जा चुकी है। जहां तक उनके विस्तार प्रस्तावों का संबंध है, समस्या के समस्त पहलू—पेट्रोलियम उत्पादों की संभावित अतिरिक्त मांग तथा उसे पूरा करने की सर्वोत्तम युक्ति को सम्मिलित करके—विचाराधीन हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

आकाशवाणी में चीनी कर्मचारी

†*४४६-क. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मन्त्री :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी के कुछ चीनी कर्मचारी हाल में ही भारत-विरोधी कार्यों में संलग्न पाये गये थे; और

(ख) यदि हां तो, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसे दो कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं और उनको जेल में बन्द कर दिया गया है।

कोयली तल शोधक कारखाना (गुजरात)

†*४४७. **श्री दे० जी० नायक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में, कोयली स्थित सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखान का संचालन करन के लिये किसी सीमित समवाय (लिमिटेड कम्पनी) का निर्माण किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित समवाय का निर्माण कब तक हो जायेगा?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). मामला तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विचाराधीन है।

दिल्ली में अपराध

†*४४८. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अभी हाल में अपराधों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति पर नियंत्रण रखने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) १९६२ की चौथी तिमाही के अपराधों की संख्या में तीसरी तिमाही से कुछ वृद्धि हुई है। परन्तु घृणित अपराधों की संख्या में कुछ कमी हुई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) दिल्ली पुलिस की गश्ती क्षमता बढ़ाने के लिये ५२ अतिरिक्त मोटरगाड़ियों की मंजूरी दी गई है। मोटर साईकिलों और रेडियो संचार मोटरगाड़ियों की भी व्यवस्था की गई है। अपराधों की जांच यथासंभव ऐसे अधिकारियों द्वारा कराई जा रही है जो निम्नतम सब-इंस्पेक्टरों की श्रेणी के हैं।

कथित जासूस की गिरफ्तारी

†*४४९. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६२ को, कथित जासूस की गिरफ्तारी के संबंध में दिये गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस मामले की जांच में आगे क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या वह अपराधी और/अथवा जमानती फरार हो गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** (क) मामला न्यायालय में चल रहा है और अभियुक्त नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयले का उत्पादन

†*४५०. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२ के पत्री वर्ष के दौरान कितने कोयले का उत्पादन हुआ है ;

(ख) यह मात्रा लक्ष्य से कितनी कम है; और

(ग) कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) लगभग ६१० लाख टन मीट्रिक टन।

(ख) कोयला उत्पादन का लक्ष्य वित्तीय वर्षवार निश्चित किया जाता है, कलेंडर वर्ष-वार नहीं। १९६२–६३ के लिये निश्चित किया गया लक्ष्य लगभग ६२० लाख टन है। उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार आशा है कि यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा।

(ग) कोयला उद्योग को उत्पादन बढ़ाने के लिये कुछ सुविधायें दी जा चुकी हैं जो निम्न प्रकार हैं:–

(१) जून, १९६२ में बढ़िया किस्म के कोयले के मूल्य में कुछ वृद्धि मंजूर की गई थी;

(२) कठिनाई वाले मामलों में और "स्टोइंग" कार्य के लिये राजसहायता मंजूर करने के लिये योजनाओं का उदार बनाया जाना; और

(३) मशीनों और उपकरण के आयात के लिये विश्वबैंक के ऋण पर विदेशी मुद्रा का उपबन्ध।

इसके अतिरिक्त हीराकुड और रेंड परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत् शक्ति उपलब्ध की गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

इंडिया आफिस लाइब्रेरी

†*४५१. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मन्त्री :

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में इस सूत्र का सुझाव दिया था कि लन्दन में इंडिया, आफिस लाइब्रेरी का भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों देशों की जनसंख्या के आधार पर विभाजन किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला उद्योग को विश्व बैंक का ऋण

†*४५२. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा कोयला उद्योग को दिया गया ऋण अब तक उपयोग में नहीं लाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उपयोग न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसका शीघ्रता से उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) से (ग). विश्व बैंक का कुल ऋण १६·७४ करोड़ रुपये है । इस पर लगभग १३·०८ करोड़ रुपये के आयात लाईसेंस जारी किये जा चुके हैं । कोयला समवाय इन लाईसेंसों पर क्रमशः व्यादेश भेज रहे हैं । ऋण की राशि में से वास्तविक निकासी मशीनों और उपकरण का आयात हो जाने के पश्चात् ही प्रारंभ होगी । चूंकि उपकरणों और संभरण के स्रोत के संबंध में भली प्रकार चुनाव करना था, इसलिये व्यादेश भेजने में कुछ देर हो गई । इससे लाईसेंसों का समय बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है परन्तु उद्योग उस ऋण को तीसरी योजना के दौरान उपयोग कर सकेगा ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो

†*४५३. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो स्थापित करने का निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसका क्षेत्राधिकार कार्य तथा शक्तियां क्या हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या राज्य सरकारों को ब्यूरो के काम से संबद्ध किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लालबहादुर शास्त्री)** : (क) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ख) से (घ). ब्यूरो निम्नलिखित मामलों की जांच करेगा : भ्रष्टाचार के ऐसे मामले जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त हों, ऐसे मामले जिनमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित संविहित निकायों के हित अन्तर्ग्रस्त हों, ऐसे केन्द्रीय कानूनों के उल्लंघन के मामले जिनका प्रख्यापन विशेष रूप से भारत सरकार करती है, सरकारी संयुक्त स्कन्त समवायों से संबंधित जालसाजी, धोखाघड़ी, गबन आदि के बड़े मामले और संबंधित राज्यों की सहमति से ऐसे मामले भी जिनमें अनेक राज्यों में फैले हुए पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह अन्तर्ग्रस्त हों। ब्यूरो निवारक कार्रवाई का सुझाव देने के लिये उपरोक्त मामलों के संबंध में गुप्त सूचना भी एकत्रित करेगा। वह अपराधों के संबंध में अखिल भारतीय महत्व के आंकड़े रखेगा और पुलिस संबंधी अनुसंधान (अपराधों की प्रवृत्तियों और कारणों के विश्लेषण को सम्मिलित करके) करेगा और कुछ अखिल-भारतीय अथवा अन्तर्राज्य अपराधों अथवा सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अपराधों का विशेष अध्ययन करेगा।

जब योजना का ब्यौरा तैयार कर लिया जायेगा तो वह राज्य सरकारों को भेज दिया जायेगा तथा उनका सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

प्रविधिक तथा अप्रविधिक कर्मचारियों की भरती

†*४५४. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय आपात काल का सामना करने के लिए प्रविधिक तथा अप्रविधिक कर्मचारियों की भरती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना के अधीन प्रक्रिया में क्या सुधार किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

(१) संघ लोक सेवा आयोग ने वैज्ञानिक एवं प्रविधिक योग्यता वाले उम्मीदवारों की बड़े पैमाने पर भर्ती प्रारंभ की है। आयोग की सिफारिशें प्रतिदिन संबंधित मंत्रालय को भेज दी जाती हैं प्रत्येक दिन के अन्त में डाक्टरी परीक्षा की व्यवस्था की जाती है।

(२) संघ लोक सेवा आयोग उपयुक्त रक्षित सूचियां भी तैयार कर रहा है जिनको आवश्यकतानुसार काम में लाया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से यह निर्णय किया गया है कि मंत्रालय ज़रूरत पड़ने पर वर्तमान आपाति के सम्बन्ध में निर्मित किये गये पदों पर अस्थायी अथवा कार्यकारी नियुक्तियां कर सकेगा यदि ऐसे पद पर नियुक्त किये जाने व्यक्ति के उस पद पर उतने समय से अधिक रहने की संभावना न हो जो आपाति-काल अथवा तीन वर्ष में कम हो।

भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति

†*९९४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय आपाति की घोषणा के समय से प्रत्येक राज्य में भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति नजरबन्द किये गये हैं और ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो भारत के साम्यवादी दल के सदस्य हैं;

(ख) अन्य दलों तथा संगठनों के कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं;

(ग) कितने नजरबन्द व्यक्तियों के मामलों का बाद में पुनर्विलोकन किया जा चुका है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति बाद में रिहा किये जा चुके हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० ७०९/६३]**

नागरिक सुरक्षा

†*९९५. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एक प्रभावी नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या वह संगठन अन्तर्राज्य आधार पर सम्बद्ध है जिसका केन्द्र द्वारा संचालन किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). विभिन्न राज्यों में नागरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किये गये हैं जो नागरिक सुरक्षा संचालकों तथा इस प्रयोजन के लिये नामांकित

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्य अधिकारियों के अन्तर्गत है । नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यों के संगठन, प्रशासन एवं क्रियान्विति एवं उनके अखिल भारतीय आधार पर समन्वय के लिये केन्द्र में एक नागरिक सुरक्षा महासंचालक नियुक्त किया गया है ।

नाटकों के प्रदर्शन के लिये अनुदान

†६६६. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी नाटक कम्पनियां, राज्य-वार, रजिस्टर की गई हैं;

(ख) समस्त राज्यों में कितने नाटकों को वर्ष १९६१–६२ में और अकादमी के उद्घाटन के समय से भी नाटक अकादमी के अनुदान प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या किन्हीं गैर-रजिस्टर्ड कम्पनियों को भी अनुदान दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो उनमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं और कितने गैर-रजिस्टर्ड; और

(ङ) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में कुछ एसी कम्पनियों को अनुदान दिये गये हैं जो गैर-रजिस्टर्ड हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायून् कबीर)** : (क) हमारे पास कोई सूचना नहीं है ।

(ख) नई दिल्ली स्थित संगीत नाटक अकादमी ने नाटक संवर्धन के लिये निम्नलिखित अनुदान मंजूर किये :—

वर्ष	सहायता प्राप्त समितियों की संख्या
१९५९–६०	२१
१९६०–६१	२४
१९६१–६२	२४

१९५९–६० से पहले की अधिकृत सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि उस अवधि में अकादमी द्वारा दिये गये कुछ अनुदान विवादग्रस्त हैं और दिल्ली के एक न्यायालय में एक मामले में मुकदमा चल रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं ।

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की अध्यापिकायें

†६६७. **श्री बाल्मीकी** : क्या **शिक्षा** मंत्री १३ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत साहित्यरत्न और एम० ए० बी० टी० योग्यता वाली भारतीय भाषाओं की अध्यापिकाओं की कितनी रिक्ततायें भरी जा चुकी हैं और कितनी अभी भरी जानी हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने अभ्यर्थी लिये जा चुके हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि प्रतीक्षा सूची में थोड़े से ही अभ्यर्थी हैं और बड़ी ऊंची योग्यता रखते हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) से (ग). आवश्यक सूचना एकत्रित की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में तेल क्षेत्र

†९९८. **श्री मन्त्री : क्या खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कुछ और तेल क्षत्र पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन कुओं का वाणिज्यिक महत्व क्या है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) सानन्द क्षेत्र में छिद्रित प्रथम कुएं में दो जगहों से गैस और कुछ तेल निकला था। कालोल क्षेत्र में एक कुएं में एक जगह से गैस और कुछ तेल निकला था।

(ख) इस अवस्था में इन कुओं के वाणिज्यिक महत्व का निर्धारण करना कठिन है।

गौहाटी विश्वविद्यालय

†९९९. **डा० सरोजिनी महिषी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौहाटी विश्वविद्यालय के प्रशासन से सम्बन्धित पावट समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(ख) क्या प्रतिवेदन के पेश किये जाने के पश्चात् इस मामले में कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). यह मामला असम सरकार से सम्बन्धित है तथा उनको इस मामले में लिख दिया गया है। आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी कर्मचारियों के संघ

†१०००. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आपात-काल में सरकार का पूर्ण समर्थन करने के लिये केन्द्रीय सरकार के समस्त संघों और यूनियनों का एक सम्मेलन ९ दिसम्बर, १९६२ को दिल्ली में हुआ था;

(ख) क्या यह सम्मेलन गृह मंत्री द्वारा आमंत्रित किया गया था;

(ग) क्या औद्योगिक शांति संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था; और

(घ) क्या सरकार ने मांगों की चर्चा करने के लिये एक वार्ता संगठन बनाने का निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) वह बैठक गृह कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री द्वारा आमंत्रित की गई थी ।

(ग) बैठक में पारित संकल्पों की प्रति संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० ७१०/६३]**

(घ) वे संकल्प सिफारिशों के रूप में थे । इसलिये वार्ता संगठन बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नारियल जटा उद्योग

†१००१. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि कोयला उद्योग का क्षेत्र भारत सरकार के कोयले के वितरण एवं वहन की नई प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव का घोर विरोधी है;

(ख) नई प्रणाली से कोयले के वहन और मूल्य पर क्या असर पड़ने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का कोयला उद्योग क्षेत्र द्वारा संकेतित कठिनाइयों को देखते हुए अपने प्रस्तावों का पुनर्विलोकन करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). कोयले के वहन की नई प्रणाली के अनुसार, जिसे १ जनवरी, १९६३ से लागू करने का विचार था १५०० टन अथवा अधिक के मासिक कोटा वाले समस्त उपभोक्ताओं को कोयला 'ब्लाक रेकों' में भेजा जाना था और अन्य के मामले में इस प्रयोजन के लिये स्थापित किये जाने वाले संग्रहों के माध्यम से । विभिन्न पक्षों के साथ परामर्श करके उस योजना में कुछ परिवर्तन कर दिये गये हैं । संपरिवर्तित योजना के अन्तर्गत बंगाल-बिहार क्षेत्र में लगभग ७० प्रतिशत कोयला लदान १ जनवरी, १९६३ से 'ब्लाक रेकों' द्वारा हो जायेगा । कालान्तर में उस योजना का अन्य उपभोक्ताओं में विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिये उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों की एक उप-समिति निर्मित की गई है ।

बरौनी और गोहाटी के तेल शोधक कारखाने

†१००२. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी और गौहाटी की तेल शोधनशालाओं में क्या दोष हैं;

(ख) क्या निर्धारित उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिये डिजाइन के दोषों का सुधार किया गया है;

(ग) क्या डिजाइन में परिवर्तन करने के लिये कुछ पश्चिमी विशेषज्ञों की सहायता ली गई थी; और

(घ) यदि हां, तो संभरकों द्वारा करार में क्या गारंटियां दी गई थीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और इंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) और (ख). गौहाटी और बरौनी की तेल शोधनशालाओं के डिजाइन में कोई दोष नहीं है ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । परन्तु संभरकों द्वारा निम्नलिखित गारंटियां दी गई हैं :—

(१) उपकरण की उचित किस्म, कारीगरी और कार्य और पूरे पैमाने पर संचालन की तारीख से १२ महीनों के लिए उस की निर्धारित क्षमता ;

(२) गारण्टी की अवधि में होने वाली समस्त खराबियों के लिये पुर्जे बदलना और उन की मरम्मत जिस का दाम नहीं लिया जायेगा ;

(३) अन्तिम उत्पादों का उत्पादन तथा उन के गुण ।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना

†१००३. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय खनिज विकास निगम समस्त परियोजना प्रतिवेदन एवं इंजीनियरिंग कार्य स्वयं करना चाहता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस के पास इस प्रयोजन के लिये पर्याप्त योग्य कर्मचारी हैं ?

†**खान और इंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). जी, हां । परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं डिजाइन तथा इंजीनियरिंग सम्बन्धी कार्य के लिये निगम के मुख्य कार्यालय में 'आयोजन विभाग' नामक एक प्रविधिक खण्ड निर्मित किया गया है । विभाग में आवश्यक प्रविधिक अधिकारी मौजूद हैं जिन में खनन इंजीनियर, जियोलजिस्ट, सिविल, इलेक्ट्रीकल एवं मकेनीकल इंजीनियर तथा धातुकर्मी (मेटालर्जिस्ट्स) सम्मिलित हैं ।

खनन एवं इंधन नीति

†१००४. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन् :

क्या **खान और इंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपाति के कारण सरकार १९६३-६४ के दौरान खानन और इंधन नीति का पुनरीक्षण करने का गंभीर विचार कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या खनन व्यापार के लाइसेंसों के लिए प्रार्थनापत्र देने के लिए नये लोगों को अनुमति दी जायेगी चाहे इस उद्योग में १९४८ अथवा १९५३-५४ के दौरान उन का व्यापार कैसा भी रहा हो ;

(ग) १९६२-६३ में (२३ जनवरी, १९६३ तक) पुराने खनिकों और नये व्यक्तियों को अलग-अलग कितने लाइसेंस अभी तक जारी किये गये हैं ; और

(घ) पुराने खनिकों और नये व्यक्तियों ने १९६० से १९६२ के अन्त तक निर्यात के सम्बन्ध में क्या प्रगति की है ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)**:(क) वर्तमान खनन तथा ईंधन नीति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है और न वर्तमान आयाति के सम्बन्ध में उस की कोई आवश्यकता ही है ।

(ख) खनिज रियायतें खान तथा खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५७ तथा उस के अन्तर्गत निर्मित नियमों और १९५९ के पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियमों के अनुसार ही मंजूर की जाती हैं ।

(ग) जानकारी राज्य सरकारों से मांगी गई है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) निर्यात के आंकड़े पुराने खनिकों और नये व्यक्तियों के अनुसार नहीं रखे जाते हैं ।

दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का पढ़ाया जाना

†१००५. **श्री अ० सिं० सहगल : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा निदेशक, दिल्ली राज्य को कितने सरकारी स्कूलों से १९६१-६२ में पंजाबी पढ़ाने के लिए अनुरोध मिले हैं ;

(ख) ऐसे अनुरोधों के प्रत्युत्तर में कितने स्कूलों में पंजाबी को एक विषय बना दिया गया है ;

(ग) दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पंजाबी को मातृभाषा तथा वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाये जाने के लिए क्या क़दम उठाये गये हैं ; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तर में १९६१-६२ में उन स्कूलों के नामों को बताने वाला एक विवरण क्या वह सभा पटल पर रखने की कृपा करेंग जिन में पंजाबी अध्यापक नियुक्त कर दिए गए हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

१९६१—११ स्कूल
१९६२—१० स्कूल

(ख) १९६१—११ स्कूल
१९६२—९ स्कूल

(ग) प्रारम्भिक कक्षाओं में उन स्कूलों में जिन में ४० विद्यार्थी उस भाषा को बोलने वाले हों अथवा एक क्लास में १० विद्यार्थी हों, शिक्षा का माध्यम उन की मातृभाषा (पंजाबी समेत) हो माध्यमिक कक्षाओं में उन स्कलों में जिन में एक तिहाई विद्यार्थी उस भाषा के बोलने वाले हों, में

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा का माध्यम उन को मातृभाषा रखा जाये । इस समय केवल सरकारी बहुप्रयोजनीय स्कूलों में पंजाबी अथवा अन्य किसी भाषा (हिन्दी के अतिरिक्त) में पढ़ाई की सुविधायें हैं । अन्य हायर सेकेन्डरी स्कूलों में इस प्रकार की सुविधा लागू करने का प्रश्न केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विचाराधीन है ।

(घ) पंजाबी अध्यापक निम्नलिखित १९ स्कूलों में नियुक्त किये गये हैं ।

१.	गवर्नमैंट बायज हायर सकेन्डरी स्कूल	तिलकनगर एक
२.	तदैव	तिलकनगर दो
३.	तदैव	तिहाड़ वैस्ट
४.	तदैव	राजौरी गार्डन
५.	तदैव	रमेश नगर
६.	तदैव	मोती नगर
७.	तदैव	वैस्ट पटेलनगर एक
८.	तदैव	वैस्ट पटेलनगर दो
९.	तदैव	वैस्ट विनयनगर
१०.	तदैव	मोतीबाग़
११.	तदैव	मालवीयनगर
१२.	गवर्नमैंट गर्ल्स हायर सैकेन्डरी स्कूल	कालकाजी
१३.	तदैव	विनयनगर तीन
१४.	तदैव	मोतीनगर
१५.	तदैव	मालवीय नगर
१६.	तदैव	मोतीबाग़
१७.	तदैव	किदवईनगर
१८.	तदैव	विनयनगर चार
१९.	तदैव	वैस्ट विनयनगर

किरीबुरू लौह अयस्क परियोजना

†१००६. { **श्री कृ० ला० मोरे :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किरीबुरू लौह अयस्क परियोजना अनुसूची के अनुसार चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात के वायदों को पूरा करने के बाद देश में प्रयोग के लिए साफ किया हुआ कितना तेल उपलब्ध हो जायेगा ?

†खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). जी हां । परियोजना अनुसूची के अनुसार चल रही है तथा आशा है कि १९६३ के मध्य तक परीक्षण उत्पादन इस में शुरू हो जायेगा जोकि निर्यात करने की तिथि अर्थात् अप्रैल १९६४ से बहुत पहले हो जायेगा ।

†मूल अंग्रेजी में

नई कोयले की खानें

†१००७. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में खोली गई खुले मुंह वाली तथा नई भूमिगत कोयला खान का उत्पादन तथा विनियोजन का तुलनात्मक व्यय क्या है ; और

(ख) क्या नई खान चालू करने से पहले सभी टैक्नीकल बातों पर विचार कर लिया जाता है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र में नई खान परियोजना चालू करने से पूर्व चाहे वह खान खुले मुंह वाली हो अथवा भूमिगत हो उस के प्रविधिक तथा आर्थिक ब्योरों पर सावधानी से विचार किया जाता है । प्रत्येक परियोजना के व्यय की कई बातों जैसे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, भूमिगत खानों में कोयले की परतों की गहराई, खुले मुंह की खानों में कोयले के भार का अनुपात तथा स्थापित किए जाने वाले यंत्र का प्रकार, पर आधारित रहते हैं । खुले मुंह की खानों में उत्पादन व्यय सामान्यतः कम होता है परन्तु उत्पादित कोयला भी घटिया किस्म का होता है । इसलिए खुले मुंह वाली तथा भूमिगत खानों के लाभ सरकारी क्षेत्र में एक समान ही होते हैं क्योंकि इस प्रकार कोयला मूल्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित मूल्य १.७५ रुपये प्रति टन हो जाता है ।

चीनी जासूसों की गिरफ्तारी

†१००८. **श्री हेम बरुआ :**
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २६ अक्तूबर, १९६२ से आसाम, बंगाल और नेफा में चीनी जासूस अथवा एजेंट गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त क्षेत्रों में अलग अलग उनकी क्या संख्या है ?

†**गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). २६ अक्तूबर, १९६२ से नीचे बताये अनुसार २,१३० चीनी गिरफ्तार किये गये :—

राज्य	गिरफ्तार चीनी
आसाम	१,३१३
पश्चिमी बंगाल . . .	८१७
नेफा	—
जोड़ .	२,१३०

इन चीनियों को इस लिये गिरफ्तार किया गया था कि इनको स्वतन्त्र रखना देश की सुरक्षा के लिये हानिकारक था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशियों की गिरफ्तारी

†१००९. श्री महेश्वर नायक :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री मोहसिन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २६ अक्तूबर, १९६२ से कितने विदेशी गिरफ्तार किये गये, उनपर मुकदमें चलाये गये, निरुद्ध किये गये ; तथा नजर बन्द किये गये ; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी तथा राष्ट्रीयतावार उनकी संख्या क्या है ?

†गृह कार्य मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दातार): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीयता	गिरफ्तार विदेशी	जिन विदेशियों पर मुकदमा चलाया गया	निरुद्ध विदेशी	नजरबन्द विदेशी	जोड़
अफगान .	४	६	—		१०
अमरीकी	—	१	—		१
चीनी . .	१	३२	९	२१२०	२१६२
डेनमार्क के .	—	१	—	—	१
ईरानी . .	—	१	—		१
इटली के .	—	२	—	—	२
नाव के . .	—	१	—		१
पोलेंड के .	२	—	—	—	२
पुर्तगाली .	—	१	—	—	१
सीरिया के .	१	—	—	—	१
जोड़ .	८	४५	९	२१२०	२१८२

इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल नहीं है :—

(एक) मैसूर तथा राजस्थान राज्यों तथा गोआ, दमन और दीव संघराज्य क्षत्र प्रशासन सम्बन्धी ।

(दो) राष्ट्रमंडलीय देशों (पाकिस्तान समेत) के नागरिकों संबंधी ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में मिट्टी के तेल पर मुनाफाखोरी करने वालों की गिरफ्तारी

†१०१०. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रामसेवक यादव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ६ दिसम्बर, १९६२ से मिट्टी के तेल पर मुनाफाखोरी करने वालों के विरुद्ध आन्दोलन में राजधानी में कितनी गिरफ्तारियां की गई ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाही की गई ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)**: (क) ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) एक पर मुकदमा चलाया गया था तथा ९ महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया था। तीन के विरुद्ध अदालत में मुकदमा चल रहा है और एक का मामला जांच के अन्तर्गत है।

आदिम जातियों के लोगों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा

†१०११. **श्री ह० चं० सौय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन आदिम जातियों के लोगों के बच्चों का कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है जो प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा से नहीं पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) और (ख) हाल में ही इस समस्या की अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित आदिम जाति आयोग ने जांच की थी। आयोग की सिफारिशें प्रतिवेदन (पृष्ठ २२५—२२७) के पैराग्राफ १८·२७—१८·३२ में हैं। भारत सरकार ने इनको सिद्धांततः स्वीकार कर लिया है।

आदिम जातियों की भाषा को शिक्षा माध्यम बनाने समेत आदिम जातियों की सभी शिक्षा समस्याओं पर विशेष एकक में अध्ययन करने का विचार है जिसको राष्ट्रीय शिक्षा संस्था में बनाने का निर्णय किया गया है। इस कार्य के लिये एक योजना बनाई गई है और उसको शीघ्र ही लागू कर दिया जायेगा।

बिहार में क्यानाइट की खानें

†१०१२. **श्री ह० चं० सौय** : क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यानाइट के खनन में लगी हुए विभिन्न समवायों के हानिकारक तथा गलत तरीकों इस्तेमाल से क्या क्यानाइट की खानों में नुकसान हो रहा है और उनका उत्पादन बहुत कम हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्यवहन के तरीकों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और इंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किय गये निरीक्षणों से पता लगा है कि अधिकांश खानों में काम ठीक तरह से हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ खानों में खानों के काम में कुछ खराबी पाई गई और सुधार के कार्य बता दिये गये। बिहार में क्याजाइट के उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है। सच यह है कि १६५६ से उत्पादन लगातार बढ़ रहा है।

(ख) जहां पर खराबी बताई गयी है वहां पर शीघ्रता से निरीक्षण करने का विचार है जिससे खान के मालिक निरीक्षण अधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करने के लिये उचित कदम उठायें।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु

१०१३. **श्री भक्त दर्शन :** क्या गृह-कार्य मंत्री ११ दिसम्बर, १६६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा ५५ से बढ़ा कर ५८ वर्ष करने के निर्णय के सम्बन्ध में इस बीच क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में इस समय काम करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में उक्त निर्णय किस प्रकार लागू किया जायेगा ; और

(ग) राज्य सरकार के कर्मचारियों की आयु सीमा में वृद्धि करने के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार) : (क) सेवानिवृत्ति की आयु ५८ वर्ष तक बढ़ाने से सम्बन्धित एक आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा चुका है।

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं (मृत्यु व सेवानिवृत्ति लाभ) के नियम, १६५८ को संशोधित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ग) इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

चीनी राष्ट्रजन

१०१४. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री हेम राज :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से चीन के आक्रमण के कारण संकट की स्थिति की घोषणा की गई है, तब से लेकर अब तक कितने चीनी नागरिकों को नजर बन्द किया गया है ;

(ख) इसी अवधि में कितने चीनी विभिन्न अपराधों के लिये दंडित किये गये ;

(ग) कितने चीनियों को अब तक इस देश से निष्कासित किया जा चुका है ; और

(घ) हमारे देश में चीनी नागरिकों की आपत्तिजनक हरकतों पर अंकुश लगाने के लिये और कौन से कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :** (क) २१२०।

(ख) २।

(ग) कोई नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) वे सारे चीनी नागरिक, जिनका स्वतन्त्र रूप से रहना सुरक्षा के लिये अहितकर समझा गया, नजरबन्द कर लिये गये हैं। अन्यों की गति-विधियों पर उपयुक्त प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं।

पवन शक्ति

१०१५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री ८ अगस्त १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल जिले में पवन शक्ति के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से किये गाने वाले परामर्श का क्या परिणाम हुआ; और

(ख) उक्त जिले में पवन शक्ति की संभावना का निर्धारण करने के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जिले के उन गांवों के नाम पूछे गये थे जहां पानी निकालने के लिए पवन चक्कियां लगाई जा सकें। यह राय दी गई है कि इस क्षेत्र में खुले कुओं की कमी की वजह से पवन चक्कियों का उपयोग नहीं हो सकता। नेशनल एयरोनौटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर द्वारा किये गये इस क्षेत्र के सर्वेक्षण से इस बात की पुष्टि हो गयी है।

भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी

†१०१६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को "कठिन क्षेत्र भत्ता" देना स्वीकार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह भत्ता कितना है तथा इसको किस तिथि से स्वीकार किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने धन का भुगतान किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० म० मो० दास) :** (क) ३६५० मीटर अथवा इससे ऊंचे क्षेत्रों में काम करने वाले भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों को बढ़ी हुई दरों पर दैनिक भत्ता देना स्वीकार किया गया है।

(ख) १५ नवम्बर, १९६२ से प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए क्रमशः ४ रुपये, ३ रुपये, २ रुपये और १.२५ रुपया वर्तमान दरों में बढ़ा दिया गया है।

(ग) विभिन्न क्षेत्रीय एककों से ब्यौरेवार आंकड़े इकट्ठा करने की कार्यवाही की गई है जिससे आवश्यक भुगतान किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

कांचीपुरम् ताल्लुक, मद्रास राज्य में कोयले के निक्षेप

†१०१७. **श्री वारियर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में कांचीपुरम् तालुक के कई स्थानों पर कोयले के निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो कितने कोयले का पता लगा है; और

(ग) क्या निक्षेपों की वाणिज्यिक खोज के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री हजरनवीस)** : (क) अब तक कांचीपुरम् तालुक में कोयले के निक्षेप नहीं मिले हैं। जबकि कुछ स्थानों पर पानी के लिए ड्रिलिंग किया जा रहा था उस समय बोर किये गये छेद में से जो टुकड़े निकले थे उनसे कोयला होने की संभावनाओं का पता लगा है।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अच्छी किस्म का कोयला

†१०१८. **श्री वारियर :**
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार निकट भविष्य में अच्छी किस्म के कोयले का विदेशों से आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस आयात का क्या उद्देश्य है; और

(ग) इस प्रकार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कोयला आयात किया गया है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). चौथी योजना के कुछ प्रस्तावों के बारे में तथा धमन भट्टियों में कच्चा लोहा बनाने के बारे में विदेशों से कोकिंग कोल आयात करने की संभावनाओं को सोचा गया था। परन्तु इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

पेकिंग के प्रसारण

†१०१९. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री रा० गि० दुबे :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग से भारत की दिन प्रतिदिन की घटनाओं के समाचार आकाशवाणी से पहले ही प्रसारित हो जाते हैं क्योंकि भारत में कुछ व्यक्ति ट्रांसमीटरों के द्वारा उनको वहां भेज देते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इसका पता लगाने की कोई जांच की गई है कि यह संदेश किन मोटरों पर भेजे जाते हैं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

सेना में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधायें

†१०२०. **श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे विद्यार्थियों को, जो सेना में भरती हो जाते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करने की सुविधायें देने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). भारत सरकार विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के बारे में विचार कर रही है ।

भारत में तेल शोधक कारखानें

†१०२१. { **श्री अ० क० गोपालन** :
श्री प० कुन्हन् :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री मन्त्री :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल शोधक कारखानों की तेल साफ करने की वर्तमान क्षमता क्या है; और

(ख) तेल साफ करने की क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० डे० मालवीय)** : (क) ८५ लाख ५ हजार टन वार्षिक ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के नूनमती, बरौनी तथा कोयली के तेल शोधक कारखानों की क्षमता को १९६५-६६ तक ४७ लाख ५ हजार टन वार्षिक से लगभग ७२ लाख ५ हजार टन वार्षिक बढ़ाने के लिए तथा गैर सरकारी क्षेत्र में ६४ लाख टन से ७८ लाख टन बढ़ाने के लिए आरम्भिक कार्यवाही की गई है । दक्षिण भारत में उपयुक्त स्थान पर लगभग २५ लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है ।

सिंगरेनी कोयला खानों के लिये विद्युत् जननयन्त्र[1]

†१०२२. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी को १७ से १८ किलोवाट के विद्युत् जनन यंत्र (पावर पैकेज सैट) के क्रय के लिए इस बीच आयात लाइसेंस जारी कर दिये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Power Package Set.

(ख) यदि हां, तो किस देश से इस विद्युत् जनन यंत्र का आयात किया जा रहा है; और

(ग) इस यंत्र की अनुमानित लागत क्या है ?

†**खान और ईंधन मन्त्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत सरकार ने प्रत्येक ६ मैगावाट का ३ जैनेरेटर सैट खरीदने के लिए सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा स्वीकार की है ।

(ख) प्राप्त टैंडरों के आधार पर रुमानिया के प्रस्ताव स्वीकार किये गये हैं और इसलिए यंत्रों को वहां से आयात किया गया है ।

(ग) ११६ लाख रुपये ।

सिंगरेनी कोयला खान के लिये स्वीकृत धनराशि

†**१०२३. श्री पें० वेंकटासुब्बया** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री १० नवम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में सिंगरेनी कोयला खान कम्पनी को अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

†**खान तथा ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : कम्पनी के लिए १९६२-६३ के पुनरीक्षित आय-व्ययक प्राक्कलनों में समस्त राशि पर २०० लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति कम्पनी को दी गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सूर्य वर्ष

†**१०२४. श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय सूर्य वर्ष के कार्यक्रम में भाग लेने का निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस के सम्बन्ध में भारत की अनुसूचित योजना तथा उसके वित्तीय आंकड़ों का क्या ब्यौरा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत की योजना के अनुसार भारत, अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष के समान, ही सभी भू-भौतिकीय कार्यों जैसे आयन मण्डलीय भौतिक शास्त्र[1], मेरूज्योति[2], तथा एयरग्लो, भू-चुम्बकत्व[3], अंतरिक्ष किरण[4], एयरोनामी, मौसम विज्ञान[5] तथा सूर्य की क्रियायें, में भाग लेगा । अन्तरिक्ष अनुसंधान तकनीकी पर अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकीय वर्ष की तुलना में अधिक बल दिया जायेगा । भाग लेने वाले संगठनों के काम की सामान्य योजनाओं का यह कार्यक्रम एक भाग होगा और इसीलिए इस में अधिक वित्त की ज़रूरत नहीं होगी । केवल अन्तरिक्ष अनुसंधान में कुछ वित्त की ज़रूरत होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Conosphenic Physics. [2]Aurora. [3]Geomagnetism. [4]Cosmic rays. [5]Meterology.

केन्द्रीय ईंधन अनुसन्धान संस्था, जीलगोड़ा

†१०२५. **श्री बिशनचन्द्र सेठ**: क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था, जीलगोड़ा ने ऐसे तरीके का विकास किया है कि जिस से पैट्रोल को जमाया जा सके और उसका ऊंचाई पर प्रयोग किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने लैबोरेटरीज़ से कहा है कि प्रतिरक्षा प्रयत्नों पर अधिक ध्यान दें ; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान लैबोरेटरीज़ ने प्रतिरक्षा प्रयत्नों को बढ़ाने में कितनी सहायता दी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ग). जी हां ।

(ख) और (घ). इसके लिए ब्यौरे बताना लोकहित में नहीं है ।

रूसी वैज्ञानिकों का दौरा

†१०२६. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही दो रूसी वैज्ञानिकों ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनका यहां आने का क्या उद्देश्य था ;

(ग) वह किन-किन स्थानों पर गये थे ;

(घ) क्या उन्हों ने भारत में प्रविधिक तथा वैज्ञानिक संस्थाओं के विकास के कोई सुझाव दिए हैं ;

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(च) सरकार ने उनके कितने सुझाव स्वीकार कर लिये हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

(ख) विश्वविद्यालयों में तथा भारतीय वैज्ञानिक तथा प्रविधिक संस्थाओं में भाषण देने के लिए ।

(ग) दिल्ली, धनबाद, कलकत्ता, खड़गपुर, वाल्टेयर, मद्रास, हैदराबाद, आगरा, रुड़की तथा देहरादून ।

(घ) और (ङ). उन्होंने परामर्श दिया है कि इन संस्थाओं के अध्यापकों को पाठ्यपुस्तकें लिखनी चाहिएं । उन्होंने विशेष यंत्र तथा अनुसंधान के बारे में भी परामर्श दिया था ।

(च) सुझावों को संबंधित संस्थाओं को भेज दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिषिद्ध चीनी साहित्य का परिचालन

†१०२७. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह संवाद प्राप्त हुए हैं कि प्रतिषिद्ध चीनी प्रचारात्मक साहित्य हमारे देश में अभी परिचालित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विरुद्ध क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). ऐसे साहित्य को परिचालित करने के प्रयत्नों के कुछ उदाहरण सामने आये हैं और ऐसे समस्त साहित्य को ज़ब्त कर लिया गया है। पुलिस, डाक-तार तथा सीमाशुल्क विभाग के अधिकारीगण देश में इसका प्रवेश अथवा परिचालन रोकने की दृष्टि से निगरानी रख रहे हैं ।

विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिये यूनेस्को द्वारा सहायता

†१०२८. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा संस्थाओं में विज्ञान की शिक्षा में सुधार करने के लिए यूनेस्को ने भारत की सहायता करने का वचन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या करार पर हस्ताक्षर हो गए हैं ; और

(ग) उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जी, हां ।

(ग) संयुक्त राष्ट्र प्रसारित प्रविधिक सहायता कार्यक्रम[1] के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रसार एवं सुधार के लिए और उत्तर-स्नातकों के विज्ञान की शिक्षा के उन्नत केन्द्रों तथा चुने हुए विश्वविद्यालयों पर गवेषणा के विकास के लिए यूनेस्को प्रविधिक सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है ।

२. माध्यमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा के प्रसार तथा सुधार के लिए उपलब्ध सहायता नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजूकेशन तथा चार प्रादेशिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के विज्ञान की शिक्षा के विभागों के विकास कार्य में उपयोग की जायेगी । यह सहायता वर्ष १९६२ के दौरान उपकरणों के लिए २,००,००० डालर तथा वर्ष १९६३-६४ के दौरान विशेषज्ञों की सेवाओं, अधिछात्रवृत्तियों और उपकरणों के लिए २,७९,००० डालर की होगी ।

३. उत्तर-स्नातकों के विज्ञान की शिक्षा के उन्नत केन्द्रों तथा चुने हुए विश्वविद्यालयों पर गवेषणा के विकास के लिए उपलब्ध सहायता, कलकत्ता और जादवपुर में व्यावहारिक गणित, उस्मानिया में भूगर्भ शास्त्र और भूभौतिक शास्त्र, दिल्ली और मद्रास में भौतिक शास्त्र, दिल्ली में रसायनशास्त्र तथा मद्रास में वनस्पति शास्त्र का विशिष्टीकरण करने के लिए उपयोग की जायेगी । यह सहायता वर्ष १९६२ के दौरान उपकरणों के लिए ३,००,००० डालर तथा वर्ष १९६३-६४ के दौरान विशेषज्ञों की सेवाओं, अधिछात्रवृत्तियों और उपकरणों के लिए १,०५,००० डालर की होगी ।

४. वर्ष १९६५-६६ तथा १९६७-६८ के दौरान भी उपर्युल्लिखित योजनाओं के लिए अग्रेतर सहायता उपलब्ध होने की आशा है किन्तु इस सहायता की मात्रा निर्धारित व स्वीकृत की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1] United Nations Expanded Technical Assistance Programme.

आपात के दौरान शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिये व्यवस्था

†१०२९. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आपात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में शिक्षा के लिए की गई व्यवस्था में कमी करने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) इस निश्चय का किन योजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में व्यक्तियों का बन्दीकरण

†१०३०. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम, १९६२ के अधीन दिल्ली में कुछ व्यक्ति बन्दी किए गए हैं ;

(ख) कितने व्यक्ति बन्दी किए गए हैं तथा कितनी अवधि के लिए ; और

(ग) न्यायालयों में कितने वादों का परीक्षण हो रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). भारत के प्रतिरक्षा नियम, १९६२, के अधीन दिल्ली में अभी तक ३५ व्यक्ति बन्दी किये गये हैं। इस में वे ९ व्यक्ति भी सम्मिलित हैं जो कथित नियमों के नियम ३० के अधीन निरुद्ध किये गये थे और अब रिहा कर दिए गए हैं। शेष २६ व्यक्ति २३ आपराधिक मामलों में बन्दी किये गये थे। इन में से २२ व्यक्तियों के विरुद्ध १९ वाद न्यायालय में परीक्षण के लिए लम्बित हैं, एक वाद की जांच हो रही है और एक दोषसिद्धि में समाप्त हो गया है। एक वाद में अभियुक्त की मृत्यु हो गई है जबकि दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध वाद रद्द कर दिया गया है ।

संकट काल और शिक्षा

१०३१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संकटकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा पर होने वाले व्ययों में कुछ कटौती की गई ; ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जो नये विश्वविद्यालय खुलने जा रहे थे उनको भी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है ; और

(ग) शिक्षा पर होने वाले व्ययों में किन-किन बातों पर विशेष रूप से कटौती का प्रभाव पड़ेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) जी हां ।

(ख) नये विश्वविद्यालय स्थापित करने का काम राज्य सरकारों का है । हां, आयोजना आयोग ने राज्य सरकारों को सूचित किया है कि वर्तमान संकट की अवधि में नए विश्वविद्यालय स्थापित नहीं किये जायें ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७११/६३]

नूनमती का तेल शोधक कारखाना

†१०३२. **श्री जं० ब० सिं० बिष्ट** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नूनमती का तेल शोधक कारखाना उस की अधिष्ठापित क्षमता का केवल ५० प्रतिशत कार्य कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस की शोधक क्षमता को ७,५०,००० टन से बढ़ा कर १० लाख टन करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सम्भवतः बढ़ी हुई क्षमता लगभग १२ लाख ५० हजार टन होगी ।

कोयला वितरण

†१०३३. **श्री यशपाल सिंह** :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने कोयला वितरण की पुनरीक्षित पद्धति की जांच करने के लिए कोयला उत्पादकों तथा उत्पादकों की एक उप समिति नियुक्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के कब दिए जाने की सम्भावना है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). यह निश्चय किया गया है कि कोयला प्रचुर मात्रा में केवल ब्लाक-रेकों द्वारा ही भेजा जायगा । फरवरी, १९६३ से ७० प्रतिशत कोयले को ब्लाक-रेकों द्वारा भेजना सम्भव हो जायेगा । इस से अधिकांश उपभोक्ताओं को कोयला मिल सकेगा । इस बात की जांच करने के लिए कि योजना का विस्तार शेष उपभोक्ताओं के लिए किस सीमा तक किया जा सकता है, विभिन्न दलों की एक उपसमिति नियुक्त की गई है जिस में कोयला उत्पादक और उपभोक्ता भी सम्मिलित हैं । प्रतिवेदन को अप्रैल, १९६३ के अन्त तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल में आत्म-निर्भरता

†१०३४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद दल ने तेल में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव दिए हैं ;

(ख) सरकार इन सुझावों से कहां तक सहमत हो गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि रूस और रूमानिया के विशेषज्ञों ने अपने प्रतिवेदन में यह संकेत किया था कि भारतीय तेल उद्योग के सम्मुख मूल समस्या प्रविधिक ज्ञान तथा उपकरणों का अभाव है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या पग उठा रही है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) सुझाव (१) अशोधित तेल के उत्पादन, (२) शोधन क्षमता और (३) उपकरणों के निर्माण के सम्बन्ध में दिए गए हैं। ब्यौरे राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद दल के प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि में उपलब्ध हैं जो कि संसद पुस्तकालय में प्राप्य हैं ।

(ख) दल का प्रतिवेदन १३-१२-६२ को प्राप्त हुआ था और उसकी जांच हो रही है ।

(ग) यह स्पष्ट नहीं है कि रूस और रूमानिया के विशेषज्ञों के किन प्रतिवेदनों को सम्बोन्धित किया गया है ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । फिर भी, रूस और रूमानिया द्वारा प्रस्तावित ऋणों तथा इन देशों के साथ हुए व्यापार योजना के प्रबन्धों के अन्तर्गत तेल निकालने वाले व अन्य उत्पादन तथा शोधन सम्बन्धी उपकरणों को प्राप्त करने का प्रबन्ध कर लिया गया है । तेल की खोज को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपकरण तथा संचार आदि यूरोप के अन्य देशों तथा अमेरिका से भी प्राप्त कर लिये गये हैं । विभिन्न प्रविधिक साहयता कार्यक्रमों तथा रूस रूमानिया और अन्य देशों के सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रदान की गई भारतीय प्रविधिकों की विदेशों में प्रशिक्षण के लिये सुविधाओं का पूर्ण लाभ उठाया जा रहा है ।

भारत में उपलब्ध शिक्षण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में एक प्रशिक्षण, तथा गवेषणा पक्ष स्थापित कर दिया गया है और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद के अन्तर्गत पेट्रोलियम की भारतीय संस्था भी स्थापित कर दी गई है ।

अग्रेतर, भारत में तेल उद्योग के विकास के लिए अपेक्षित यंत्रों तथा साज संभार के निर्माण की योजनाएं भी सरकार के विचाराधीन हैं ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया भवन

†१०३५. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया भवन मथुरा रोड, नई दिल्ली पर बन कर तैयार हो गया है परन्तु अभी तक खाली पड़ा है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो भवन में जाने तथा उसका उचित उपयोग करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ।

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी, नहीं। भवन अभी पूरा तैयार नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अंकलेश्वर में तेल

†१०३६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल के उत्पादन में वृद्धि करने की कोई सभावना है ;

(ख) क्या इस समय उस क्षेत्र में वहां के प्रारम्भिक अनुमान से अधिक तेल का उत्पादन किया जा रहा है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, हां। अगले कुछ ही महीनों में अंकलेश्वर क्षेत्र में तेल के उत्पादन की वर्तमान दर को १५०० टन प्रति दिन से बढ़ा कर २००० टन प्रति दिन से ऊपर करने की सम्भावना है ।

(ख) जी, नहीं । उत्पादन की वर्तमान दर इस क्षेत्र के पूर्ण विकास के पश्चात् की गई अनुमानित दर से कम है परन्तु सच यह है कि रक्षित भण्डारों के अनुमान हाल ही में बढ़ गए हैं।

आंध्र प्रदेश के बंगमपल्ले क्षेत्र में हीरे

†१०३७. **श्री पें० वेंकटासुब्बया**: क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के बंगमपल्ले क्षेत्र में हीरों की खानें खोजने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अनुज्ञप्तियां किनको प्रदान की गई थीं ; और

(ग) क्या सरकार का इस कार्य को सरकारी क्षेत्र में करने का विचार है ?

†खान और ईंधन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री हजारनवीस) : (क) से (ग). सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इंजीनियर तथा टैक्नीशियन

†१०३८. **श्री दीनेन भट्टाचार्य** :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :

क्या वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिससे विद्यमान संस्थाओं से प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलने वाले इंजीनियरों तथा शिल्पियों (टैक्निशियनों) की संख्या में वृद्धि हो ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां । यह प्रस्ताव है कि :

(१) वर्तमान संस्थाओं में प्रथम डिग्री कोर्स के प्रवेश में ३००० तथा डिप्लोमा कोर्स के प्रवेश में ६००० की वृद्धि की जाये ।

(२) लगभग २५ केन्द्रों में आंशिक-काल डिप्लोमा कोर्स के लिए प्रत्येक पर १०० प्रवेश प्रारम्भ किये जायें ।

(३) चुने हुए केन्द्रों पर शिल्पियों के लिए विशिष्ट द्विवर्षीय डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ किये जायें ।

(४) विज्ञान के स्नातकों के लिए इंजीनियरिंग में विशिष्ट त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स प्रारम्भ किए जायें ।

(५) डिप्लोमा धारियों के लिए विशिष्ट डिग्री अथवा तत्समान कोर्स प्रारम्भ किये जायें ।

(६) चुनी हुई संस्थाओं में इस समय डिग्री कोर्स के तृतीय तथा अन्तिम वर्षों में पढ़ने वाले छात्रों के प्रशिक्षण को तीव्र किया जाये ।

विश्वविद्यालयों में विशिष्ट वैज्ञानिक केन्द्र

†**१०३६. श्री दीनेन भट्टाचार्य** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस की सहायता से विश्वविद्यालयों में विशिष्ट वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के मुख्य स्वरूप क्या हैं ; और

(ग) सोवियत संघ ने इस सम्बन्ध में किस प्रकार की और कितनी सहायता देने का प्रस्ताव किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). विवरण, सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ७१२/६३]**

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

†**१०४०. श्री हेमराज**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर प्रति वर्ष १९६१–६२ में कितना व्यय किया गया तथा १९६२–६३ में इसके ऊपर कितना व्यय करने का विचार है ; और

(ख) क्या वर्तमान आपात की स्थिति में बोर्ड को दी गई गाड़ियों को वापस ले लिया गया है और इससे कितनी बचत हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वर्ष १९६१–६२ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड पर १८२.२१ लाख रुपया व्यय किया गया तथा १९६२–६३ में इस पर १९१.३० लाख रुपया व्यय करने का विचार है ।

(ख) जी, नहीं ; बचत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

†१०४१. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय आपात को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आयव्ययक में भारी कटौती कर दी गई है ; और

(ख) क्या सिद्धान्त रूप में, विशेषतया नये विश्वविद्यालयों के लिए जैसे कि जोधपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर विश्वविद्यालय आदि, भवनों के निर्माण के लिए अनुदानों में कमी व कटौती करने का निश्चय कर लिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** :(क) राष्ट्रीय आपात को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के आयव्ययक की जांच की जा रही है ।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, जहां तक सम्भव हो सके, नये भवनों के निर्माण को स्थगित करने का और निर्माणाधीन भवनों पर कम व्यय करने का निश्चय किया है । यह सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा ।

नागा विद्रोही

†१०४२. **श्री प्र० चं० बरुआ**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ४ जनवरी, १९६३ को सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने इम्फल से दीमापुर तक सशस्त्र मार्गरक्षकों के साथ जाते हुए असैनिक मोटर यात्रियों के एक दल पर माओ के निकट आक्रमण किया ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना में कितने व्यक्ति मारे गये ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). ४ जनवरी, १९६३ की प्रातःकाल को, सशस्त्र मार्गरक्षकों के साथ इम्फल से दीमापुर जाने वाले एक मोटर यात्री दल पर सशस्त्र नागा विद्रोहियों ने आक्रमण किया और यात्री दल पर गोली चलाई । यात्री दल ने भी उत्तर में गोली चलाई । गोलीकांड में दो असैनिक यात्री घायल हुए तथा दोनों सुरक्षित बताये जाते हैं ।

(ग) भारतीय दंडसंहिता की धारा १४८/१४९/३०७ तथा भारतीय आयुध अधिनियम की धारा २५ के अन्तर्गत वाद पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी जांच हो रही है । इम्फल से दीमापुर जाने वाले मोटर यात्रियों को असुरक्षित क्षेत्रों में सशस्त्र मार्गदर्शक दिए जाते हैं ।

दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पाये गये शव

†१०४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १८ दिसम्बर, १९६२ को देहली के मेन रेलवे स्टेशन के शंटिंगयार्ड में खड़ी एक बोगी में रेलव पुलिस को दो शव मिले थे जिनको पहिचाना नहीं जा सका ;

(ख) क्या यह विदित हो गया है कि वह व्यक्ति कौन थे ; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) सूचना प्राप्त की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गुजरात के तेल क्षेत्र में गैस तथा पाइप लाइन

†१०४४. **श्री प० जी० नायक** क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के तेल क्षेत्रों में गैस तथा पाइप लाइन का ठेका दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किसको ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). अभी तक गुजरात तेल क्षेत्र में तेल तथा गैस पाइप लाइन लगाने का ठेका नहीं दिया गया है । गुजरात में गैस, अशोधित तेल तथा अन्य उत्पादों के परिवहन के लिए छः या सात पाइप लाइनें लगनी हैं और इस कार्य को SNAM को सौंपने का विचार है जो कि ENT कम्पनियों में से एक है । कार्य करने के लिए दरों के विषय में चर्चा चल रही है । तब तक 'इंडियन रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड' ने SNAM के साथ पाइपलाइनों के रूपांकन के लिए ठेका कर लिया है ।

सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें

†१०४५. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों ने मारे गये या लापता सैनिकों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है;

(ख) क्या यह असैनिकों पर भी लागू होती है;

(ग) क्या भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों ने उस श्रेणी या कक्षा का उल्लेख किया है जहां तक यह शिक्षा सुविधा दी जायेगी; और

(घ) क्या इस योजना को चालू कर दिया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). जब से वर्तमान आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई है, भारत सरकार ने सेना अधिकारियों (लड़ने वाले जे० सी० ओज०, सेना की अन्य श्रेणियां तथा वायु सेना और जल सेना में तत्समान् पदालियां) और उन सभी व्यक्तियों के बच्चों के लिये, जो युद्धक्षेत्र में लड़ते हुए मारे गये हैं या अंगहीन हो गये हैं, विभिन्न संघ राज्य-क्षेत्रों में शिक्षा को निशुल्क बना दिया है । यह सुविधा कालेज स्तर तक उन संस्थाओं में उपलब्ध है जो या तो सरकार अथवा स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जाती हैं या उनसे सहायता प्राप्त करती हैं । चारों केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने भी ऐसी ही सुविधायें देना स्वीकार कर लिया है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों से भी ऐसी सुविधायें देने के लिये कहा है । जिन राज्य सरकारों से अब तक सूचना प्राप्त हुई है, उन्होंने ऐसी सुविधायें प्रदान कर दी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जम्मू तथा काश्मीर के पुलिस के भूतपूर्व इन्स्पैक्टर जनरल

†१०४६. **श्री बड़े** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के पुलिस के भूतपूर्व इन्स्पैक्टर-जनरल पाकिस्तान चले गये हैं और उनका नाम मियां अब्दुल रशीद है; और

(ख) क्या कथित भूतपूर्व इन्स्पैक्टर-जेनरल को आजाद काश्मीर के गुप्तचर विभाग का मुख्याधिकारी नियुक्त किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है । तथापि, पाकिस्तानी समाचारपत्रों ने इस बात का खंडन किया है ।

ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा संस्थायें

†१०४७. **श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक कितने ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा ग्रामीण संस्थायें स्थापित की गई हैं; और

(ख) ग्राम्य पृष्ठभूमि पर शिक्षा के विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों को प्रविधिक और अन्य प्रकार का विविध प्रशिक्षण देने के जिस उद्देश्य को ले कर ये विश्वविद्यालय तथा संस्थायें बनाई गई थीं, उनमें कहां तक सफलता मिली है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). ग्रामीण युवक-युवतियों को उनके अपने ही वातावरण में उत्तम कोटि की तथा सामुदायिक आवश्यकताओं से मेल खाती हुई उच्च शिक्षा देने के उद्देश्य से इन छः वर्षों में १० राज्यों में, क्षेत्रवार, तेरह ग्रामीण संस्थाओं का विकास किया गया है । कक्षा में प्राप्त किये गये ज्ञान का गांव की परिस्थितियों में व्यावहारिक प्रयोग किये जाने तथा बौद्धिक अध्ययन के अनुसन्धान और विस्तार गतिविधियों के साथ एकीकरण करने पर बल देना इसका प्रमुख पहलू है ।

विविध प्रकार के पाठ्यक्रम में सहकार, सार्वजनिक प्रशासन, घरेलू विज्ञान, समाज सेवा, लघु उद्योग, सामाजिक शिक्षा, असैनिक तथा ग्रामीण इंजीनियरिंग, कृषि और स्वच्छता का प्रशिक्षण सम्मिलित है । ग्राम्य सेवाओं के डिपलोमा को भारत सरकार, सभी राज्य सरकारों तथा १९ विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है । इसी प्रकार, अन्य पाठ्यक्रमों को भी सम्बन्धित राज्य सरकारों ने मान्यता दे दी है ।

ग्राम समुदाय पर ग्रामीण संस्था का जो पहला प्रभाव पड़ा है वह है ग्रामीण लोगों में उच्चतर जीवन के प्रति सजगता और विद्यार्थियों में जीवन के ग्राम्य ढंगों के प्रति सहृदयता का उत्पन्न होना । उनके विस्तार कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें हैं : (१) ग्रामीण जीवन के सभी अंग जैसे कि अच्छे बीजों, उर्वरकों और खेती-बाड़ी के औजारों का प्रचलन, मल तथा जल के लिये गढ़े खोदना और भरना, पशु-रोगों का नियंत्रण करने के लिये वैक्सीन का प्रयोग, फसलों को कीड़ों और रोगों से बचाने के लिये कीटनाशी दवाइयों का छिड़कना, (२) सड़कें, स्कूलों के भवन, ग्रामीण गृह, जल संभरण, सिंचाई योजनाओं और भूमि के कृष्यकरण के लिये टेक्निकल सहायता, (३)

†मूल अंग्रेजी में

बाल मंडलों का संगठन, तथा (४) सांस्कृतिक कार्यक्रम, साक्षरता के लिये कक्षायें लगाना व सहकारी समितियां और चलते-फिरते पुस्तकालय चलाना।

रोजगार की स्थिति संतोषजनक है तथा विकास कार्यक्रमों में स्नातक उपयोगी सिद्ध हुए हैं।

दिल्ली में भूमि का अर्जन

†१०४८. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, १९५९ से लेकर दिल्ली में कितनी भूमि को अर्जन के लिये अधिसूचित किया गया है;

(ख) अब तक कितनी भूमि का विकास हुआ है;

(ग) जनता को अब तक गृह-निर्माण तथा औद्योगिक प्रयोजनों के लिये अलग अलग कितने प्लाटों का आवंटन किया गया है;

(घ) गृह-निर्माण सहकारी समितियों और औद्योगिक सहकारी समितियों को अब तक कितनी भूमि का आवंटन किया गया है; और

(ङ) इन योजनाओं में क्या प्रगति हुई है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) लगभग ५०,००० एकड़।

(ख) लगभग २,९४५ एकड़ भूमि का विकास हो रहा ह ।

(ग) विकास हो जाने के बाद ही जनता को औद्योगिक और गृह-निर्माण प्रयोजनों के लिये प्लाट मिल सकेंगे। कम आय वाले लोगों को २४२ प्लाटों का आवंटन किया गया है जिनका कुल क्षेत्र २६,७६० वर्ग गज है। आवंटन के समय इन प्लाटों का अभी विकास हो रहा था और इस काम के पूरा हो जाने पर ही आवंटियों को इन प्लाटों का कब्जा दिया जायेगा।

(घ) गृह-निर्माण सहकारी समितियों को लगभग ६२० एकड़ भूमि पहले ही आवंटित हो चुकी है और लगभग ५०० एकड़ भूमि औद्योगिक बस्ती सहकारी समितियों को आवंटन के लिये प्रस्तुत की गई है ।

(ङ) आशा है कि लगभग २,००० विकसित प्लाट शीघ्र ही आवंटन के लिये तैयार हो जायेंगे ।

औद्योगिक बस्ती सहकारी समितियों को आवंटन उस समय होगा जैसे ही वे भूमि का मूल्य, जो कि उन्हें जमा कराने के लिये कहा गया है, सरकार को दे देंगे।

गृह-निर्माण सहकारी समितियां, जिन्हें भूमि का आवंटन कर दिया गया है, अपने खाके तैयार कर रही हैं और आवंटित भूमि के विकास के लिये योजनायें बना रही हैं।

दिल्ली फायर सर्विस

†१०४९. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली फायर सर्विस (अग्नि शमन सेवा) के प्रसार के लिये द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में क्या उपबन्ध किये गये हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस उपबन्ध का कहां तक उपयोग किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) दिल्ली फायर सर्विस के प्रसार के लिये द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं में कोई उपबन्ध नहीं किया गया है । तथापि, मार्च १९५९ में इस प्रयोजन के लिये ५८ लाख रुपये तक का व्यय स्वीकृत किया गया था जो इन योजनाओं के अधीन नहीं है । अब यह राशि बढ़ा कर ७२.६ लाख रुपये कर दी गई है ।

(ख) दिल्ली निगम ने, जिसका इसके साथ सम्बन्ध है, अब तक २५ लाख रुपये का व्यय किया है ।

प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समाचारों का प्रकाशन

†**१०५०. श्री यु० द० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत की प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली सामग्री के प्रकाशन के विरुद्ध समाचारपत्रों को कोई चेतावनी दी है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचारपत्रों के नाम क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). अखिल भारतीय समाचारपत्र सम्पादक सम्मेलन द्वारा नियुक्त की गई केन्द्रीय प्रेस मंत्रणा समिति के साथ परामर्श करने के बाद सरकार ने बम्बई के अंग्रेजी साप्ताहिक "दि करंट", देहली के अंग्रेजी साप्ताहिक "आर्गेनाइजर", बम्बई के उर्दू दैनिक "हिन्दुस्थान" तथा लखनऊ के हिन्दी साप्ताहिक "पंचजन्य" के सम्पादकों, मुद्रकों और प्रकाशकों को चेतावनी दी है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

'टस्कर' परियोजनाओं में कथित अनियमितताएं

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : (जोधपुर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके संबंध में एक वक्तव्य दें :

"टस्कर परियोजना में अनियमितताएं"

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वान)** : समय समय पर सीमांत सड़क विकास बोर्ड द्वारा स्वीकृत 'उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी' और आसाम में परियोजनाओं के आयोजन और निष्पादन के लिये मई १९६० में एक मुख्य इंजीनियर संगठन 'परियोजना टस्कर' स्थापित किया गया था जिसका मुख्य कार्यालय तेजपुर में बनाया गया था । इन परियोजनाओं को विभागीय रूप में कार्यान्वित किया गया । बोर्ड ने इस प्रयोजन के लिये आम भरती से असैनिक इंजीनियरों को लेकर उन्हें सैनिक स्तर पर सामान्य रक्षित इंजीनियर बल संगठित किया वे केवल अनुशासन के बारे में ही सैनिक अधिनियम के अधीन आते हैं । परियोजनाओं

---

†मूल अंग्रेजी में

को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिये सैनिक अधिकारी तथा अन्य वर्ग भी इसमें नियुक्त किये गये ।

अग्रिम क्षेत्रों में सड़क निर्माण परियोजनाओं में कोई ठेकेदार नियुक्त नहीं किये गये थे, तथापि यह आवश्यक था कि भंडार तथा सामग्री के संभरण के लिये अथवा पुल अथवा सहायक भवन जैसे कार्यालय, कर्मशाला आदि के निर्माण के लिये अथवा मनुष्यों और सामग्री के ले जाने के लिये कोई ठेका किया जाये ।

उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि संभरण आदि के ठेके केवल भारतीय राष्ट्रजनों को दिये गये 'उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी' में जहां निर्माण कार्य चल रहा था विदेशी राष्ट्रजन बिना परमिट के नहीं जा सकते थे ।

उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी में चीनी आक्रमण के दौरान मुख्य इंजीनियर संगठन पर सौंपे गये कार्य में असावधानी के बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । बल्कि २० नवम्बर १९६२ के बाद शीघ्र ही कर्मचारियों के बर्ताव और आचरण के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं कि वे परियोजना-स्थल से भाग खड़े हुए और भयात्मक ढंग से व्यवहार किया । तथा पर्याप्त मात्रा में मशीनों और उपकरणों को नष्ट कर दिया । वित्तीय मामलों में निष्पक्षता की कमी और सड़कों के निर्माण में त्रुटियों के बारे में भी बताया गया है । उक्त आरोपों की जांच की जा रही है ।'

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** क्या सरकार को यह ज्ञात है कि चीनी राष्ट्रजनों को कुछ ठेके दिये गये हैं ? क्या सरकार ने इन संवाद का स्रोत जानने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** हमें इन जानकारियों का स्रोत पता नहीं है । अतः हम इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं दे सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : तस्कर के विरुद्ध जो भयंकर आरोप लगाये गये हैं सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें नहीं होने पावें ?

†**श्री यशवन्त राव चह्वाण :** आरोपों की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं । हमें जांच के नतीजे की प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

सभा पटल में रखे गये पत्र

श्वेत पत्र संख्या ८

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** मैं श्वेत पत्र संख्या ८ की एक प्रति जिसमें अक्तूबर, १९६२ और जनवरी, १९६३ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक-दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुए हैं की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ६९३ / ६३)

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२

†**खान और ईंधन उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं श्री के० दे० मालवीय की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०६ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६९४/६३ ।)

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली की वार्षिक प्रतिवेदन लखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहति ।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६९५/६३)

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६९६/६३)

जांच आयोग (डालमिया जैन कम्पनियों के प्रशासन की जांच) का प्रतिवेदन

†**श्रम तथा रोजगार तथा योजना मंत्रालय में उपमंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन)** : मैं श्री कानूनगो की ओर से मैं जांच आयोग (डालमिया जैन कम्पनियों के प्रशासन की जांच) का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६९७ / ६३)

संविधान के अनुच्छेद ३२० के अधीन अधिसूचनायें इत्यादि

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)**: मैं श्री दातार की ओर से संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (३) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४४ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्त) द्वितीय संशोधन नियम, १९६२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८९ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, १९६२ ।

(पुस्तकालय में रखी गई देखिय संख्या एल० टी० ६९८/६३)

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्पर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७२९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एल० टी० ६९९/६३)

(दो) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७३० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, १९६२ ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७००/६३)

माजेगांव गोदी लिमिटेड, बम्बई तथा गार्डन रीच वर्कशाद लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन

†**प्रतिरक्षा मंत्रात्य में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : मैं समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये माजगांव गोदी लिमिटेड, बम्बई की वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० ७०१/६३)

(दो) ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पिणियों सहित ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७०२/६३)

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

खान और ईंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १७०७ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

(पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ७०३ / ६३)

---

†मूल अंग्रेजी में

प्राक्कलन समिति

छठा और सातवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

(१) निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय—अशोक होटल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के एक सौ उन्नीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में छठा प्रतिवेदन ।

(२) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय—खाद्य विभाग और चीनी तथा वनस्पति निदेशालय और राष्ट्रीय चीनी प्रतिष्ठान, कानपुर के बारे में प्राक्कलन समिति (दूसरी लोक-सभा) की एक सौ छब्बीसवें और एक सौ सत्ताईसवें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में सातवां प्रतिवेदन ।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मैं राज्य सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(१) कि राज्य सभा ने अपनी २१ जनवरी, १९६३ की बैठक में विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी २१ जनवरी, १९६३ की बैठक में परिसीमन विधेयक १९६३ को पास कर दिया है ।

(३) कि राज्य सभा ने अपनी २२ जनवरी, १९६३ की बैठक में दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक सभा पटल पर रखे गये

†**सचिव** : मैं राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३

(२) परिसीमन विधेयक, १९६३

(३) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३

---

†मूल अंग्रेजी में

कोलम्बो सम्मेलन की प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : प्वाइंट आफ आर्डर । प्रधान मंत्री जो यह प्रस्ताव रखने जा रहे हैं मैं उससे पहले ही अपना प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : उससे पहले यह नहीं हो सकता ।

श्री राम सेवक यादव : मैं इसलिए पहले अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव रखा नहीं जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : जिस वक्त वह रख लेंगे उस वक्त मैं आपको वक्त दूंगा कि आप अपना प्वाइंट आफ आर्डर रखें, इस वक्त नहीं ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि १० और १२ दिसम्बर, १९६२ के बीच कोलम्बो में हुये छै तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्तावों पर, १२ और १३ जनवरी, १९६३ को भारत के प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई बैठकों में श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों सहित, जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा को टेबल पर रखे गये थे, विचार किया जाये ।'

श्री राम सेवक यादव : इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि नवम्बर में इस माननीय सदन ने इस आशय का प्रस्ताव खड़े हो कर पारित किया था कि जब तक चीनी हमारे देश की पवित्र भूमि के एक एक इंच से खदेड़ नहीं दिए जाते तब तक हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे वह जितना लम्बा और कठिन हो और इस प्रस्ताव को जब हम पारित कर चुके है तो उस प्रस्ताव के रहते हुए यह कोलम्बो प्रस्ताव है, और जो इसके बिल्कुल विपरीत जाता है, नहीं आ सकता । मेरा विनम्र निवेदन है कि यह प्रस्ताव उसके विपरीत है इसलिए इसको यहां पेश नहीं किया जा सकता ।

श्री कि० पटनायक : (सम्बलपुर) : मुझे भी कुछ कहना है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई डिसकशन नहीं है । एक प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया है, उस का जवाब दिया जायेगा ।

पार्लियामेंट एक फैसला ले चुकी है । और अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब प्रस्ताव रखने जा रहे हैं वह इसलिए कि यही पार्लियामेंट इस पर गौर करे । अभी उन्हों ने कुछ कहा नहीं, बतलाया नहीं कि क्या होगा । पार्लियामेंट को पूरा हक है कि वह अपने किसी फैसले में तबदीली करे । अभी तक तो तबदीली का सवाल ही नहीं है । मगर अगर पार्लियामेंट तबदीली करना भी चाहे तो उस को हक है । इस में कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं की जा सकती । प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह नहीं कहा कि मैं बदलता हूं या मैं कोई तबदीली पैदा करता हूं या और कोई चीज लाता हूं । उन्हों ने यही कहा है कि मैं इस को कंसीडर करने के लिए पार्लियामेंट के सामने लाता हूं । तो पार्लियामेंट को हक है कि वह सोचे और गौर करे, या उस ने पहले जो फैसला दिया है उस पर गौर करे । जो चीज पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी उस पर विचार कर सकती है

---

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

और फैसला दे सकती है । तो आखिरी फैसला पार्लियामेंट का ही होगा । इस प्रस्ताव में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पहले प्रस्ताव के बखिलाफ हो ।

श्री कि० पटनायक : आज के अखबार में आया है कि प्रधान मंत्री ने इन प्रिंसिपल कोलम्बो प्रोपोज़ल को स्वीकृति दे दी है । अगर यह सही है तो फिर इस पर विचार करना फिजूल है । पहले प्रधान मंत्री साहब यह कहें कि उन्हों ने ऐसा नहीं कहा ।

अध्यक्ष महोदय : पहले आप उन की स्पीच तो सुनिए कि वह क्या कहना चाहते हैं ।

श्री कि० पटनायक : पहले आप तो मेरी बात सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी बात सुनी और तब कहा कि आप उनकी स्पीच सुन लीजिए ।

श्री कि० पटनायक : मैं ने अभी खत्म नहीं किया है ।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप दो घंटे तक खत्म नहीं करेंगे तो यह बात कब तक चलती रहेगी । आप ने जो कहा था उस का जवाब मैं ने दे दिया । मेरी समझ में नहीं आता कि जब लीडर बोलते हैं तो फिर दूसरे मेम्बर क्या कहना चाहते हैं ।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह बैठ जायें ।

श्री कि० पटनायक : मैं ने उस का दूसरा पहलू भी आप के सामने रक्खा जोकि अख़बार में आ गया है । आप ने कहा कि पार्लियामेंट का जो निश्चय था उस में कोई तबदीली नहीं हुई है, तो मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट ने जो राय रक्खी थी उस के भीतर ही इस बीच में प्रधान मंत्री जी ने कुछ कर दिया है और जोकि पार्लियामेंट के उस निश्चय के खिलाफ है । इस के लिए उन को इस पार्लियामेंट में माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि पार्लियामेंट ने जो निश्चय किया है उस के खिलाफ उन्हों ने कुछ किया है . . . **(अन्तर्बाधा)**

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन यह है कि अभी आप ने कहा कि प्रधान मंत्री जी उस फ़ैसले के खिलाफ़ कोई निर्णय लेने नहीं जा रहे हैं, उस पर कोई निश्चय नहीं करने जा रहे हैं और पार्लियामेंट को हक़ है कि वह अपने पुराने निर्णय को बदल सकती हैं तो यह पुराने निर्णय के बदलने का भी प्रस्ताव नहीं है । इस का मतलब यह है कि १४ नवम्बर का प्रस्ताव हमारा जहां था वहीं पर है । इस से तो हमारे इस कथन में कि प्रधान मंत्री जी के मौजूदा प्रस्ताव पर विचार नहीं होना चाहिए और भी शक्ति आ जाती है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** अध्यक्ष महोदय, मैं हाल में हुई कुछ घटनाओं का उल्लेख करना चाहता हूं जो कि निस्सन्दे है . . . . .

श्री रामेश्वरानन्द : अध्यक्ष महोदय, विषयान्तर । चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय है और प्रधान मंत्री जी को बड़ी अच्छी हिन्दी आती है इसलिए उन्हें अंग्रेजी में अपना भाषण न कर हिन्दी में करना चाहिए . . . . .

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मेरी प्रार्थना सुन लें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की प्रार्थना तब सुनूं जब आप कोई नई बात कहते हों । हमेशा खड़े हो कर आप वही पुरानी हिन्दी में भाषण हों, कहते हैं । इसके अलावा और आप को कुछ कहना नहीं होता है । मैं सुनना नहीं चाहता मैं उन के लीडर से कहूंगा कि इस बात को बंद होना चाहिए । हर दफ़े, हर रोज़ अगर यही चलेगा तो मैं नहीं सुनूंगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : जब तक यहां हिन्दी में नहीं बोलेंगे यह ज़रूर रहेगा । आख़िर इस का मतलब क्या हुआ ? जब देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है और जब हम हिन्दी में भाषण होने के लिए आवाज़ उठाते हैं तो आप हम को दबाना चाहते हैं ? अगर आप की यही नीति है तो आप हिन्दी को कैसे ला सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगर माननीय सदस्य नहीं बैठेंगे तो मुझे हिन्दी को तो नहीं लेकिन उन को ज़रुर दबाना पड़ेगा ।

श्री रामेश्वरानन्द : यह तो मेरे साथ हिन्दी को दबाना है . . . . .

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री रामेश्वरानन्द : हिन्दी को नहीं दबाना है तो फिर हिन्दी बुलवा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठेंगे या नहीं ?

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रधान मंत्री जी हिन्दी, अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में बोलें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्राइम मिनिस्टर और हर एक मेम्बर की अपनी मरज़ी है कि दोनों भाषाओं में से जिस भाषा में वह बोलना चाहें, बोल सकता है । इस वक्त पोज़ीशन यही है ।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं भी प्रार्थना करता हूं कि हिन्दी में बोलें ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मेम्बर साहब का नाम लूंगा कि वह इस हाउस की बाक़ायदा कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं और इस के आगे जो कार्यवाही होगी वह फिर आयेगी ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आप के जरिए प्रधान मंत्री जी से है और वह यह है कि प्रधान मंत्री जी एक बार पिछली पार्लियामेंट में दोनों भाषाओं में बोले थे और जैसाकि स्वामी जी का कहना है यह महत्वपूर्ण विषय है, उन के भी समझने का प्रश्न है और लाखों और करोड़ों देशवासियों को समझना है इसलिए प्रधान मंत्री जी इस अवसर पर दोनों भाषाओं में बोलें, अंग्रेज़ी में भी बोलें और हिन्दी में भी बोलें ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** १० दिसम्बर १९६२ को संसद के पिछले सत्र में चीन के आक्रमण पर चर्चा हुई थी । तथा उस ने सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति का अनुमोदन किया था । तब से कई घटनायें हुई हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री जवाहर लाल नेहरू]

१५ दिसम्बर को भारत और चीन के वाणिज्यिक दूतावास बन्द कर दिये गये । इस दौरान नेफा क्षेत्र से चीनी सेनाओं की वापसी जारी रही यद्यपि चीन द्वारा एकपक्षीय युद्धविराम स्थिति के उल्लंघन की कई सूचनायें मिली हैं । १७ दिसम्बर को चीनियों ने ७१६ बीमार और घायल भारतीय सैनिकों तथा १३ सैनिकों के शव लौटाये । लंका की प्रधान मंत्रिणी श्रीमती भंडायनायक के दूत श्री जी० एस० पीरीज द्वारा कोलम्बो प्रस्ताव नई दिल्ली लाये गये तथा उन्हों ने ये प्रस्ताव प्रधान मंत्री को दिये ।

२६ दिसम्बर १९६२ को चीन और पाकिस्तान द्वारा उन की सीमाओं के सम्बन्ध में सिद्धान्ततः पूर्ण समझौता हो जाने के बारे में एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी ।

चीन और मंगोलिया ने २६ दिसम्बर १९६२ को एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किये ।

प्रधान मंत्री चाउ-एन-लाई न ३० दिसम्बर १९६२ को प्रधान मंत्री के १ दिसम्बर १९६२ के पत्र का उत्तर दिया । प्रधान मंत्री ने इस का उत्तर १ जनवरी १९६३ को भेजा । श्रीमती भंडारनायक ३१ दिसम्बर से ८ जनवरी १९६३ तक पेकिंग रहीं । दिल्ली में घाना प्रतिनिधिमंडल के नेता कोफी अशांटे अफरी आटा, श्रीमती भंडारनायक तथा संयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधिमण्डल के नेता श्री अली साबरी दिल्ली आये । १२ और १३ जनवरी १९६३ के बीच दिल्ली में उक्त तीन प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत हुई । १३ जनवरी को एक संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी ।

चीनी सेनाओं ने १० दिसम्बर १९६२ से पीछे हटना आरम्भ किया था । इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति यह है ।

कमांग सीमांत खंड : राजनैतिक अधिकारी टवांग में २१ जनवरी को पहुंचा, सलाहकार २२ ता० को पहुंचा ।

सुवन्सरी सीमान्त खण्ड : ज्ञात हुआ है कि चीनी सभी खंडों से वापस चले गये हैं ।

सिआंग सीमान्त खंड : चीनी सभी इलाकों से वापस चले गये हैं तथा सभी स्थानों में असैनिक प्रशासन शुरु कर दिया गया है ।

लोहित सीमान्त खंड : वालोंग पर पुनः अधिकार कर लिया है । जब तक चीनी किबुटू से पूरी तरह न हटें तब तक के लिए वहां असैनिक प्रशासन लागू करना निलम्बित कर दिया गया है ।

चीनी प्रस्तावों के उत्तर में हम ने सदैव यह कहा है कि हम तब तक कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं जब तक चीनी अपने आक्रमण के पूर्व ८ सितम्बर १९६२ की स्थिति पर नहीं पहुंच जायेंगे । चीनी प्रस्ताव २४ अक्टूबर को मिले थे जिन्हें हम ने अस्वीकार कर दिया था । यह बात सभा के सम्मुख पहिले ही कई बार आ चुकी है । तथा सारी सभा ने इस पर अपनी सहमति प्रदान की है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : यह बात गलत है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को यह आपत्ति है कि संसद् द्वारा पारित संकल्प में ८ सितम्बर १९६२ की लाइन का कहीं जिक्र भी नहीं था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस लाइन का उल्लेख संकल्प में इस कारण भी किया गया था कि यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। हम नवम्बर के संकल्प पर दृढ़ है और सदैव दृढ़ रहेंगे। मेरे विचार से संकल्प को बदलने का कोई अवसर भी नहीं आया है। २४ अक्टूबर को चीनियों ने वह प्रस्ताव रखा जिसे कि त्रिसूत्रीय प्रस्ताव कहते है। हम उससे सहमत नहीं हुए थे और हमने कहा था कि हम उस पर अस्थायी तौर पर भी विचार नहीं कर सकते है। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि आनुशंगिक घटनाओं से नवम्बर संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने पिछली बार भी यही कहा था कि सितम्बर की लाइन की स्थिति पर पहुंचने के पहिले हम किसी प्रकार की बातचीत नहीं कर सकते है। हम बाद की घटनाओं पर उसी आधार पर विचार करेंगे।

१० दिसम्बर को कोलम्बो सम्मेलन आरम्भ हुआ था। वह १० दिसम्बर से १२ दिसम्बर तब मिला। तत्पश्चात यह ज्ञात नहीं हुआ था कि सम्मेलन क्या प्रस्ताव पारित करेगा तथापि सरकार की ओर से इस बात का संकेत दिया गया था कि हम इस मामले पर भी तभी विचार कर सकते है जबकि सितम्बर ८ के पूर्व की स्थिति कायम की जाये।

कोलम्बो सम्मेलन ने कुछ प्रस्ताव पारित किये तत्पश्चात् वे पेकिंग गये और वहां से दिल्ली आये। उनके मूल प्रस्ताव स्पष्ट नहीं थे तथा उनकी दो या उससे अधिक व्याख्या की जा सकती थी। अतः हमने उनसे अपने प्रस्तावों का स्पष्टीकरण करने को कहा क्योंकि बिना उनके स्पष्टीकरण किये बिना हम उन पर अपनी राय व्यक्त नहीं कर सकते थे।

इस बात पर विचार करते हुए भी हमारे सामने मुख्य प्रश्न यही था ८ सितम्बर से पूर्व की स्थिति कायम की जाये। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम कोलम्बो प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई भी रुख अपनायें अथवा हम उन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई भी कदम उठायें तथापि इससे सीमा के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

इस प्रयत्न का उद्देश्य यही था कि ऐसी स्थिति पैदा की जाये, जब दोनों पक्ष इस विषय पर विचार कर सकें। ऐसी स्थिति से पहले, हमने यह कहा था कि चीनी ७ सितम्बर, के बाद का अतिक्रमण खाली कर दें। अतः नवम्बर में सदन ने जो संकल्प पारित किया था उसे बदलने का सवाल ही नहीं पैदा होता।

कोलम्बो देशों ने विवाद के गुणावगुण पर विचार नहीं किया था। उन्होंने केवल बातचीत का रास्ता तैयार किया है और हम तभी बातचीत कर सकते हैं यदि कुछ शर्तें पूरी की जायें।

ये प्रस्ताव हमारे सीमान्त के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी विभागों के बारे में थे। पूर्वी विभाग के सम्बन्ध में ८ सितम्बर, से पहले की स्थिति यह थी कि चीनी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के उत्तर में थे और भारतीय सेनायें दक्षिण में—सुविधा को इसे मेकमहोन लाइन कहा जाता है, सरकारी तौर पर नहीं और न ही इसे मि० मेकमहोन ने बनाया था। उसने इसे वर्तमान सीमान्त माना था। ऊंचे पहाड़ की यह सीमान्त बर्मा तक जाता है। वास्तव में चीनी सरकार ने इसे मान लिया था। अतः ८ सितम्बर से पहले कोई चीनी सेनाएं उस सीमान्त के पार नहीं आई—केवल लांगजू को छोड़ कर, जो कि बिल्कुल सीमान्त पर है। चीनियों ने इस पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया था और बाद में यह सुझाव दिया गया था कि कोई पक्ष इस पर कब्जा न करे। कोलम्बो सम्मेलन प्रस्ताव स्पष्टीकृत रूप में इस स्थिति की पुष्टि करते है केवल थागला रिज क्षेत्र को छोड़ कर, जिसे चीनी चेजंग क्षेत्र कहते है और जहां हमारी ढोला चौकी है। प्रस्तावों में थागला रिज और लांगजू को ऐसे क्षेत्र कहा गया है, जिनका फैसला भारत और चीन सरकार के बीच सीधी बातचीत द्वारा होगा। इन प्रस्तावों के अनुसार थागला रिज क्षेत्र और ढोला

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

चौकी के बारे में, जो मैकमहोन रेखा से तीन मील भीतर है, छोड़ कर पूर्वी क्षेत्र में ८ सितम्बर की स्थिति पूरी तरह कायम हो गई है । प्रस्तावों के अनुसार इस का फैसला सीधी बातचीत द्वारा किया जायेगा । पूर्वी विभाग के बारे में यह स्थिति है ।

मध्य क्षेत्र में, कोलम्बो सम्मेलन ने यथापूर्व स्थिति कायम रखने का प्रस्ताव किया है । वह भी भारत सरकार की स्थिति के अनुरूप है कि ८ सितम्बर की रेखा कायम की जाये, क्योंकि इस क्षेत्र में कोई झगड़ा नहीं हुआ और वर्तमान स्थिति को छोड़ा नहीं गया ।

पश्चिमी क्षेत्र : अर्थात् लद्दाख में, ८ सितम्बर की रेखा कायम करने का अर्थ है उन सभी भारतीय चौकियों की पुनस्थापना करना है जो नीले नक्शों में दिखाई गई है । ये नक्शे परिचालित किये जा चुके हैं । इसका अर्थ यह है कि उपरोक्त नक्शे में लाल रंग में बताये गये स्थानों पर चीनियों की पुरानी चौकियां बनी रहेंगी । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव के अनुसार चीनी सेनाओं के वापस हटने पर २० किलोमीटर क्षेत्र खाली कर दिया जायेगा और इस क्षेत्र में दोनों देशों की असैनिक चौकियां रहेंगी । यह बात सभा के समक्ष है कि उपरोक्त जिस क्षेत्र में दोनों देशों की असैनिक चौकियां रहेंगी उसमें वह सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है जिसमें समुदों के पश्चिमी भाग की दो या तीन चौकियों के अतिरिक्त ८ सितम्बर से पहले भारतीय चौकियां वाला सारा स्थान सम्मिलित है । चीनी सेनाओं द्वारा २० किलोमीटर पीछे हटने का अर्थ है इस्पंगूर और उसके सुदूर दक्षिणी भाग में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से कई किलोमीटर पीछे चीनी सेनायें हट जायेंगी । कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव और उनसे सम्बन्धित स्पष्टीकरण ८ सितम्बर के पूर्व की यथावत् स्थिति की मांग को पूरा कर देते हैं । सुमदों के पश्चिम में दो या तीन भारतीय चौकियों के बारे में साधारण हेर फेर है । तथापि यह कमी चीनियों के इस्पांगूर और दक्षिण में पीछे हट जाने से पूरी हो जाती है । इस बात से भी कि बहुत सी चीनी सैनिक चौकियां हट जाने वाले क्षेत्र से हटाई जानी है । यदि माननीय सदस्य नक्शों से स्थिति देखें, तो वे देखेंगे कि यह स्थिति पहली स्थिति अर्थात् ८ सितम्बर से पहले की स्थिति से भी अच्छी है । ८ सितम्बर की स्थिति में उस क्षेत्र में बहुत से चीनी रह जाते थे और हमारी भी कुछ चौकियां थीं । इस तरह चीनियों को बहुत लाभ था । अब यदि कोलम्बो सम्मेलन प्रस्ताव मान लिये जायें, तो उस क्षेत्र में सेनायें नहीं रह जातीं, हमारी और चीनियों की असैनिक चौकियां रह जाती हैं, जिनके पास उतने ही आदमी और शस्त्र होंगे । यह असैनिक या छोटे शस्त्र होंगे । यह स्थिति चीनियों की चौकियां के होने से बहुत अच्छी है ।

इन सब बातों पर विचार के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारे ८ सितम्बर से पहले वाली स्थिति की मांग को पूरा करते हैं । अतः मैंने लंका के प्रधान मन्त्री को एक पत्र भेजा था कि भारत सरकार सिद्धान्त रूप से स्पष्टीकरण के साथ उन प्रस्तावों को स्वीकार करती है और भारत सरकार उन्हें अन्तिम रूप से मानने से पहले उन्हें संसद् के सामने रखेगी ।

मैंने लंका के प्रधान मन्त्री को कहा था कि हम चीन सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे । मुझे आज सुबह लंका के प्रधान मन्त्री से एक सन्देश प्राप्त हुआ है, जिसमें चीनी प्रतिक्रिया बताई गई है । श्रीमती भण्डारनायके का तार इस प्रकार है :

"शायद माननीय सदस्यों ने चीनी विदेश मन्त्री, मार्शल चेनयी का वक्तव्य पढ़ा होगा, जिसमें लगभग वही बात थी, अर्थात् कोलम्बो प्रस्तावों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हुए, कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उन्हें मतभेद हैं । यह स्पष्ट है कि चीनी सरकार प्रस्तावों को दोनों के लिए मान्य शर्तों का निश्चित आधार नहीं मानती और कुछ मामलों में उस के अपने निर्वचन हैं । इसका अर्थ है कि उन प्रस्तावों को उसने पूरे तौर पर नहीं माना । किन्तु हमारी ओर से यह स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के

अधिकारियों के बीच तब तक सीधी बातचीत नहीं हो सकती, जब तक, चीनी सरकार सम्पूर्ण रूप से कोलम्बो सम्मेलन प्रस्तावों को और उससे सम्बन्धित स्पष्टीकरणों को नहीं मानती।"

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कोलम्बो सम्मेलन हमारे कहने पर नहीं बुलाया गया था। वास्तव में हमसे यह पूछे बिना किया गया था, केवल हमें निर्णय बताया गया था। फिर लंका सरकार ने हमें बताया कि यह उनके प्रधान मन्त्री द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद हमने लंका सरकार से पत्र-व्यवहार किया है, चीनी सरकार से नहीं। चीनी सरकार से पत्र-व्यवहार करना कोलम्बो का काम है, उसके बाद कोलम्बो हमें बता सकता है। हमारा पक्ष भी कोलम्बो चीनी सरकार को बतायेगा। अब मार्शल चेनयी के वक्तव्य और लंका के प्रधान मन्त्री के सन्देश से स्पष्ट है कि चीनी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण विषयों में कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया। अतः पूर्ण स्वीकृति नहीं दी गई। जब तक स्थिति पूरी तरह स्पष्ट न हो, भारत सरकार कोई निर्णय नहीं कर सकती। किन्तु हमें एक निश्चित निर्णय अवश्य करना है। क्या चीनी सरकार के साथ बातचीत के लिए कोई कार्यवाही होगी, इस बात पर निर्भर है कि चीनी सरकार उन्हें स्वीकार करती है।

भारत सरकार ने सदा कहा है कि वे झगड़ों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहती है। चीनी बड़े हमले के बावजूद वह बातचीत को एक या अधिक अवस्थाओं में करने के लिए तैयार हैं। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं कि हम मामले को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय को या मध्यस्थ निर्णय के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं, यदि इसे मान लिया जाये। कुछ भी हो, हम कोई भी शान्तिपूर्ण तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं, यदि बातचीत का आधार पैदा किया जा सके और इसके लिए शर्तें पैदा की जा सकें।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : श्रीमती भण्डारनायके के कहने से ही बातचीत करनी थी तो पहले ही कर ली होती। बीसियों हजार आदमियों को बरबाद क्यों किया ? चीनियों को सीमा से बाहर धकेल दो यह कह कर आप विदेश क्यों चले गये थे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो हैरान हो गया कि स्वामी जी सब कुछ समझ सकते हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमने बार बार कहा है कि ८ सितम्बर के अतिक्रमण के हटाये जाने के बाद की शर्तें कायम हो जायेंगी। हमारे इस प्रस्ताव को चीनी सरकार ने अक्तूबर में नहीं माना था बाद में उन्होंने अपने प्रस्ताव के साथ अपने आप पीछे हटने और युद्ध विराम का प्रस्ताव भी जोड़ दिया था। अब कोलम्बो सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव दिये हैं, जिससे मुख्यतः ८ सितम्बर से पहले की स्थिति कायम हो जाती है। हमने लंका के प्रधान मन्त्री को बता दिया है कि हम उन प्रस्तावों को और स्पष्टीकरणों को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करते हैं। उन पर आपत्ति किये बिना या उनको बदले बिना, क्योंकि हमने अनुभव किया था कि या तो उन्हें पूर्णरूप से स्वीकार किया जा सकता या अस्वीकार। यदि उनके कुछ भाग को माना जाये, तो उसका अर्थ अस्वीकृति होगा। अतः हम अनुभव करते हैं कि दोनों सरकारें पहले पूर्णरूप से कोलम्बो प्रस्तावों को मानें, फिर दोनों सरकारें सीधी बातचीत द्वारा शेष मामलों के निपटारे के लिए कदम उठा सकती हैं। हमने यह रुख अपनाया है और मैं समझता हूं कि यही ठीक है, मुझे विश्वास है कि सदन इससे सहमत है कि हम इस आधार पर चलें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

†**एक माननीय सदस्य** : लज्जास्पद।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य को किसी बात पर लज्जा है। उन्हें इसे यहां व्यक्त नहीं करनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वह कह रहे हैं जो अकसर कहते हैं कि हम अंग्रेजी नहीं समझ सकते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : गलती से कह दिया गया।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : चीन और भारत की समस्या से ज्यादा महत्व अंग्रेजी का है, आपके लिहाज़ से ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अतः संक्षिप्त रूप से स्थिति यह है कि हम कोई बातचीत, प्रारम्भिक बातचीत भी नहीं कर सकते, जब तक हम सन्तुष्ट न हों कि ८ सितम्बर से पहले वाली स्थिति बहाल करने की शर्त पूरी न हो जाये। दूसरी बात यह है कि इस शर्त के पूरा होने के बाद भी, बातचीत विभिन्न प्रारम्भिक मामलों के बारे में होगी बाद में अन्य मामले लिये जा सकते हैं। किन्तु हम इस समय मामले के गुणावगुण पर विचार नहीं कर रहे हैं। वे बदले नहीं हैं।

हमने ८ सितम्बर की रेखा के बहाल करने की मांग की थी, इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस रेखा को समझौते का आधार मानते हैं। बिल्कुल नहीं।

श्री रामेश्वरानन्द : हमारे प्रधान मन्त्री जी को सदस्यों पर तो बहुत गुस्सा आ जाता है लेकिन चीन पर नहीं आता है।

अध्यक्ष महोदय : आप जो कह रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं। मगर जो दूसरी तरफ से कहा जाता है वह भी आप समझिये। आप समझिये कि आप पार्लियामेंट में हैं और यहां सीरियस मामलों को कंसिडर कर रहे हैं। यहां कोइ बाहर का जल्सा नहीं है। बार बार आप रुकावट न डालें। आप सुन। आपको हक होगा, जो कुछ आप कहना चाहते हैं, कहने का जब आप बोलेंगे.....

श्री रामेश्वरानन्द : हमें कौन बोलने देगा।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने लीडर को कहिये कि वह आपका नाम भेजे और इसको आप अपने लीडर पर छोड़ दीजिये। अगर वह नहीं आपका नाम भेजते हैं, तो छोड़ दीजिये उस पार्टी को।

†**श्री बड़े** (खारगौन) : अध्यक्ष एक माननीय सदस्य को कैसे कह सकते हैं कि वे दल छोड़ दे ? यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसलिए कह सकता हूं कि वह कहते हैं कि मुझे बोलने कोई नहीं देगा। आप जानते हैं.....

श्री रामेश्वरानन्द : आप नहीं बोलने देंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अफसोस है कि व्हिप पार्टी का ऐसी बात कहता है। जो नाम व्हिप भेजेगा उसी को तो मैं बुलाऊंगा। अगर वह इजाज़त नहीं देता है तो मेरा क्या कसूर है।

श्री रामेश्वरानन्द : जो अनुकूल बोलेगा उसको तो बोलने दिया जाएगा और जो प्रतिकूल बोलेगा उसको धक्के मार निकाल दिया जाएगा।

अध्यक्षय महोदय : जो बार बार इस तरह से खड़ा होता है, उसको भी नहीं बोलने दूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : बहुत सुन चुके हैं सत्यनारायण की कथा ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे खेद है कि इस मामले को जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल वर्तमान समय के लिए बल्कि भविष्य के लिए भी, अन्तर्बाधाओं द्वारा निचले स्तर पर लाया जाये ।

मेरा निवेदन है कि वर्तमान विषय यद्यपि यह एक जटिल मामला है और हमने इसको हर पहलू पर विचार करना है, फिर भी हमने नवम्बर में जो संकल्प पारित किया था, उसे हर कीमत पर पूरा करना है और बीच में चाहे कुछ भी हो, हमारी सब कार्यवाही उस संकल्प के अनुरूप होगी । निस्सन्देह हमने कई बार कहा है और आगे भी कहते रहेंगे कि हमारी मूल नीति शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने और उनका अनुसरण करने की है । साथ ही साथ हम अपनी आजादी और अखण्डता भी बनाये रखेंगे । ये आधारभूत नीतियां हैं । इनमें कोई भेद नहीं है और न होना चाहिये । किन्तु कुछ लोग .....

श्री राम सेवक यादव : अगर हम उस नीति से अपनी जमीन खो दें तो यह हम को पसन्द नहीं है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिए वर्तमान प्रश्न को इस दृष्टिकोण से देखना है—पहले यह कि हमारा नवम्बर के संकल्प को पूरा करने का पक्का निश्चय है, साथ ही हम किसी शान्तिपूर्ण तरीके को अस्वीकार नहीं कर सकते । वास्तव में यदि वे शान्तिपूर्ण तरीके हमारे संकल्प, हमारी अखण्डता और आजादी की राह में रुकावट न बने, तो हमें अवश्य उन का अनुसरण करना चाहिये ।

कुछ लोग इससे सहमत नहीं हैं । उन्हें असहमति रखने का अधिकार है । किन्तु हमारी नीति बहुत समय से यही रही है और हमारे विचार में इसे बदलना नहीं चाहिये । नहीं तो यह निष्फल हो जायेगी ।

†**श्री राम सेवक यादव** : यह निष्फल सिद्ध हो ही चुकी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं किसी सदस्य या दल के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा । हमारी नीति के दो पहलू हैं, जिसका हमने सदा अनुसरण किया है । पहला यह कि समस्याओं के हल के लिए हर स्थान पर शान्तिपूर्ण तरीके अपनाये जायें । दूसरा यह है कि जो कि उतना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आजादी और अखण्डता को बनाये रखें । यदि शान्तिपूर्ण तरीके हमारी आजादी और अखण्डता को बनाये न रख सकें, तो वे व्यर्थ सिद्ध होंगे किन्तु उस आजादी और अखण्डता को बनाये रखने के लिए हमें आक्रान्ताओं को भारत से बाहर निकालना है । इसलिए हम अपनी सेनाओं और सशस्त्र दलों को मजबूत बनाने के लिए और आर्थिक स्थिति को भी मज़बूत बनाने के लिए कदम उठाते हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि यदि कोई बातचीत हुई भी, तो वह प्रारम्भिक बातचीत होगी और कोई नहीं कह सकता कि उनका कोई नतीजा निकले या नहीं, हमारे लिये चीनी सरकार की इमानदारी में यकीन करना बहुत कठिन है, फिर भी हमें उससे व्यवहार करना है । इस बात को स्पष्ट रखते हुए कि हम किसी सैनिक दबाव से नहीं झुकेंगे, हम शान्तिपूर्ण तरीकों को नहीं छोड़ेंगे । यह न केवल नैतिक दृष्टि से बल्कि राज-नयिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भी ठोस है, क्योंकि विश्व सैनिक तरीकों और दबाव से समस्याओं का हल करने से तंग आ चुकी है ।

इसी कारण से चीनी हमले का विश्व में इतना विरोध हुआ है । बहुत से देशों ने इस पर आपत्ति की है, किसी ने कम किसी ने अधिक । हम कह सकते हैं कि हमने शान्ति-पूर्ण तरीके अपनाये हैं किन्तु उनसे जिन परिणामों की आशा थी व नहीं निकले इसीलिए

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

हमें अन्य तरीके अपनाने हैं। हम दूसरे तरीकों की भी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए चीन सरकार नहीं बल्कि अन्य देश जो प्रस्ताव करते हैं, जो हमारे मित्र हैं, हमने उनके सुझावों पर विचार करना है। ऐसा न करना न केवल हमारी नीति की दृष्टिकोण से बल्कि राजनयिक दृष्टिकोण से भी अनुचित होगा।

इस समय हम इस बात पर विचार नहीं कर रहे कि चीन क्या रुख अपनाता है या नहीं अपनाता। इस समय चीनी सरकार कोलम्बो प्रस्तावों को मोटे तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है इसलिए हम इन पर विचार कर रहे हैं और हमने देखा है कि इन से ७ सितम्बर की स्थिति बहाल हो जाती है। यद्यपि चीनी इन प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, एक-दो मामलों में वे हमारे पक्ष में उनसे भी आगे जाते हैं और इस पर हमें सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये।

हम अपनी ओर से इसके बारे में कोई कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि चीन सरकार ने भी पग उठाना है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है। मुझे लंका के प्रधान मंत्री को उत्तर देना है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं और उनके सहयोगियों को भी कि हम उनके प्रस्तावों और स्पष्टीकरणों से सहमत हैं। स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि चीन सरकार ने इन्हीं पर आपत्ति की है। मुझे आशा है कि सदन मेरे इस उत्तर का अनुमोदन करेगा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले मुझे प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत कर लेने दीजिए।

†**श्री डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): प्रस्ताव रखे जाने के पूर्व मैं स्पष्टीकरण के तौर पर एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमारी चर्चा समाप्त होने के पश्चात् दूसरा कदम क्या होगा और वह कोलम्बो सम्मेलन द्वारा उठाया जायेगा अथवा चीनी सरकार द्वारा ?

†**श्री त्यागी** : क्या मैं भी अपना प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : ये सारी बातें भाषणों के दौरान में स्पष्ट हो जायेंगी। प्रधान मंत्री अन्त में उत्तर देंगे। यदि सारे स्पष्टीकरण अभी मांग लिए गये तो फिर चर्चा के लिए क्या रह जायेगा ?

†**श्री त्यागी** : यह तर्क नहीं केवल एक स्पष्टीकरण है जिससे, जो कुछ कहा जाये इसके जानने के बाद ही कहा जाये।

हमने आज के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में कोलम्बो से प्राप्त यह समाचार पढ़ा है कि "चीन ने कोलम्बो सम्मेलन के छः राष्ट्रों द्वारा दिए गये इस सुझाव पर, कि लद्दाख में विवाद-ग्रस्त भारत–चीन सीमा प्रदेश के विसैन्यीकृत क्षेत्र में भारतीय और चीनी पुलिस का संयुक्त शासन हो" आपत्ति उठाई है। यह समाचार विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त हुआ बताया गया है। इसमें आगे कहा गया है :

> "चीन द्वारा उठाई गई आपत्ति चीन सरकार के एक ज्ञापन में सम्मिलित थी जिसे लंका की प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायक ने भारत सरकार को भेज दिया है।"

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह प्राप्त हो गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह वही है जिसका माननीय प्रधान मंत्री ने उल्लेख किया था ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : नहीं, नहीं। डा० मा० श्री० अणे ने पूछा था कि अगला कदम, अर्थात् जैसा कि मैं समझता हूं, इन मामलों में अगला कदम क्या होगा ? इन मामलों के सम्बन्ध में पहला कदम, इस पर विचार किए जाने के या अगला कदम उठाने के पहले, यह होगा कि कोलम्बो प्रस्ताव दोनों सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए जायें। इनके स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् इन प्रस्तावों को सम्बन्धित क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने का प्रश्न उठेगा। इसका अर्थ यह होगा कि हमारे कुछ पदाधिकारी अथवा सैनिक पदाधिकारी वहां जाकर देखें कि इन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि कोई संदेह की बात हो तो हमें सूचित करें। इस सबके किये जाने के पश्चात् चीन और भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा इस विषय पर इसके गुण दोषों के आधार पर विचार करने का प्रश्न उठेगा।

श्री त्यागी ने जो यह कहा है कि इसकी बहुत सी बातों पर चीन सरकार ने आपत्ति उठाई है वह बिल्कुल ठीक है। उस संदेश में जिसे मैंने पढ़कर सुनाया था—उस तार में जिसे श्री चाऊ-एन-लाई ने प्रधान मंत्री श्रीमती भंडारनायक को भेजा था—उन्होंने इसका कुछ आभास दिया है। किन्तु मैं समझता हूं कि चीन सरकार ने कई महत्वपूर्ण बातों पर आपत्ति उठाई है उनमें से एक, सेना रहित किए जाने वाले क्षेत्र के बारे में है। हमारे पास ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया किन्तु लंका की प्रधान मंत्री को, जब वे पेकिंग से रवाना होने वाली थी, इस बारे में लिखा गया था। उन्होंने हमें वह पत्र दिखाया था। हमें श्रीमती भंडारनायक ने या श्री चाऊ-एन-लाई ने कोई पत्र नहीं लिखा। किन्तु या तो श्री चाऊ-एन-लाई ने या श्री चेन-यी ने—मैं नहीं कह सकता किसने—श्रीमती भंडारनायक को पत्र लिखा था और वह पत्र उन्होंने हमें दिखाया था। उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो कोलम्बो प्रस्तावों के अनुरूप नहीं थी, उनके विरुद्ध थीं।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या लंका की प्रधान मंत्री जी और कोलम्बो सम्मेलन के दूसरे सदस्यों ने जिन्होंने ये सिफारिशें की थीं हमें यह आश्वासन दिया है कि चीन फिर से आक्रमण नहीं करेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : नहीं।

श्री कि० पटनायक : मुझे यह कहना है कि प्राईम मिनिस्टर साहब ने अभी पीसफुल मैथड की बात कही। २० नवम्बर को प्राइम मिनिस्टर ने सदन को कहा था कि चाहे कुछ भी हो, जंग जारी रहेगी जब तक हम बिल्कुल जीत न लें, तो क्या प्राइम मिनिस्टर की जीत हो गई ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

इस प्रस्ताव पर कुछ स्थानापन्न प्रस्ताव भी हैं।

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद): मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत करना नहीं चाहता।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** (बरहामपुर): अन्य सदस्य भी जिनका नाम इसमें उल्लिखित है इसे प्रस्तुत करना नहीं चाहते।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : कल मेरी जो लोगों से बात हुई थी उस पर मैंने सोचा था कि मैं अपना प्रस्ताव वापस ले लूं। लोगों ने यह वचन दिया था कि प्रस्ताव की स्वीकृति की बात नहीं होगी इसलिए मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन हम अपने को धोखे में नहीं रखना चाहते कि हां और नहीं में चाहे प्रस्ताव पास न हो लेकिन वास्तव में पास हो जाए। इन दोनों में फर्क है। तो पहले मैंने सोचा था कि वापस ले लूं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब का भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं अपना संशोधन पेश करूं। मैं अपना संशोधन संख्या २ पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री राम सेवक यादव और श्री किशन पटनायक इसे मूव करते हैं। यही एक सब्स्टीट्यूट मोशन है।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : श्री राम सेवक यादव ने जो संशोधन दिया है उसमें मैंने और संशोधन दिया है वह जोड़ दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय : वह भी पहुंच गया है। जो लीडर ने दिया है दूसरे मेम्बर उसमें अमेंडमेंट चाहते हैं। वह भी मेरे पास पहुंच गया है।

ये दोनों संशोधन नियम बाह्य हैं। अब मूल प्रस्ताव तथा श्री राम सेवक यादव द्वारा प्रस्तुत स्थानापन्न प्रस्ताव सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हैं।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड़) : हमारे सामने विचार करने के लिए स्पष्टीकरण सहित कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव, प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और उनके द्वारा अभी दिया गया भाषण हैं। हमें इनका मूल्यांकन करना है और ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचना है जो राष्ट्र के और हमारी जनता के अधिकाधिक हित में हों। स्पष्टीकरण सहित कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्ताव हमारे सम्मान और हितों की रक्षा करते हुए समझौता वार्ता आरम्भ करने के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करते हैं।

कोलम्बो सम्मेलन के सदस्य महत्वपूर्ण तटस्थ राष्ट्र हैं। शांति और तटस्थता की नीति हमारे देश में प्रधान मंत्री श्री नेहरू के नेतृत्व में उद्भूत हुई थी। इसे सबल बनाने और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इसे कार्यान्वित करने में इस संसद् ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोलम्बो सम्मेलन के छै सदस्य राष्ट्र हमारी इस नीति के समर्थक हैं। वे हमारे मित्र हैं और इस लिए उनके द्वारा किये प्रस्ताव हमारे हित के विरुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके प्रस्तावों पर गंभीरता और सद्भावनापूर्वक विचार करें।

हमारे देश पर चीनी आक्रमण ने विश्व शांति के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया था। यदि सीमा पर युद्ध चलता रहता तो हम विश्वव्यापी संघर्ष में उलझ जाते। बड़े राष्ट्र एक दूसरे का पक्ष ले लेते और हमारा देश अणु युद्ध का शिकार हो जाता।

ऐसी परिस्थितियों में कोलम्बो सम्मेलन के इन छः राष्ट्रों ने युद्ध समाप्त कराने का और दोनों राष्ट्रों से समझौता वार्ता आरम्भ कराने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लिया। इसलिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए और उनके इस प्रयास को हृदय से और सद्भावना पूर्वक सराहना करनी चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

पांच दिन की निरन्तर चर्चा के पश्चात् उन्होंने एक सूत्र प्रस्तुत किया है। यह सच है कि जो कुछ हम चाहते थे वह हमें नहीं मिला है और हमें इसके लिए खेद है। किन्तु हमें सोचना है कि इन प्रस्तावों को ठुकरा देने के क्या परिणाम होंगे। आज कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से बिल्कुल पृथक् रह कर अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। इसलिए इन प्रस्तावों के प्रवर्तकों की सद्भावना देखते हुए हमें इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

ये प्रस्ताव हमारी ८ सितम्बर की स्थिति कायम करने की मांग के बहुत कुछ अनुरूप हैं। इस समय जबकि एशिया के दो बड़े राष्ट्र युद्ध-स्थिति में हैं हमारे लिए यह कहना कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर ली जातीं हम दूसरे पक्ष से वार्ता आरम्भ नहीं करेंगे उचित नहीं होगा। समझौते द्वारा आपसी मतभेद दूर करने की भावना आज के युग में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का आधार है।

प्रधान मंत्री ने भी संसद् में पिछले वाद-विवाद के दौरान में इसी बात पर बल दिया था कि यह सोचना कि भारत-चीन सीमा विवाद युद्ध द्वारा हल होगा, एक मूर्खता होगी। युद्ध में भारत या चीन दोनों में से कोई भी नहीं जीतेगा, अपितु संभावना यही है कि दोनों ही नष्ट हो जायें। इसलिए हमें इन प्रस्तावों पर शांतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

कुछ लोगों का यह मत है कि हमें उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक हम सशक्त न हो जायें, और चीनियों को देश से बाहर निकालने योग्य न हो जायें। किन्तु इस तर्क में कोई सार नहीं। हमारे सशक्त होने के साथ ही दूसरा पक्ष भी उत्तरोत्तर अपनी शक्ति बढ़ाता रहेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण ने २ दिन पूर्व चीन से अधिक सैनिक शक्ति बढ़ाने के परिणामों पर प्रकाश डाला था। उनके प्रतिवेदन में कहा गया था कि :

> "भारत को अपनी प्रतिरक्षात्मक योग्यता के विकास के लिए तेज़ी से प्रौद्योगिक प्रगति करनी होगी। भारत को चीनी आक्रमण से अपनी रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा पर २००० करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करने होंगे। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब जनता अपने भोजन को चौथाई कर दे और अन्य सब आवश्यक वस्तुओं का त्याग कर दे।"

श्री जय प्रकाश नारायण ने लोगों के इस तर्क का, कि हम अपनी प्रतिरक्षा को सबल बनाने के लिए सैनिक सहायता ले सकते हैं, यह उत्तर दिया है कि यदि अमरीका बिला शर्त के भी सैनिक सहायता दे तो भी हमें उसके सामने झुकना होगा और उसके दबाव को सहन करना होगा।

वास्तव में जो थोड़ी बहुत सैनिक सहायता हम ने ब्रिटेन और अमरीका से ली है उसने भी काश्मीर के प्रश्न पर हम पर काफ़ी दबाव डाला है। इसलिए जो लोग सैनिक सहायता द्वारा अपनी शक्ति बढ़ाने की बात सोचते हैं उन्हें इसके गम्भीर परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

इसके साथ ही हमें अपनी प्रतिरक्षा को सबल बनाने के प्रयत्नों में ढील नहीं देनी चाहिए। हमें अपनी प्रतिरक्षा को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। शक्तिशाली प्रतिरक्षा उद्योग की स्थापना करनी चाहिए और अपने सशस्त्र बल का आधुनिकीकरण करना चाहिए।

ये प्रस्ताव उस समय हमारे सामने आये हैं जब चीन ने एकपक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी है और उस पर कायम है। हमें इस युद्ध विराम को स्थायी बनाना है और ऐसी परिस्थितियां पैदा

[श्री अ० क० गोपालन]

करनी हैं जो समझौता वार्ता करने में सहायक हों। भारत का हर बुद्धिमान व्यक्ति समझौता वार्ता के पक्ष में है। आचार्य विनोबा भावे ने कहा है :—

"हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम चीन से वार्ता करना नहीं चाहते।"

उन्होंने यह भी कहा है कि समझौते के अवसर को खो देना शक्ति का नहीं अपितु दुर्बलता का द्योतक है और उनकी इस बात से मैं भी सहमत हूं।

हमारे लिए यह सोचना ही पर्याप्त नहीं कि हम ठीक रास्ते पर हैं। हमें दुनिया को भी यही दिखलाना है और विरोधी को गलत सिद्ध करना है। हम आशा करते हैं कि चीन सरकार भी इन प्रस्तावों को और इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लेगी। यदि वे ऐसा न करें तो दुनिया उसे ही बुरा कहेगी और परिणामों का उत्तरदायित्व भी उसी पर होगा। इसलिए मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह इन प्रस्तावों को चीन के साथ समझौता वार्ता करने का आधार मान कर सरकार को विवाद का निबटारा करने का अधिकार दे दे।

†श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इन प्रस्तावों पर प्रधान मंत्री के रुख से और मेरे माननीय मित्र, साम्यवादी दल के नेता द्वारा दिये गये सुझावों से सहमत नहीं हूं। ये प्रस्ताव हमारे लिए उचित अथवा सम्मानपूर्ण नहीं हैं। मेरे मित्र ने कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों को तटस्थ राष्ट्र कहा है। किन्तु उन्होंने इस युद्ध के प्रति न्याय पूर्ण रुख नहीं अपनाया। उन्होंने कभी भी चीन को आक्रामक कहने का साहस नहीं किया।

इन देशों ने ऐसे प्रस्ताव किये हैं जिन्हें माननीय प्रधान मंत्री युक्ति-संगत और अपनी पहली मांगों से मिलता जुलता ही समझते हैं। क्या यह युक्ति-संगत है कि हम देश के ऐसे भाग में जिसे चीन ने हड़प लिया है और जो कोलम्बो सम्मेलन द्वारा दिये गये नकशे के अनुसार ८ सितम्बर की सीमा रेखा से १५ मील अन्दर की ओर है चीन के साथ मिल कर प्रशासन करें?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

कल तक जो हम से लड़ रहा था, हमारे जवानों पर गोलियां बरसा रहा था और हमारे देश का अपमान कर रहा था उससे इस प्रकार का समझौता करना विचित्र सा ही है। हाल ही में इस क्षेत्र में हमने चीन द्वारा पिछले वर्षों में बनाई गई चौकियों से अधिक चौकियां स्थापित कर ली हैं। उन में से कौन सी चौकी किसके अधिकार में रहेगी इसका निर्णय दोनों देशों के मंत्रियों और पदाधिकारियों के सम्मेलन में किया जायेगा। अगर वे परस्पर किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे तो फिर कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्र इसका निर्णय करेंगे। और इस प्रकार समझौता वार्ता के दौरान में उठने वाले हर छोटे से छोटे विवाद पर विचार करने के लिए दिल्ली में अथवा कोलम्बो में कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों का एक कार्यालय होगा। यह सब प्रारम्भिक अवस्थाओं में ही हो जायेगा और फिर इस में एक वर्ष या कई वर्ष लग जायेंगे। और उस समय तक हमारा राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने का उत्साह मध्यम पड़ जायेगा।

प्रधान मंत्री ने देश में कई वक्तव्य दिये। वह भारत की अखंडता और सम्मान की रक्षा करना चाहते थे। किन्तु क्या इन प्रस्तावों द्वारा वह रक्षा की जा सकेगी। क्या हम ने चीन को आक्रामक घोषित नहीं कर दिया? उस ने हम पर आक्रमण किया है। हम उसका विश्वास नहीं कर सकते। प्रधान मंत्री ने एक दिन कहा था, "हमें एक दिन समझौता करना पड़ेगा। चीन को पराजित करने

†मूल अंग्रेजी में

की बात कौन सोच सकता है।" लेकिन क्या कोरिया में चीन पराजित हुआ था ? फिर भी उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना ने ३८ अक्षांश रेखा के पार नहीं आने दिया। यही बात यहां भी हो सकती है। बिना चीन को पूरी तरह से पराजित किये ही हम अपने मित्रों की सहायता से उसे अपने देश से खदेड़ सकते हैं। यह कहा जाता है कि प्रतिरक्षा के ऊपर बहुत सा रुपया खर्च करना होगा। लेकिन क्या हम अकेले हैं ? हम दूसरे देशों से भी सहायता ले सकते हैं। हम ने इस विषय को संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने क्यों नहीं उठाया ? हम ने चीन के साथ राजनयिक सम्बन्ध तोड़ कर, दूसरे देशों के सामने उसे आक्रामक घोषित कर उन से सहायता की मांग क्यों नहीं की ? क्या चीन द्वारा की गई क्षति का स्मरण कर के हमारा खून नहीं खौल उठता ? उसका क्या बिगड़ा है ? उसे कुछ लाभ ही हुआ है। उसने अफ्रीका और एशिया के राष्ट्रों को इतन भयभीत कर दिया है कि उन में से अधिकतर उसे आक्रामक कहने का भी साहस नहीं करते । क्योंकि चीन आज विजेता है। वह हमारे देश पर असम्मानपूर्ण चोट कर के पीछे हट गया है और एकपक्षीय युद्ध विराम करके उस ने विश्व के सामने अपने को विजेता सिद्ध कर दिया है। और इस चीन को हम हमारे ही देश के एक भाग पर साझे का शासन करने को आमंत्रित कर रहे हैं।

श्री मसानी ने, जो इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं, चीन के प्रधान मंत्री को यहां आमंत्रित किये जाने का विरोध किया था। उनके यहां आने का क्या परिणाम निकला ? संयुक्त विज्ञप्ति में की गई घोषणा की स्याही सूखने से पहले ही चीनी सेना के दस्तों ने हमारे प्रदेश पर अधिकार करना आरम्भ कर दिया। ऐसा है चीन।

लेकिन प्रधान मंत्री से यह बात छिपी नहीं। आज भी वह चीन का विश्वास करने के लिये प्रस्तुत नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम उन्हें साझेदारी के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। वे किसी विशेष चौकी पर २० अथवा ५० सैनिक रखेंगे और उन्हें वे ही शस्त्र दिये जायेंगे जो सीमा रक्षकों को या असैनिक रक्षकों को दिए जाते हैं। लेकिन इस बात का क्या आश्वासन है कि वे ५० के स्थान पर, रसोइयों, या नौकरों या अन्य किसी रूप में, ५०० सैनिक नहीं रखेंगे ? और फिर हम उन्हें अपनी ही भूमि पर साझे के लिए क्यों बलायें ? यदि हमें अपनी सीमा पर शान्ति बनाये रखना है तो किसी भी प्रकार के साझे की आवश्यकता नहीं।

†**डा० मा० श्री अणे**: प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि हमारे सामने विसेन्यीकृत क्षेत्र आदि के बारे में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर विचार किया जा रहा है और जिनके प्रस्तुत किये जाने से परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ है।

†**श्री रंगा** : इन प्रस्तावों के अभाव में उनकी स्थिति हमारे सामने शत्रुओं के समान ही रहेगी जिनके हमारे भूमि पर अधिकार किये जाने के कार्य को हमने मान्यता नहीं दी है। हम उन्हें खदेड़ देंगे। चाहे उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी पड़े।

हमारे मित्र ने कहा है कि इस पर २००० करोड़ रुपये वार्षिक व्यय होगा। किन्तु चीन को भी इतना ही रुपया व्यय करना होगा। और फिर क्या चीन से लड़ने के लिए हम अकेले ही हैं ? प्रधान मंत्री ने स्वयं विश्व के सारे राष्ट्रों को अपील भेज कर और कुछ पश्चिमी प्रजातंत्रीय राष्ट्रों की सहायता स्वीकार करके इस बात का उत्तर दे दिया है। वे राष्ट्र हमारे सहायक हैं और फिर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता तो प्राप्त कर ही सकते हैं। इसमें क्या हानि है ? हम उन राष्ट्रों को जो हमारी सहायता करने के इच्छुक हैं यह विश्वास क्यों नहीं दिला देते कि हम हमने खोये हुए प्रदेश को फिर से प्राप्त करने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हैं ? हम युद्ध की तैयारियां करने के साथ

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रंगा]

ही साथ शान्ति की भी वार्ता करते हैं और इस प्रकार हम अपने सहायक राष्ट्रों को जिनकी सरकार हमारी सहायता के लिये रुपया एकत्रित करती है, उन्हीं की जनता के सामने, जिनसे उन्हें वोट लेने हैं, क्योंकि वे प्रजातन्त्रीय हैं, हास्यास्पद बना देते हैं ।

क्या चीन ने कभी ३८ अक्षांश रेखा को पार करने का साहस किया ? अमरीका, ब्रिटेन और अन्य देशों ने साम्यवादी आक्रमण को समाप्त करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की सहायता की । फिर हम क्यों भयभीत हैं ? क्या श्री नासिर भयभीत हुए थे ? हम अपने आपको निस्सहाय समझते हैं । श्री नासिर भी इंग्लैंड की तुलना में निस्सहाय थे । फिर भी उन में इंग्लैंड का विरोध करने का साहस और मनोबल था । फिर हम चीन या रूस या इनमें से किसी अन्य राष्ट्र से क्यों डरते हैं । क्या इसलिये कि इससे हमारी तटस्थता की नीति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा ? लेकिन हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के साथ स्वतन्त्र समझौता किया है यद्यपि वह पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में है ।

क्या यूगोस्लेविया ने जो एक साम्यवादी राष्ट्र है स्टालिन के द्वारा धमकी दिए जाने पर साहस छोड़ दिया था ? उसने दुनिया के दृष्टिकोण पर विश्वास कर स्टालिन की अवहेलना की थी । अमरीका से भी जहां प्रजातन्त्रीय सरकार है उसने सहायता स्वीकार की । और उसका परिणाम यह है कि वह विजेता के रूप में आज हमारे सम्मुख है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर) : यही कारण है कि श्री टीटो की तटस्थता की नीति के लिए सराहना की जाती है ।

†**श्री रंगा** : तटस्थता की नीति पर चलते हुए भी आप पश्चिमी प्रजातन्त्रीय देशों से सहायता ले सकते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : हमने उनसे सहायता मांगी थी और उन्होंने दी भी थी ।

†**श्री रंगा** : उन्होंने हमारी सहायता की यह अच्छा है । किन्तु हमें अपने राष्ट्रीय प्रयासों और भावना को विकसित करने का निश्चय करना है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : वह हम अपने नवम्बर में पारित संकल्प में कर चुके हैं ।

†**श्री रंगा** : जैसा कि भारत के राष्ट्रपति ने कुछ समय पूर्व कहा था "यह सिद्धान्तों पर संकट का समय है ।" उन्होंने ठीक ही कहा था । अब यह हमारे लिए है कि हम राष्ट्र के गौरव और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़प्रतिज्ञ हों और अपना भरसक प्रयत्न करें । यदि हमें ८ सितम्बर की रेखा तक का क्षेत्र भी मिल जाय तब भी अकसाई चिन रोड और उसके आगे तक का १२००० वर्ग मील तक का प्रदेश ऐसा है जो हमारा है और जिसे हमें वापिस लेना है ।

कुछ लोग कहते हैं कि यह वीरान प्रदेश है और यह किसी काम का नहीं है । किन्तु सहारा भी वीरान प्रदेश है । जहां आणविक परीक्षण किये जा रहे हैं वह स्थान भी वीरान है । यह प्रदेश हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि यह हमारे देश को चीन से पृथक रखे । यह वह प्रदेश है जहां विभिन्न प्रकार के खनिज और आणविक युद्ध में सहायक उत्पाद उपलब्ध हैं । इसका एक एक इंच हमें वापस लेना है । हमें, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है ; अपने देश के सम्मान की रक्षा के लिए हर सम्भव मूल्य चुकाने के लिए कटिबद्ध रहना है । यह राष्ट्रीय सम्मान ही है जिसकी आज चर्चा है । जिस पर आज विवाद है । इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि हमने कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लिये तो अपने

---

†मूल अंग्रेजी में

देश का और उन महान पुरुषों का और उन साधारण पुरुषों का---किसानों का और मजदूरों का---जिन्होंने महात्मागांधी के साथ स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयत्नों में अपनी जान लड़ा दी, अपमान करेंगे ।

†**श्री उ० न० ढ़ेबर** (राजकोट) : श्रीमान, मैंने अपने पहले के दो सदस्यों का भाषण सुना । पहले सदस्य इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे और दूसरे सदस्य प्रो० रंगा इनको अस्वीकार करने के । मुझे आश्चर्य है कि क्या वे चर्चा के विषय को भी स्पष्ट रूप से समझ पाये हैं ? हम इस समय समझौते की शर्तों पर चर्चा नहीं कर रहे । हम अपने सामने प्रस्तुत किये गये एक प्रस्ताव मात्र पर चर्चा कर रहे हैं जिसे चीन ने नहीं अपितु कुछ मित्र देशों ने प्रस्तुत किया है ।

यदि ये प्रस्ताव चीन द्वारा रखे गये होते तो हम इन्हें अवश्य संदेह की दृष्टि से देखते । किन्तु यह कुछ ऐसे राष्ट्रों द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं जो हमारे देश के प्रति अपने कर्त्तव्यों को समझते हैं । यह ऐसे मित्रों द्वारा रखे गये हैं जिनका इसमें अपना कोई राजनैतिक हित नहीं । वे केवल दोनों पक्षों में समझौता करवाना चाहते हैं । क्या इन प्रस्तावों पर संदेह करना नैतिकता की दृष्टि से उचित होगा ?

†**श्री रंगा** : इन में कुछ देशों ने चीन के साथ समझौता कर लिया है ।

†**श्री उ० न० ढ़ेबर** : मैंने श्री रंगा को उनके भाषण के दौरान कभी बाधा नहीं दी अतः उन्हें भी मेरे तर्कों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये ।

वस्तुतः सच्चाई यह है कि प्रो० रंगा को एक बड़ी भ्रांति है और वह यह है कि वे सैनिक शक्ति को ही विश्व की सब से बड़ी शक्ति सोचते हैं । वह दूसरी बात को सोचने में असमर्थ हैं ।

हमारे सामने केवल एक ही प्रश्न है कि क्या हम शान्तिपूर्ण विकल्प को स्वीकार करते हैं ? प्रधान मंत्री ने बार बार कहा है कि हमारे दृष्टिकोण निश्चित हैं वह ये हैं कि सभी समस्याओं को सैनिक शक्ति से ही नहीं सुलझाया जा सकता है । अतः जो कोई भी इस प्रकार का प्रस्ताव रखेगा उस पर निस्संदेह विचार किया जायेगा ।

जहां तक प्रस्तावों का सम्बन्ध है कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र इस बात से सहमत हैं कि आक्रामक को उसके आक्रमण का लाभ नहीं मिले । इसी कारण उन्होंने केवल चीन से ही अपनी सेनायें वापिस हटाने को कहा है । एक क्षेत्र में तो चीन की सेनायें ७ सितम्बर की स्थिति तक चली जायेंगी । बल्कि वे कहीं कहीं इस स्थिति के भी पीछे हट जायेंगी ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : वह फिर भी भारतीय राज्य-क्षेत्र में ही रहेंगे ।

†**श्री उ० न० ढेबर** : उत्तर-दक्षिण में वह २०० मील तक, और पूर्व-पश्चिम में एक से पन्द्रह मील तक पीछे हटेंगे ।

हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह आक्रमण सम्बन्धी हमारी शर्तों को पूरा करते हैं या कि नहीं । जहां तक ७ सितम्बर वाली रेखा का सम्बन्ध है, चीनी नेफा तथा मध्यम खण्ड में उससे परे चले जायेंगे, केवल लद्दाख क्षेत्र में, उत्तर-दक्षिण में ३५ मील तक और पूर्व-पश्चिम में एक से १५ मील तक, वह इधर रहेंगे । हमारी सेना एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी । विसैन्यीकृत क्षेत्र से भी हमें हटना नहीं पड़ेगा । यह विसैन्यीकृत क्षेत्र, ७ सितम्बर वाली सीमा रेखा से भी परे की ओर होगा, जिस की कल्पना तक हमने नहीं की थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० न० ढेबर]

जहां तक श्री रंगा के उस कथन का सम्बन्ध है जिसके अनुसार हम उन के साथ सहभागी बन रहे हैं जो हमारे सैनिकों के खून के लिए उत्तरदायी हैं, मुझे यह कहना है कि हमारी असैनिक चौकियां वहां पर केवल अपने हितों की देखभाल के लिए ही होंगी ।

हम में से जो इन सुझावों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, वह उस झगड़े को सुलझाने के लिए केवल युद्ध को ही एक मात्र उपाय समझते हैं। परन्तु ऐसा करके वह केवल चीनियों के हित की बात करेंगे, क्योंकि चीनी, यह समझते हुए कि सैन्य दृष्टि से हम भविष्य में सशक्त हो जायेंगे, आज ही युद्ध द्वारा इस झगड़े का समाधान करना चाहते हैं। चीन यह भी समझता है कि जिस प्रकार की नीतियां वह अपना रहा है उनसे वह अकेला होता जायेगा ।

सदैव युद्ध द्वारा समस्याओं का समाधान करना मेरे विचार में न अच्छी राजनीति है, न अच्छी कटनीति, और सैन्य दृष्टि से भी ऐसा करना ठीक नहीं होगा । मैं समझता हूं कि कोलम्बो प्रस्तावों के रूप में एक बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। हमें सावधानीपूर्वक विचार करके यथार्थिक नीति को अपनाना है और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि चीनी ८ सितम्बर वाली रेखा से पीछे हट जायें । इन सब बातों को विचारते हुए मैं यह समझता हूं कि कोलम्बो प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य हैं ।

हमें केवल युद्ध द्वारा समस्या को सुलझाने की बजाय इस बात का भी ध्यान रखना है कि हम एक परिवर्तनशील विश्व में रह रहे हैं। फ्रांस और जर्मनी जो कल तक एक दूसरे के शत्रु थे, आज एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। बर्लिन समस्या के बारे में भी हम देख रहे हैं कि स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। उद्जन बम परीक्षणों के बारे में भी रूस ने सुझाव दिये हैं।

हमें एक और बात को भी ध्यान में रखना है कि यह कोलम्बो प्रस्ताव समझौते की शर्तें न हो कर केवल बातचीत मात्र के लिए सुझाव हैं। और इस विषय पर देश में हमें किसी प्रकार का भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम सरकार तथा प्रधान मंत्री का समर्थन करें, ताकि वह जब बातचीत के लिए जायें तो महसूस करें कि देश का सवसम्मत समथन उनका प्राप्त है ।

इस समय आवश्यकता इस बात की है कि हम एकमत और एक आवाज से बोलें। मेरे विचार में यह कोलम्बो प्रस्ताव हमारी ८ सितम्बर वाली रेखा तक हट जाने की मांग को पूरा करते हैं ।

†**श्रीमती रणुका राय** (माल्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सभा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है, इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम शान्तिपूर्वक ढंग से इस पर विचार करें। नवम्बर मास में हमने और प्रधान मंत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि चाहे कुछ भी हो, हम चीनी आक्रमण को हटा कर ही दम लेंगे । कोलम्बो प्रस्तावों को इस प्रसंग में हमें देखना चाहिए और इन पर विचार करना है ।

हमें कोलम्बो सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रयासों के लिए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने "आक्रमक" शब्द का एक बार भी प्रयोग नहीं किया। यदि उनकी ओर से यह कहा जाय कि ऐसा करने से वह अपने लक्ष्यों में सफल नहीं हो सकते थे, तो, जैसा कि ढेबर जी ने कहा, केवल चीन को ही पीछे हटने के लिए कह कर उन्होंने वास्तव में

---

†मूल अंग्रेजी में

चीन को आक्रमक माना है। चीन के लिए आक्रमक शब्द का प्रयोग उन्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे भारत ने मिस्र और ब्रिटेन के मामले में किया था।

हमें इन प्रस्तावों पर विचार करते समय अपनी ८ सितम्बर वाली प्रतिज्ञा को भी सामने रखना चाहिए, और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार यह हमारी मांग को पूरा करते हैं।

पूर्वी खण्ड में, उन प्रस्तावों के अनुसार, थागला रिज और लौंगजू के सिवाय, सारा क्षेत्र हमें वापिस मिल जायेगा। लौंगजू की चर्चा मैं नहीं करुंगी, क्योंकि वहां झगड़ा ८ सितम्बर से पूर्व ही आरम्भ हुआ था, परन्तु थागला रिज के विषय में हमें विचारना है कि क्या हम कोलम्बो के प्रस्ताव को मान लें।

पश्चिमी खण्ड में व्यवस्था लगभग ८ सितम्बर की रेखा से मिलती जुलती होगी। विसैनीकृत क्षेत्र में जो असैनिक चौकियों का उपबन्ध होगा, मैं चाहती हूं कि चीन वहां पर अपने सीमा संरक्षण दल को न रख कर केवल असैनिकों को उन चौकियों में रखे।

हमें यह भी स्मरण रखना है कि चीन ने इस प्रस्ताव को केवल सिद्धांत रूप में माना है। चीन ने विसैनीकृत क्षेत्र में जो असैनिक चौकियों का उपबन्ध है उसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। हमें मालूम नहीं है कि किस प्रकार का दृष्टिकोण वह अपनायेगा।

इन प्रस्तावों सम्बन्धी एक दो बातों के स्पष्टीकरण की अब भी आवश्यकता है। सर्वप्रथम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या चीन अपने द्वारा प्रयुक्त शब्दों तथा भाषा के वही अर्थ निकालेगा जो अन्य लोगों द्वारा निकाले जाते हों, अथवा उन अर्थों में समयानुसार परिवर्तन लाता रहेगा, जैसाकि उसने पहले नक्शों आदि के संबंध में किया है। तिब्बत के संबंध में चीन द्वारा विश्वासघात के अनुभव को हम नहीं भुला सकते।

मैं इन बातों का वर्णन इस लिए कर रही हूं कि अब हमें चीन की चालों का अनुभव हो चुका है, अतः हम प्रस्तावों को मान्यता दें अथवा न दें परन्तु हमें अपने चीनी चालों के अनुभव को सदैव सामने रखना है। देश में कुछ लोग यह सोचते है कि हम नवम्बर में की गई प्रतिज्ञा पर कायम नहीं हैं। हमें अपनी प्रतिज्ञा से बिलकुल डोलना नहीं है। देश के सम्मान तथा अखण्डता को हमें हर प्रकार कायम रखना है। इन बातों को ध्यान में रख कर ही हमें इन प्रस्तावों पर विचार करना है।

प्रधान मंत्री ने सूचित किया है कि देश की ओर से कोलम्बो प्रस्तावों को सैद्धांन्तिक रूप में उन्होंने स्वीकृति दे दी है। मुझे विश्वास है कि इस संबंध में सभा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों तथा सुझावों को वह बातचीत करते समय ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्वयं उन्होंने कहा था कि सभा की अनुमति बगैर वह कोई कदम न उठायेंगे।

मैं यह कहना चाहती हूं कि चाहे चीन उन प्रस्तावों को पूर्णरूपेण माने या न माने, हमें अपने नागरिक तथा सैनिक संरक्षण के प्रयत्नों में किसी प्रकार की ढील नहीं लानी चाहिये। हमें चीन की चालबाजी की नीति का अनुभव हो चुका है। हम अपनी शांति की नीति के कारण आक्रमक से बातचीत करने को भी तैयार हैं। चीन से परस्पर बातचीत द्वारा कोई समझौता हो सके या न हो सके। परन्तु हमें हर प्रकार से अपने देश को तैयार करने की अपनी नीति में ढील नहीं लानी चाहिये।

हमारें देश की नीति गुटों से अलग रहने की है। चीन के आक्रमण संबंधी जो कठिन समय हमारे देश के लिये आया, उस समय भी यह नीति कसौटी पर ठीक उतरी। अमरीका और रूस दोनो हमारी इस नीति के पक्ष में हैं, और यह चाहते हैं कि हम उसी नीति को अपनायें रखें। केवल चीन आज परमाणु युद्ध में विश्वास रखता है और इस युद्ध द्वारा हमारी तटस्थता की नीति को नष्ट करना चाहता है। हम अपने राज्य क्षेत्र तथा अपनी नीति दोनों के विषय में चीन के आगे झुकना नहीं चाहते।

[श्रीमती रेणूका राय]

अन्त में मैं यह कहना चाहती हूं कि जो भी स्पष्टीकरण हमें चीन से मांगने हैं, हमें कोलम्बो प्रस्तावों को तभी स्वीकार करना है जब चीन इन स्पष्टीकरणों के साथ, उन प्रस्तावों को पूर्णरूपेण स्वीकार करे । उन स्पष्टीकरणों में से एक यह होगा कि विसैनीकृत क्षेत्र में चौकियां चीन और भारत की संयुक्त होंगी, अथवा उस के विकल्प में, जो चीनी चौकियां होगी उन में चीनी असैनिक ही रहेंगे । इस तरह का आश्वासन हम चीन द्वारा स्वीकार नहीं करेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी जो बात-चीत हो, उसमें भी इस बात को समक्ष रखा जाय कि चीन आक्रमक पक्ष न है । इस के साथ ही हम बातचीत तभी करेंगे जब कि हम यह समझें कि हमारा सम्मान तथा अखण्डता सुरक्षित हैं, जैसा कि प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा था ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें उस संकल्प को स्मरण करना चाहिये जिसे हम ने एक स्वर से पारित किया था और जिस में हम ने प्रतिज्ञा की थी कि हम तब तक आराम न लेंगे जब तक हम आक्रमक को बाहर खदेड़ नहीं फैंकते, और जब तक हम अपने देश की एक-एक इंच भूमि भी वापिस नहीं ले लेते । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या कोलम्बो प्रस्तावों से हमारीं ८ सितम्बर रेखा वाली मांग पूरी हो जाती है । मेरे विचार में या तो हम स्वयं अपनी ८ सितम्बर की रेखा को स्पष्ट रूप से नहीं जानते, या चीन, शब्दों के हेरफेर से, कोलम्बो शक्तियों को अपने हितानुसार उस रेखा को बता रहा है । विदेशी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित नक्शों से भी यह रेखा स्पष्ट नहीं होती ।

कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार थागला रिज और लौंगजू, वह चौकियां जिन के ऊपर सारा झगड़ा हुआ था, चीन के पास रहेंगी । इन दो चौकियों पर चीन ने ८ सितम्बर, १९६२, को जबरदस्ती कब्जा कर लिया था और उन से ही हम चीन को निकालना चाहते हैं । इस के अतिरिक्त सारा लद्दाख हम उन को देने के लिये तैयार हैं । बहुत से विदेशी समाचारपत्रों ने भी साफ साफ कहा है कि चीन का लक्ष्य, पूर्वी क्षेत्र की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर के, पश्चिमी क्षेत्र को अपने कब्जे में रखना है । लद्दाख में हमारी चौकियां देहरा और किज़िल में थीं । चीनियों की कोई चौकी नहीं थी । हम किज़िल थिगला की १२,००० वर्ग मील भूमि केवल इसलिये उन्हें दे रहे हैं कि २० किलोमीटर का विसैन्यीकृत क्षेत्र बनाया जा रहा है । मुझे खेद है और आश्चर्य है कि प्रधान मंत्री इस को स्वीकार कर रहे हैं । मेरे विचार में यही वह दुर्बल नीति है जिस के कारण देश को हानि हुई है । हम ने एक स्वर से प्रधान मंत्री का समर्थन करने का निश्चय किया था, परन्तु इस बात पर हम कभी सहमत नहीं हुए कि चीनी सैनिक धमकी द्वारा जो भी बात हमें कहेंगे हम उन को मान्यता देंगे । **(अन्तर्बाधा)**

"युद्ध तथा शांति में चीनी आक्रमण" नामक जो एक पुस्तक हमें दी गई है, उस में यह कहा गया है कि

"आक्रमण के साथ समझौता करना या आक्रामक की सैन्य धमकियों को मान्यता देना घातक होगा ।"

मैं इसी कथन को मानता हूं कि आक्रामक की बात को हम कभी मान्यता नहीं देंगे ।

सेला में हमारे १६००० सैनिक बिछुड़ गये थे और केवल ४००० को चीनियों की ३ लाख सेना के साथ युद्ध करना पड़ा। यह चीनियों ने भी समझ लिया है कि यदि २०,०००सिपाही उन का मुकाबला करते तो उन की ३ लाख सेना को हरा सकते थे । यह हमारे जवानों की वीरता की कहानी है । इसी वजह से चीनी निरुत्साहित हुए । इसी कारणवश उन्हों ने युद्ध-विराम की घोषणा की । आज हल्दीघाटी और

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराणा प्रताप को हम भूल गये हैं। हमारे देश में त्रुटि नेताओं में है न कि सैनिकों में। इसी कारण हमें स्वीकार करना पड़ा कि हम तैयार नहीं थे।

चीन का युद्धविराम केवल हमारी सेना में एक प्रकार की आत्मतुष्टि तथा सुस्ती लाने की एक चाल है। हमारे लोग बुद्धिमान हैं; वीर हैं। और जनसंख्या की दृष्टि से भी वह किसी से कम नहीं हैं। इस कारण मेरे विचार में हमें चीन के मनमाने सुझावों को स्वीकार नहीं करना चाहिये।

प्रधान मंत्री की इस बुद्धिमत्ता से झुकने की नीति का समर्थन हम नहीं करते। मैं प्रधान मंत्री की आलोचना न करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अब समय युद्ध का है। लद्दाख हमारा है और हम स्वयं हमला कर के उसे वापिस लें। हम किसी विदेशी को यहां शासन नहीं करने देंगे। वह प्राचीन काल से हमारी परम्परागत सीमा के भीतर है।

चीन तिब्बत के सम्बन्ध में अपना समर्थन न दे कर हम ने घोर भूल की थी। तिमबत और सिकियांग दोनों के मामले में हमें पूरा समर्थन देना चाहिये। यदि तिब्बत के मामले में हम ने भूल न की होती तो आज आक्रमण नहीं हो सकता था। तिब्बत अन्तःस्थ राष्ट्र होता। मंगोलिया के मामले में रुस समर्थन दे रहा हैं। तिब्बत के मामले में एलवोडोर, आयरलैंड, और न्यूजीलैंड ने आवाज उठाई। तिब्बतियों के मूल अधिकारों के नष्ट होने का प्रचार किया, परन्तु हम ने तब भी उन का समर्थन नहीं किया। ये बातें इस बात की द्योतक हैं कि हम चीन से डरते रहे।। इन कोलम्बो प्रस्तावों के विषय में भी हमें चीन से डर कर झुकना नहीं चाहिये। मैं समझता हूं कि बहुत से भारत वासियों की आवाज मेरी आवाज के पीछे है जब मैं यह कहता हूं कि हमें अपने नवम्बर के संकल्प के अनुसार चीनियों को बाहर खदेड़ फेंकना चाहिये।

प्रधान मंत्री ने कहा है कि इन प्रस्तावों के अनुसार हम ८ सितम्बर, वाली स्थिति के लगभग समीप ही पहुंच जाते हैं, परन्तु नक्शों से पता चलता है, कि हम ५,९०० वर्ग मील भमि दे कर केवल १८ वर्ग मील भूमि से सन्तुष्ट हो रहे हैं।

हमें इस बात को भी विचारना है कि चीन ने युद्ध-विराम क्यों घोषित किया। समय की गति को देखते हुए हमें युद्ध करना चाहिये। और मेरा विश्वास है कि उस दशा में चीनियों की भी वही दशा होगी जो जर्मन सैनिकों और नैपोलियन की सेनाओं की रूस में हुई थी। यदि हम चीनियों से लड़ेंगे तो अवश्य ही वे अपनी मौत मारे जायेंगे।

यदि हम सावधानीपूर्वक विचार करें तो यह विदित हो जाता है कि यह कोलम्बो प्रस्ताव चीन की एक चाल मात्र है और इन के पीछे वही विश्वासघात की भावना छिपी है जैसा श्विासघात उस ने हमारे साथ पूर्व में किया है।

चीन के धोखे की कहानी १९५४ से आरम्भ होती है। उसी समय से शब्दों द्वारा युद्ध चलता रहा है, परन्तु युद्ध तलवारों से लड़ा जाना चाहिये न कि शब्दों से।

हमें अपने शत्रु को समझना चाहिये। वह हम से ईर्ष्या करता है और हमें नष्ट करने का इरादा रखता है। वह विश्व के अन्य देशों की दृष्टि में भारत के बढ़ते हुए सम्मान को नहीं देख सका। ऐफ्रो-ऐशियाई देशों में हमारे बढ़ते हुए सम्मान को कम करने के लिये और हमें लज्जित करने के लिये चाऊ-एन-लाई ने यह पग उठाया है। यही नहीं बल्कि वह हमारे देश के अन्दर कगड़ बड़ फैला कर, अपनी प्रभुसत्ता कायम कर, यहां साम्यवादी सरकार स्थापित करना चाहता था। इस में उन्हें असफलता हुई है। परन्तु अब हमारा कर्तव्य है कि हम उत्साहपूर्वक लड़ें और उन्हें अपनी भूमि से खदेड़ दें। जब तक ८ सितम्बर वाली सीमा रेखा से परे हम उन को नहीं हटा देते तब तक आक्रामक के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) प्रधान मंत्री तथा श्री ढेबर के इस कथन से कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारे लिये हितकारी हैं तथा वह हमारी मांगों को पूरा करते हैं, मैं पूर्णतया असहमत हूं ।

सरकार द्वारा यह प्रतिज्ञा की गई थी कि हम तब तक युद्ध समाप्त नहीं करेंगे जब तक एक एक आक्रामक को अपने राज्य-क्षेत्र से निकाल नहीं देते । हमारा युद्ध एक सिद्धान्त पर आधारित था । ७ सितम्बर वाली रेखा सम्बन्धी स्थिति बहाल करने की हमारी मांग के पीछे भी वही सिद्धान्त था । उस सिद्धान्त का अतिक्रमण हुआ, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, और देश पर आक्रमण हुआ । अब किसी पग उठाये जाने से पूर्व यह आवश्यक है कि चीन हमारे राज्य-क्षेत्र से हट जाय । इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाय तो कोलम्बो प्रस्ताव हमारे देश के लिए अत्यन्त असन्तोषजनक हैं । राजनैतिक तथा सैनिक, दोनों प्रकार से यह हमारे शत्रु के लिए हितकारी हैं । मेरे विचारानुसार कोलम्बो शक्तियों ने भारत-चीन झगड़े को वास्तव में समझा ही नहीं है । यह केवल सीमा संघर्ष न हो कर युद्ध है । यह बात २० अक्तूबर के आक्रमण से सिद्ध हो चुकी है ।

हम ने प्रधान मंत्री का समर्थन किया और एकमत हो कर प्रतिज्ञा ली । उस का अभिप्राय यह था कि युद्ध तब तक जारी रखा जाय जब तक चीन को इस बात का अनुभव न हो जाय कि हम दुर्बल नहीं हैं, अतः बलपूर्वक हमें दबाना असम्भव है ।

मैं प्रधान मंत्री के इस मत से, कि यह प्रस्ताव हमारे हित में हैं, सहमत नहीं हूं । लद्दाख का ही प्रश्न लीजिए । प्रस्तावों के अनुसार चीनियों को वास्तविक अधिकार रेखा से, जो नवम्बर १९५९ की रेखा है, २० किलोमीटर पीछे हटना पड़ेगा । क्या यह विश्वसनीय है कि ८ सितम्बर के बाद चीनियों ने लद्दाख में २० किलोमीटर या इस से कम क्षेत्र पर ही अधिकार किया है ?

श्री ढेबर ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि सारी समस्या का केन्द्र बिन्दु यह है कि शत्रु को आक्रमण से कोई लाभ नहीं पहुंचने दिया जाय । मैं कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में संयुक्त अरब गणराज्य का, जिस ने सम्मेलन में सक्रिय भाग लिया था, मत पढ़ कर सुनाता हूं । वहां के सरकारी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था कि :—

> ". . . . . भारत जो चाहता था वह सब उसे इन प्रस्तावों से प्राप्त नहीं हुआ ।"

इन शुभचिन्तक तटस्थ राष्ट्रों ने अपना यथासम्भव प्रयत्न किया । किन्तु वे भूल गए कि उन्हें एक ऐसे देश के विषय में विचार करना पड़ रहा है जिस ने रूस की भी, जिस ने उसे पूर्ण रूप से शस्त्रों से सज्जित किया था, अवहेलना कर दी और क्षणभर में ही सहअस्तित्व की नीति को त्याग कर तथा युद्ध की नीति को अपना कर आक्रमण आरम्भ कर दिया ।

आखिर कोलम्बो सम्मेलन के यह राष्ट्र निस्सहाय ही थे । उन के पास कोई ऐसा प्रभाव तो है नहीं जिस से वे चीन के दृष्टिकोण को बदल सकें । सम्भवतः वह अपनी ही स्थिति सुधारने की चेष्टा में थे । और फिर वे समस्या से पूर्ण रूप से परिचित भी नहीं थे । इस विषय में मैं संयुक्त अरब गणराज्य के समाचार पत्र का एक और उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :—

> "चीन के एशियाई पड़ौसी राष्ट्र चीन के क्रोध को समझते थे । पाकिस्तान के द्वारा चीन के पक्ष में किए गए प्रचार ने उन्हें एक बड़ी सीमा तक भ्रान्त कर दिया था ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री इस के शेष भाग को ध्यान से सुनें :—

"एशियाई अफ्रीकी देशों में भारत का राजनयिक कार्य इतना असन्तोषजनक था कि कुछ ही राष्ट्र इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार थे कि चीन ने भारत के सीमा प्रान्त पर भीषण आक्रमण कर दिया है" ।

और वास्तविक समस्या यही है । उन राष्ट्रों को इस बात का भी ज्ञान नहीं था कि यह एक भीषण आक्रमण था । उन के पास भारत और चीन दोनों के प्रस्ताव थे और दोनों ने एक दूसरे के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था । इसलिए उन्हों ने एक मध्यम मार्ग निकालने का प्रयत्न किया । फिर वे कैसे कह सकते हैं कि यह वास्तव में हमारे लिए लाभप्रद और अधिक अच्छा है?

आज नेताजी का जन्म दिन है । नेताजी साम्राज्यवाद की निरंकुशता के विरुद्ध संयुक्त रूप से युद्ध करने के लिए विभिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के व्यक्तियों को एक ही झंडे के नीचे खड़ा कर सके उस का कारण था उन का अभीप्सित समस्याओं और चीज़ों के प्रति अटल दृष्टिकोण । हमें इसी प्रकार कोलम्बो प्रस्तावों को देखना चाहिए ।

मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । क्या उन के मस्तिष्क में ८ सितम्बर वाली स्थिति का विचार आने के समय यह विचार भी आया था कि कौन कौन सी चौकियां उनकी व हमारी होंगी । नहीं । क्योंकि हम एक सिद्धान्त के लिए लड़ रहे थे और कोलम्बो सम्मेलन ने उस के साथ न्याय नहीं किया ।

प्रधान मंत्री के अनुसार हमें उन प्रस्तावों से अपने उद्देश्य की प्राप्ति हो जायेगी । किन्तु हमारा उद्देश्य शत्रु के अधिकार से अपना प्रदेश छीन लेना है । उस के स्थान पर ये प्रस्ताव हमें आक्रामक के साथ एक मेज पर बैठ कर वार्ता मात्र करवा सकते हैं ।

हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि हम इन प्रस्तावों से सिद्धान्ततः सहमत हैं । चीन ने भी यही कहा । किन्तु चीन इन से सैद्धान्तिक रूप से ही सहमत हो सकता है । वह जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं करेगा ।

हम शान्तिपूर्ण उपायों में विश्वास करते हैं । हम ने प्रधान मंत्री की तटस्थता की नीति का समर्थन किया है । किन्तु आज प्रधान मंत्री इस बात से चिन्तित हैं कि यदि हम चीन के प्रस्तावों को, जिस ने हमारी हज़ारों मील भूमि हड़प ली है, अस्वीकार कर देंगे तो, संसार के अन्य राष्ट्र और तटस्थ राष्ट्र यह समझेंगे कि प्रधान मंत्री वार्ता के लिए तैयार नहीं ।

किन्तु क्या विश्व के राष्ट्र यह नहीं समझते कि हम अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल में विश्वास करते हैं ? हम चाहते हैं कि अपने लिए ही नहीं विश्व की समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए यह नीति निर्देशक सिद्धान्त मानी जाय । किन्तु यदि गोआ के सम्बन्ध में विश्व के जनमत की प्रतीक्षा करते रहते क्या हम कभी उसे पुर्तगाली साम्राज्यवादियों से मुक्त करा सकते थे ? चीन के साथ भी वही बात है । हम ने समस्त शान्तिपूर्ण उपाय अपना लिए हैं । किन्तु वह कोई तर्क मानने के लिए प्रस्तुत नहीं । वह तो केवल शक्ति का ही तर्क सुन सकता है । अब प्रधानमंत्री उस से कौन सी ऐसी नई बात करेंगे जो पिछले ५ या ६ वर्षों में नहीं की है । इसलिए जहां तक चीन का सम्बन्ध है हम शांतिपूर्ण उपायों की बात सोच कर अपनी जनता को कुपित ही करेंगे । चीन का विश्वास नहीं कि वह फिर आक्रमण कर दे । वह पहले ही चुम्बी दर्रे में सेना एकत्रित कर रहे हैं । प्रधान मंत्री ने चीन की चुनौती का सामना करने का आह्वान किया है । हम तैयार हैं । किन्तु

[श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी]

हम उस चुनौती को उस समय तक स्वीकार नहीं कर सकते जब तक हम अपने मित्रों की सहायता से अपनी सैनिक शक्ति न बढ़ा लें और जहां तक चीन का सम्बन्ध है शत्रुतापूर्ण रुख अपनाये रहें। चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया है किन्तु आप भावी सन्तान को यह नहीं कहने दें कि हम ने जनता के साथ विश्वासघात किया था।

†**श्री अ० प्र० जैन** (तुमकुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री त्रिवेदी ने अभी समझौता वार्ता के लिए कुछ सिद्धान्त बताये। उन्हों ने कहा कि हमें सैनिक शक्ति के सामने नहीं झुकना चाहिए। किन्तु मैं समझता हूं कि यदि सम्मानपूर्वक शांति स्थापित करने के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां हों तो इसे अस्वीकार करना उचित नहीं। वर्तमान समझौता वार्ता अन्तिम हल नहीं है अपितु वार्ता आरम्भ करने का आधार मात्र है। इसलिए हमें उन्हें अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।

कोलम्बो प्रस्तावों का सूत्रपात हम ने नहीं किया। कुछ तटस्थ राष्ट्रों ने अनुभव किया कि भारत और चीन के बीच में तनाव और युद्ध की स्थिति विश्व के हित में नहीं और उन्हों ने दोनों देशों के बीच समझौता कराने का प्रयास किया। उन के इस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि चीन भारत के विरुद्ध तेजी से यह प्रचार कर रहा है कि भारत शांति नहीं चाहता। हमें प्रस्तावों पर विचार करते समय हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है।

पहला प्रश्न तो यह है कि क्या यह सभा ८ सितम्बर वाली रेखा को स्वीकार करती है ? आज सुबह, प्रधान मंत्री के भाषण के दौरान, कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने कहा था कि सभा ने ८ सितम्बर वाली रेखा को कभी भी स्वीकार नहीं किया। इस सम्बन्ध में मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने श्री चाऊ एन लाई को २७ अक्तूबर १९६२ को लिखा था कि यदि चीन सरकार वास्तव में मतभेदों को शांतिपूर्ण ढंग से दूर करना चाहती है तो वह कम से कम ८ सितम्बर १९६२ की स्थिति कायम करे।

इस के पश्चात् १० दिसम्बर को चीन के २१ नवम्बर के एकपक्षीय युद्ध विराम प्रस्तावों पर चर्चा करते समय हम ने एक संकल्प पारित कर के सरकार की नीति का और उस के द्वारा उठाये गये कदमों का समर्थन किया था। श्री राम सेवक यादव का ८ सितम्बर के प्रस्ताव का संशोधन १३ के विरुद्ध २८८ मतों से अस्वीकृत कर दिया गया था, इन बातों को देखते हुए यह कहना कि सभा ने ८ सितम्बर वाला प्रस्ताव कभी स्वीकार नहीं किया अनर्गल है।

इसके पश्चात् प्रश्न यह उठता है कि कोलम्बो प्रस्ताव क्या है और यह ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव की मांगों को कहां तक पूरा करते हैं। हमें दिये गये नक्शे के अनुसार, चीन, जैसा कि उसका २० किलोमीटर पीछे हटने का प्रस्ताव है, चिपचैप प्रदेश में ८ सितम्बर वाली रेखा से पीछे हट जायगा। समसुंगलिंग क्षेत्र में भी चीन इस रेखा के पूर्व की ओर दूर तक हट जायगा। कुल मिला कर इन प्रस्तावों के अनुसार चीन ८ सितम्बर की रेखा वाले प्रस्ताव से अधिक भूमि छोड़ देगा।

किन्तु इसके प्रतिकूल हमें कुछ हानि भी होगी। ८ सितम्बर की रेखा वाले प्रस्ताव में हम ने यह मांग की थी कि चीन हमारी ४३ चौकियों को जिन पर उसने ८ सितम्बर के बाद अधिकार कर लिया था छोड़ दे। इन प्रस्तावों के अनुसार हम उन ४३ चौकियों को अपने सैनिक अधिकार में ले सकेंगे। किन्तु कोलम्बो सम्मेलन के स्पष्टीकरण के अनुसार चीन द्वारा खाली किये गये प्रदेश पर चीन और भारत की पुलिस का संयुक्त प्रशासन होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्वी क्षेत्र में केवल चेडोंग और थागला का ही विवाद रह गया है जिसके बारे में समझौता करना है । इस प्रकार लाभ और हानियों को देखते हुए कोलम्बो प्रस्ताव हमारी ८ सितम्बर वाली मांगों को बहुत कुछ पूरा कर देते हैं ।

इन प्रस्तावों को स्वीकार करने का एक लाभ यह होगा कि हम दुनियां को यह बता सकेंगे कि हम युक्ति संगत प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। इस से हानि तो कुछ होगी ही नहीं । समझौता वार्ता के यह मानी नहीं कि हम अपना प्रदेश छोड़ देंगे । किन्तु जैसा श्री द्विवेदी ने कहा है चूंकि हमारा सामना एक भयंकर और विश्वासघातक शत्रु से है, हमें अपनी सैनिक तैयारियां भी जारी रखनी हैं। सरकार को चाहिए कि वह प्रतिरक्षा के लिए तैयारियों में कमी न रखे । प्रतिरक्षा के लिए सब से बड़ी तैयारी औद्योगिक और कृषि उत्पाद बढ़ाना है और हमें उसी पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए ।

संक्षेप में मेरी राय यह है कि इन स्तावों को स्वीकार कर लिया जाय ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि कोलम्बो प्रस्तावों पर ध्यान पूर्वक विचार किया जाय । यह प्रस्ताव हमारी ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव की मांगों को लगभग पूरा कर देते हैं । दूसरी बात यह है कि मामले के इतने बढ़ने के बाद अब दूसरा विकल्प भी नहीं है ।

जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है मैं श्री जैन की इस बात से सहमत हूं कि सभा ने ८ सितम्बर वाले प्रस्ताव का समर्थन कर दिया है और यह कहना कि सभा ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया असंगत है ।

दूसरा प्रश्न यह उठता है कि क्या यह प्रस्ताव हमारी मांगों की पूर्ण रूप से अथवा काफ़ी सीमा तक पूरा कर देते हैं ? प्रधान मंत्री ने यत्नपूर्वक हमें यह बतलाया है कि यह प्रस्ताव हमारी मांगों को बहुत कुछ पूरा कर देते हैं। और मैं उनकी इस बात से सहमत हूं । श्री रंगा को छोड़ कर जिन्होंने उस रेखा की बाईं ओर की एक या दो छोटी चौकियों की ओर विनिर्देश किया था किसी भी अन्य वक्ता ने इस बात का खण्डन करने का प्रयत्न नहीं किया । इसलिए जब छः तटस्थ राष्ट्रों ने जिनकी सदभावना में संदेह नहीं किया जा सकता, मैत्रीपूण समझौता करवाने के लिए अपनी सेवायें अर्पित की हैं तो हमें भी इन प्रस्तावों पर गंभीरतापूवक विचार करना चाहिए ।

मैंने कई बार कहा है कि हमारा प्रचारतंत्र संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा । चीन के प्रचार कार्य को देखते हुए हम बहुत पीछे हैं । अमरीका और अन्य मित्र राष्ट्रों का भी यही कथन है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारे प्रचारतंत्र को अधिक कार्यक्षम बनाया जाय ।

यह सोचना भी निराधार है कि हम अपनी १४ नवम्बर, १९६२ को की गई प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं हैं ।

श्री द्विवेदी ने कहा कि युद्ध के अतिरिक्त चीन से निबटने का और कोई मार्ग नहीं । क्योंकि चीन उनके विचार में युद्ध के अतिरिक्त और किसी बात को नहीं समझता । हो सकता है यह सच हो । किन्तु हमारा रुख नैतिक दृष्टि से उचित है और हमें दुनिया का अधिक से अधिक नैतिक समर्थन प्राप्त होता जा रहा है जबकि चीन के प्रति विरोध बढ़ता जा रहा है । मुझे विश्वास है कि यदि हम युक्ति संगत दृष्टिकोण अपनायें, जैसा कि इन प्रस्तावों में सुझाया गया है, तो विश्व का अधिक से अधिक जनमत हमारे पक्ष में और चीन के विपक्ष में होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री याज्ञिक** (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, कोलम्बो प्रस्तावों पर प्रधान मंत्री द्वारा अपनाये गये रुख का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और कोलम्बो सम्मेलन के तटस्थ राष्ट्रों के प्रति अपना धन्यवाद दर्शित करता हूं।

मैं नहीं समझता कि कोलम्बो सम्मेलन के राष्ट्रों की आलोचना क्यों की जा रही है। यह सब तटस्थ राष्ट्र हैं। हम भी तटस्थ राष्ट्र होने के नाते एशियाई अफ्रीकी राष्ट्रों के इस तटस्थ गुट से सम्बन्धित हैं। इसलिए स्वाभाविक था कि वह भारत और चीन के बीच हुए इस युद्ध से चिंतित हो उठते और युद्ध विराम को स्थायी बनाने का और चीन तथा भारत में समझौता वार्ता कराने का कार्य भार संभाल लेते।

एक मध्यस्थ के रुप में वे चीन को आक्रामक नहीं कह सकते थे। उन्होंने चीन के त्रि-सूत्रीय युद्ध विराम प्रस्ताव और हमारे दृष्टिकोण पर विचार किया और चीन और भारत के बीच सौहार्द-स्थापन को सुकर बनाने के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में उनके दो बड़े ध्येय थे—एक युद्ध विराम को स्थायी बनाना और दूसरा दोनों देशों के बीच सौहार्द स्थापित करना।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे हमारी मांगों से बहुत अधिक मिलते जुलते हैं। नेफ़ा का ही प्रश्न लीजिये। वहां सारा ध्यान लोंगजू और थागला पहाड़ी पर केन्द्रित किया गया है। चीनियों ने कहा है कि वे मैकमहोन रेखा से २० किलोमीटर उत्तर तक हट जायेंगे। किन्तु फिर भी यदि हम उस रेखा तक अपने सैनिकों को भेजें तो चीनियों द्वारा प्रतिरोध किये जाने की संभावना है। अब कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार हम उस रेखा तक अपने सैनिक भेज सकेंगे।

दूसरी बात यह है कि थागला पहाड़ी और लौंगजू का प्रश्न चीन और भारत की आपस की वार्ता द्वारा निबटाया जायेगा। यही बात बड़ाहोती के सम्बन्ध में भी लागू होती है। लद्दाख में चीन के युद्धविराम प्रस्तावों के अनुसार भारतीय सेना को २० किलोमीटर पीछे हटना पड़ता। किन्तु कोलम्बो प्रस्तावों के अनुसार भारतीय सेन अपने वर्तमान स्थानों पर ही बनी रहेगी जबकि चीनी सेना को अपनी वर्तमान स्थिति से २० किलोमीटर पीछे हटना होगा। यह हमारे लिए एक लाभदायक स्थिति होगी।

किन्तु मुख्य प्रश्न हमारी चौकियों और विसैन्यीकृत क्षेत्र पर हमारे नियंत्रण के विषय में है। जैसा कि माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था यह सच है कि ८ सितम्बर को भी चीनियों की और हमारी चौकियों की और वहां के कर्मचारियों की संख्या एक जैसी ही नहीं थी। उनके संभवतः ५००० कर्मचारी थे जब कि हमारे कुल ५००। इसलिए हमें समानता का अधिकार मिल जाय तो हम अधिक कर्मचारी वहां रख सकेंगे। वह कर्मचारी सैनिक हैं या असैनिक इस बात की संयुक्त रूप में पड़ताल की जा सकेगी और कोलम्बो प्रस्तावों में इसका उपबन्ध है।

इसलिए विसैन्यीकृत क्षेत्र में हमारी स्थिति हमारे प्रस्तावों वाली स्थिति से भी अधिक अच्छी रहेगी। यद्यपि यह असहनीय है कि आक्रामक और पीड़ित उसी क्षेत्र पर जिससे उसे खदेड़ दिया गया हो एक ही संख्या में चौकियां और कर्मचारी रखें; किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, यदि हमें मैकमहोन रेखा से पीछे नहीं हटना पड़ता, यदि हमें लद्दाख सीमा पर अपनी वर्तमान स्थिति नहीं छोड़नी पड़ती, यदि चीनी २० किलोमीटर पीछे लगभग ८ सितम्बर की रेखा तक हट जाते हैं और यदि हम विसैन्यीकृत क्षेत्र में ८ सितम्बर १९६२ से अधिक संख्या में चौकियां और कर्मचारी रख सकते हैं तो हम अपने संकल्प की सारी शर्तें पूरी कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

सुना गया है कि चीन ने सारे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये हैं। यदि चीन इन्हें स्वीकार न करे तो समझौता वार्ता को अस्वीकार करने का उत्तरदायित्व हम पर नहीं रहेगा। हो सकता है कि समझौता वार्ता आरम्भ न हो इसलिए हमें अपनी सैन्य शक्ति को सबल बनाते रहना है जिससे हम किसी भी प्रकार के आक्रमण का सामना करने में समर्थ हो सकें।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया) : कोलम्बो प्रस्ताव, जैसा कि श्री ढेबर ने कहा है, समझौते की शर्तें नहीं हैं अपितु समझौता वार्ता आरम्भ करने के पूर्व शर्तें हैं। इन प्रस्तावों में हमें केवल यह सुझाया गया है कि क्योंकि इस समय युद्ध विराम है हमें समझौता वार्ता आरम्भ कर देना चाहिए। हम ने कभी भी समझौता वार्ता का विरोध नहीं किया। हम तो केवल इस बात का विरोध करते थे कि आक्रामक को आक्रमण से कोई लाभ नहीं पहुंचने दिया जाय।

छः तटस्थ राष्ट्रों ने कोलम्बो में बैठ कर कुछ प्रस्ताव तैयार किये हैं। वे हमारे समक्ष हैं। प्रधान मंत्री जी के कथनानुसार हम इन्हें सिद्धान्ततः स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि वह हमारे पक्ष के विरुद्ध नहीं जाते। परन्तु अभी इस बात को देखना है कि चीन उसे स्वीकार करता है अथवा नहीं। सुना है कि चीन इन प्रस्तावों को कुछ परिवर्त्तनों के साथ स्वीकार करने को तैयार हैं। परन्तु यह बात गलत है। मेरा विचार यह है कि यदि चीन इन प्रस्तावों को स्वीकार कर ले तो भारत चीन सीमा विवाद का हल निकल सकता है। परन्तु हमें शांति के लिए समझौते की बातचीत करते हुए भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपने आप को मजबूत बनाते चले जाना है।

[श्रीमती रेणुचक्रवर्ती पीठासीन हुई।]

यदि हमने अपने आप को मजबूत न बनाया तो हम चीनियों का मुकाबला नहीं कर सकेंग। हमें यह बात निश्चित रूप में याद रखनी चाहिए कि हम भाषणों तथा सुन्दर शब्दों से युद्ध नहीं जीत सकते। हमें सैनिक शक्ति के साथ साथ आन्तरिक शक्ति का भी निर्माण करना होगा। केवल सैनिक शक्ति के निर्माण से ही युद्ध जीत लिया जायेगा, ऐसी बात नहीं है। ४५ करोड़ लोगों को सैनिक शक्ति के निर्माण की ओर ले जाना सम्भव नहीं। हमें अपने प्रधान मंत्री में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, वह अन्ततोगत्वा अवश्य हमें विजय की ओर ले जायेंगे।

†**श्री फ्रेंक ऐंथनी** (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय) : आज की स्थिति में मेरा दिल भरा हुआ है और मेरा विनम्र निवदन है कि आज के संकट में से राष्ट्र को श्री नेहरू ही निकाल सकते हैं। इस समय देश में अधिक से अधिक एकता होनी चाहिए। इसके साथ ही मेरा कहना यह है कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह घोषणा कर दी थी कि हमने कोलम्बो प्रस्ताव सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिए हैं, इन प्रस्तावों को चर्चा के लिए सभा के समक्ष रखना उसका तिरस्कार करना है। मेरा तो स्पष्ट मत यह है कि प्रस्तावों को स्वीकार करने का निर्णय न केवल अपने इतिहास के लिए प्रत्युत एशिया के इतिहास के लिए दुर्भाग्य की बात है। मुझे तो इससे बहुत ही सदमा हुआ है। हमने १४ नवम्बर का प्रस्ताव बड़े उत्साह के साथ एक आवाज से पारित किया था परन्तु बाद में हालात कुछ बदलत हुए दिखाई दे रहे हैं।

इन परस्थितियों में भी मुझे इस बात का हर्ष है कि सरकार ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उसका चीनियों के साथ तब तक बातचीत करने का इरादा नहीं है

†मूल अंग्रेजी में

[श्री फ्रेंक ऐंथनी]

जब तक कि उनको यह पता न चल जाये कि चीनी वास्तव में क्या गोपनीय इरादे रखते हैं। मझे तो एसा ही लगता है कि कोलम्बो प्रस्ताव हमारी स्थिति से मिलते जलते हैं। सब से बड़ा अन्तर इस दिशा में यह है कि उन्होंन उस सिद्धान्त को ध्यान में नहीं रखा जिस पर चीनियों द्वारा ८ सितम्बर १९६२ की रेखा तक वापिस चले जाने के हमारे प्रस्ताव आधारित हैं। हमारे प्रस्ताव में चीनियों द्वारा बिना शर्त के ८ सितम्बर की रेखा तक पीछे हटने की बात है। और इसमें किसी क्षेत्र में दोहरे नियन्त्रण का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। एसा लगता है कि इस मामले में हमारी नीति अपनी स्थिति से पीछे हटने का ही द्योतक दिखाई देती है। और स्पष्ट ही है कि चीनी नीति सोच समझ कर कूटनीति से आगे बढ़ने की है। मेरे विचार में सिद्धान्त को छोड़ कर समझौता किया गया तो इसका बहुत ही बरा परिणाम होगा।

हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि चीनी आक्रमण के कारण देश भर में जागृति की एक लहर दौड़ गयी है, यदि हमने सिद्धान्त को छोड़ कर कोई पग उठाया तो इस जागृति को बहुत धक्का लगेगा। मेरा मत तो यही है कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करना लड़ाई के लिए राष्ट्र के दृढ़ संकल्प को निष्प्रभाव बनाने वाली बात है। हमें कोलम्बो राष्ट्रों के प्रयत्नों की श्लाघा करनी चाहिए परन्तु कोलम्बो राष्ट्रों ने एक प्रकार की सौदे बाजी की बात की है। इस सौदेबाजी की भावना का हमारे प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कई बार विरोध किया है। कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों द्वारा चीन को बहुत कुछ मिल जायेगा जिसकी उसे कभी भी आशा नहीं थी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि यदि हमने कोलम्बो प्रस्तावों के आधार पर चीन के साथ बातचीत करना स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब यह होगा कि हम अपनी लगभग १६००० वर्ग मील भूमि चीनियों को सौंप देना चाहते हैं। मेरे विचार में यह अपने क्षेत्र का आत्म समर्पण करने वाली बात ही होगी।

लम्बो सम्मेलन से सम्बन्धित शक्तियों के उल्लेख में मेरा निवेदन है कि हमारे प्रधान मंत्री चीन के बारे में जरूरत से अधिक शरीफ रहे हैं। और इसका परिणाम यह हुआ है कि कोलम्बो-राष्ट्र भी चीन की चाल के शिकार बन गये हैं। चीन उन पर अपना आंतक कायम करने में सफल हो गया है और वे चीन की बढ़ रही शक्ति से भयभीत हो गये हैं। उन में इतना साहस भी नहीं हुआ कि चीन को आक्रांता घोषित कर सके। उन्होंने भारत और चीन को एक ही स्तर पर रख कर बात की है। इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि चीन का सम्बन्ध राजनीतिक तथा सैनिक दृष्टि से साम्यवाद के साथ है। हमने जब स्वेज का मामला आया था स्पष्ट रूप में ब्रिटेन को आक्रांता कहा था, चाहे हम अपनी तटस्थता की नीति पर कायम थे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें यह नहीं भलना चाहिए कि हमें देश को तैयार रखना है और मेरा विचार यह है कि यदि हमने पीछे हट कर चीन से वार्ता आरम्भ की तो हमें देश तैयार करने में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सम्भवतः इसका अवसर ही न मिले। चीन वाले हमें अचेत करके फिर आक्रमण करना चाहते हैं। हमें अपने राष्ट्र की पूरी शक्ति से रक्षा करनी है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : कोलम्बो राष्ट्रों और कोलम्बो सम्मेलन के प्रस्तावों के बारे में काफी भ्रांति पाई जाती है । यह बात बिल्कुल निराधार है कि सरकार ने अपने सिद्धान्त छोड़ दिये हैं। यह भी भ्रांति है कि सरकार अपनी नीति से पिछड़ रही है । कोशम्बो प्रस्ताव स्वीकार कर लेने से देश का आत्मसम्पर्ण हो जायेगा, यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। हम बातचीत करने से हमेशा पक्ष में रहे हैं, अतः बातचीत करने से इन्कार कर देने का अर्थ तो यह होगा कि हम उन सब सिद्धान्तों का खंडन कर रहे हैं जिस पर हम गत कई वर्षों से दृढ़ हैं । हमें कोलम्बो सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले राष्ट्रों का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने साहस से काम लेकर इतना कुछ किया है । उन्होंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ये समझौते का अन्तिम रूप तो है नहीं । इन पर तो अभी चर्चा होनी है । एक बात स्पष्ट है कि तटस्थता की नीति का गौरव संसार भर में बढ़ गया है कोलम्बो राष्ट्रों के अतिरिक्त कोई राष्ट्र भी और इस संकट के सामने आगे नहीं आया है ।

आज सारा राष्ट्र १४ नवम्बर १९६२ के उस संकल्प के साथ सम्बद्ध है जोकि संसद् ने पारित किया था । सारा राष्ट्र चीनी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए दृढ़ संकल्प और जागरूक है । हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे । उपरोक्त प्रस्ताव की पृष्ठ भूमि में भी सारी कार्यवाही की जा रही है । यह गलत है कि हम अपनी १६,००० वर्गमील भूमि चीन को दे रहे हैं ।

इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि देश आर्थिक रूप में आगे बढ़ । यह भी ध्यान रखा जा रहा है कि योजना का कार्य रुके नहीं और उसमें को महत्वपूर्ण कांट छांट न करनी पड़ । एक बात मैं प्रधान मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें विवाद का उत्तर देते समय यह बताना चाहिए कोलम्बो प्रस्तावों को मान लेने से कितने मील क्षत्र का प्रश्न उत्पन्न होता है । मेरा मत यह है कि बात-चीत करनी चाहिए और यदि बातचीत असफल रहे तो निश्चय से युद्ध करना चाहिए।

†**श्री खाडिलकर** (खड) : कोलम्बो राष्ट्रों ने भारत चीन संकट के बारे में जो प्रयत्न किये हैं उनकी मैं सराहना करता हूं । इन राष्ट्रों ने दोनों देशों का गतिरोध भंग करने की दिशा में ईमानदारी से काम किया है । यह कहना ठीक नहीं कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया तो यह सशर्त समर्पण होगा । इन प्रस्तावों के अनुसार स्थिति वही है जो हम चाहते थे, अर्थात् चीन ८ सितम्बर, तक की स्थिति में आ जाये । इससे चीन को वह सब स्थान छोड़ने होंगे जो उन्होंने सैनिक आक्रमण करके हथिया लिये हैं ।

मेरा निवेदन है कि जो लोग कोलम्बो राष्ट्रों की आलोचना कर रहे हैं । उन्हें संसार में उभर रही शक्तियों का ज्ञान बहुत कम है । इस समय पूर्व और पश्चिम एक दूसरे से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार युद्ध को रोका जाय । इस पृष्टभूमि में यह बहुत ही आवश्यक है कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाय । इससे अफ्रीकी एशिया एकता को मजबूत किया जा सकेगा । यदि चीनी इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते तो संसार भर में उनकी अपने आप ही निन्दा हो जायेगी । अतः मेरा कहना यह है कि कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आर० एस० पाण्डेय ।

श्रीमती सेहादराबाई राय (दमोह) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को भी चांस मिलना चाहिये ।

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इन कोलम्बो प्रस्तावों का सम्बन्ध है, मैं निवदन करना चाहता हूं कि चाइना वार जब से हुई है, तब से लेकर आज तक का इतिहास

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

हमारे सामने है। उस इतिहास की पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो अनुभव होता है कि प्रजातन्त्र की रक्षा की दृष्टि से वैस्टर्न पावर्ज ने यह कहा है कि किसी भी कम्युनिस्ट देश से अगर इस तरह का आक्रमण होता है तो हम स्पांटेनियसली आपकी सहायता के लिए आयेंगे और वे आए। सारा देश इस बात को जानता है कि हमें सहायता का आश्वासन मिला और आर्मी के लिए स्ट्रेटेजिक वैपंज की सहायता हमें दी गई। इतिहास यह भी जानता है कि हमारे अफ्रीका और एशिया के पड़ौसी राष्ट्रों ने भी इस बात को गवारा नहीं किया कि हमारे इस देश के प्रजातन्त्र पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हो। उन्होंने इस सारी हकीकत को समझा और समझने के बाद वे स्पांटेनियसली, अपनी ही तरफ से, खुद ही इंनिशियेटिव लेकर इकट्ठा हुए और कहा कि यह बात गलत है कि एशिया की भूमि पर, हिमालय की पर्वतमालाओं पर, सीमा की रेखाओं पर रक्त बहे। उन्होंने यह बात पसन्द नहीं की। उनकी इस भावना की हम कद्र करते हैं, जैसे कि पश्चिमी राष्ट्र हमारी सहायता के लिये आये, हमने उनका स्वागत किया, उसी प्रकार एशिया और अफ्रीका के यह देश थे जिन्होंने इस तथ्य को समझा और टोटैलिटेरियन रिजीम को आगे बढ़ने से रोकने में मदद की और उनसे यह कहा कि तुम्हारा यह काम गलत है।

जहां तक ऐग्रेशन की बात है, उन्होंने अपने प्रस्ताव में यह बात कही हो या न कही हो, लेकिन मैं अपने एक साथी सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि आखिर उन्होंने हम से तो कुछ नहीं कहा, हमारे राष्ट्र से कुछ नहीं कहा कि हम एक इंच इधर हटें। उन्होंने चाइना से कहा कि उसको पीछे हटना चाहिये। हालांकि उन्होंने उस से प्रेसाइजली ८ सितम्बर की बात नहीं कही, लेकिन एक रास्ता निकाला जहां तक कि उसको पार्टिकुलर मीटर तक पीछे हटना चाहिये और कहा कि वहां पर ज्वायन्ट प्रोटेक्शन के लिये हमारी ज्वान्ट चेक पोस्ट होगी। हाउस इस बात से सहमत हो या न हो लेकिन कोलम्बो प्रपोजल के अन्तर्गत दो प्रश्न थे। एक तो वह जिस का सम्बन्ध राजनीति से था, अर्थात् यह कि एशिया में जो दो महान् राष्ट्र हैं वे आपस में न लड़ें। मैं समझता हूं कि उनकी इसके लिये प्रशंसा करनी चाहिये। जहां तक नेफा का सम्बन्ध है वहां पर जो हमने ८ सितम्बर की बात कही थी उसके लिये उन्होंने कहा कि चाइना ८ सितम्बर के स्थान तक पीछे हटे। सिर्फ ढोला और लोंग्जू इन दो स्थानों का झगड़ा है। इस सम्बन्ध में कोलम्बो प्रस्ताव में यह कहा गया कि हम लोग बैठ कर बात करें। जहां तक लद्दाख का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी गत्यावरोध पैदा होगा वहां उससे नई रोशनी मिलेगी। हम इससे सहमत हों या नहीं, इसी बात के लिये हम यह प्रस्ताव चाहता है कि पार्लियामेंट इस को समझे और समझने के बाद एक निर्देश दे कि आखिर यह स्थिति आ चुकी है या नहीं कि हम बैठ कर बात करें। जहां तक इस बात का प्रश्न है बहुत स्पष्ट शब्दों में प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वे इस सम्बन्ध में बात करने को तैयार नहीं हैं जब तक कि सिद्धान्ततः चाइना इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि वह ८ सितम्बर की लाइन तक पीछे जायेगा। जहां तक हमारे सिद्धान्तों का सवाल है, जहां तक हमारी मर्यादा का प्रश्न है, जहां तक इस निर्णय का प्रश्न है जो कि पार्लियामेंट ने किया, हम उसके पीछे नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ एक बात यहां पर देखना चाहते हैं कि जो कोलम्बो प्रस्ताव हमारे सामने है क्या वह ऐसी स्थिति पैदा रकरता है कि हम बैठ कर चीन से बात करें या न करें। केवल यह निर्देश यह प्रस्ताव चाहता है और इस बात को न केवल एक बार बल्कि जैसा हमारे कुछ साथी सदस्यों ने कहा, बार इस सदन में कहा गया है कि अगर ८ सितम्बर की लाइन के पीछे चीन हट जाता है तो फिर हमारा जो झगड़ा हुआ है तो उसको आपस में मिल कर तय कर सकते हैं।

जहां तक अपोजीशन का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डिमाक्रेटिक सेट अप में अपोजीशन का उतना ही इम्पोर्टेन्ट रोल होता है जितना कि रूलिंग पार्टी का। हर कंट्री में, खास कर जहां तक ब्रिटेन का सम्बन्ध है, अपोजीशन हमेशा एक अल्टर्नेटिव प्रपोजल लेकर आता है और गाइड

करता है कि इस तरह से किया जाय, कहता है कि एक यह अल्टर्नेटिव है दूसरा यह अल्टर्नेटिव है। जहां तक हम अपने यहां के अपोजीशन के रोल को देखते हैं, अगर आप गौर कीजिये, तो वह यही कहता रहा है कि हमारे पास जत्था नहीं था, बन्दूक नहीं थी, रंगा साहब कहते हैं कि थ्री नाट थ्री बुलेट पावरफुल नहीं थी। हर एक आदमी एक्सपर्ट ओपीनिअन लेकर आता है। जहां पर सिद्धान्त की बात होती है वहां वह यह प्रोफेसी लेकर आते हैं कि हमने तो पहले ही यह कह दिया था कि पंडितजी जरूर ही समझौता कर लेंगे। इस सदन में भी यह कहा जाता है और इस सदन से बाहर भी। इस सदन में खड़े होकर सबने प्रस्ताव किया था और यह अपोजीशन भी उसमें शामिल था। लेकिन मुझे मालूम है कि खास तौर से स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ की पूरी कैम्पेन चल रही है सारे देश में और उन्होंने हर एक मंच से यह कहा कि हमने तो पहले ही कह दिया था, सन् १९५०, १९५१ और १९५२ में ही कह दिया था कि चीन का आक्रमण होगा। कहीं कहीं तो महर्षि अरविन्द को भी कोट किया जाता है कि महर्षि अरविन्द ने मरने के पहले कहा था कि चीन हम पर हमला करेगा। ऐसी स्वर्गीय आत्माओं का नाम ले कर वे लोग कहते हैं जिनसे जाकर हम पूछ भी नहीं सकते हैं। प्रश्न है अपोजीशन का। मैं आप से कहता हूं कि एक वह दिन आना चाहिये जिस दिन विरोधी दल कुछ दायित्व समझे और देश के अन्दर एलेक्शन, वोट्स, सेंटिमेण्ट्स और भोले भाले लोगों को भड़काने की प्रवृत्ति से दूर होकर एक सालिड और कांक्रीट अपोजीशन का जो रोल होता है आल्टर्नेटिव देने का, उसको दे कि "श्रीमान् प्रधान मन्त्री जी आप जो कर रहे हैं उससे हमारा मतभेद है, आप को यह करना चाहिये।" किसी भी विरोधी दल के सदस्य ने यह नहीं कहा कि आपकी इस बात से हम यहां तक सहमत हैं और यहां तक नहीं सहमत हैं। यह हमारी राय है और यह आप को करना चाहिये। लेकिन यहां तो यह है कि हर चीज प्रधान मन्त्री की गलत, हर चीज ट्रेजरी बेंचेज की गलत, रूलिंग पार्टी की हर चीज गलत, वार की बात वह करते हैं तो गलत, शान्ति की बात करते हैं तो गलत, फौज की बात करते हैं तो गलत। हमारे कृपालानी साहब ने इसी फ्लोर पर हमारे बजट को क्रिटिसाइज किया था कि यह गरीब देश है, भूखा देश है और गोला बारूद में इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन अब कृपालानी साहब क्या कहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : वह सदन में हैं ही नहीं।

†**श्री रा० शि० पांडे** : जिस समय वह थे उस वक्त की बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम आप न लें। यह कहिये कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लीडर ने यह कहा था और आज प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यह कह रही है। किसी का व्यक्तिगत रूप में नाम लेकर आलोचना नहीं की जानी चाहिए।

श्री रा० शि० पाण्डेय : मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करता हूं, और मैं नाम नहीं लूंगा। अगर नाम लेना भी पड़ा तो लीटर आफ दि पार्टी कहूंगा।

जहां तक विरोधी दल का प्रश्न है, एक विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि सारा देश एक आदमी के रूप में प्रधान मंत्री के पीछे खड़ा हो गया। मैं आप से कहता हूं कि अगर प्रधान मंत्री के पीछे सारा देश खड़ा ही गया तो प्रधान मंत्री भी तो कोई चीज है। प्रधान मंत्री पर जो विश्वास है, जो आस्था है, जो उस के प्रति राष्ट्रीय भावना होने का दायित्व है, उसके कारण ही सारा देश उन के पीछे खड़ा हो गया। सारा देश किसी विरोधी तत्व के पीछे नहीं खड़ा हुआ। वह कहते हैं कि हम पंडित जी के पीछे थे। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि अगर पंडित जी के पीछे न खड़े होते तो क्या होता ? कम्यूनिस्ट पार्टी ने ऐग्रेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, यह नहीं कहा कि : "चीन आक्रान्ता है।" और सारे देश के लोग उसके पीछे पड़ गये। उन्होंने कहा : कि आप को स्पष्ट तौर पर कहना होगा कि चीन

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

आक्रान्ता है। और जब उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया और कहा कि चाइना ने ऐग्रेशन कमिट किया है, तब उन्होंने समझा को हां, कम्यूनिस्ट पार्टी में भी कुछ लोग हो सकते है जो पैट्रियाटिक हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं कहा उन का क्या हाल हुआ यह आप को मालूम है। अगर हमारे विरोधी जनता के सामने जा कर कहते कि हम पंडित जी के साथ नहीं हैं तो उन को पता चल जाता कि पंडित जी के साथ न होने से क्या बात होती है। मैं आप से कहता हूं कि यह बात स्पष्ट है कि अगर सारा देश खड़ा हो गया तो उन की टीचिंग्स, उन के इन्स्पिरेशन उनकी प्रेरणा, उनकी राष्ट्रीयता, उन के आदर्श, उन के व्याख्यानों से नहीं खड़ा हुआ। ६०, ७० वर्षों का इतिहास है कांग्रेस का। उस में ५० वर्षों का ज्वलन्त नेतृत्व है पंडित जी का। इस देश के लोगों का विश्वास है कि पंडित जी के हाथों में हमारी रक्षा, देश की रक्षा, देश की सीमाओं की रक्षा सुरक्षित है, और अगर कभी लड़ना भी पड़ा तो हम अपने देश की रक्षा कर सकेंगे। आज यह आस्था और वश्वास है और इस विश्वास, इसी प्रेरणा, इसी भावन., इसी आस्था तथा निष्ठा के कारण सारा देश एक हो कर खड़ा हो गया।

जहां तक कोलम्बो प्रस्ताव की बात है मैं आप से कहता हूं कि यह देश लड़ सकत. है। पिछले महीनों का इस देश का इतिहास जितनी ज्वलन्त शांति का रहा है उतनी ही ज्वलन्त क्रान्ति का भी रहा है। पंडित जी के संबंध में एक अमरीकी मुंह से कही गई बात सुन कर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस ने कहा कि हमारे देश में इस आक्रमण के बाद प्राइम मिनिस्टर पर जो रिऐक्शन हुआ है वह यह कि हम लडेंगे, लडेंगे और लडेंगे, और जब तक एक एक इंच भूमि चीन खाली कर के नहीं जायेगा तब तक लड़ेंगे, और उन्होने ८ सितम्बर की बात भी दोहराई है कि हम तब तक आगे नेगोशिएशन नहीं करेंगे जब तक चीन ८ सितम्बर की लाइन तक पीछे नहीं चला जाता।

यह बाप पंडित जो ने कही। इस में कहीं कोई कनफ्यूजन या भ्रम नहीं है। हमारा स्टैंड स्पष्ट है कि हम देश की रक्षा करेंगे जरूरत होगी गोली चलाने की तो गोली भी चलायेंगे और जरूरत होगी हथियार चलाने की तो हथियार भी चलाएंगे। लेकिन हमने संसार के सामने एक उदाहरण रखा है, नान एलाइजमेंट का हमारा सिद्धांत है, शांति का हमारा सिद्धांत है और अगर आवश्यकता होगी तो हम बैठ कर बात भी करेंगे। लेकिन बात तभी करेंगे जब कि चीन ८ सितम्बर की लाइन तक हट जायेगा और हम को कोलम्बो प्रस्ताव से क्लियर सिगनल मिलेगा कि अब अवसर आ गया है, बात करो। अवसर होगा तो हम लडेंगे भी और आवश्यकता होगी तो हम बात भी करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** :हम ने आवश्यकता पड़ने पर देर तक बैठने का निश्चय किया था। आज हम साड़े छः बजे तक बैठेंगे।

†**श्री भागवत झा आजाद** (भागलपुर) अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर हमें, देशवासियों के प्रति, जो उन्होंने इस संकट काल में एकमत की भावना का प्रदर्शन किया है, उस के लिए कृतज्ञता प्रकट करते हुए, एक बार फिर चीनियों की अपने राज्य क्षेत्र से निकाल बाहर करने की प्रतिज्ञा करनी है। साथ ही साथ देश द्वारा, चीनी आक्रमण का सामना करने के लिये, जिस दृढ़ता साहस तथा बलिदान की अभिव्यक्ति की गई, उसमें ढ़ील नहीं आने देनी है।

चीन के साथ हमारा संघर्ष एक लम्बा संघर्ष होगा। विरोधी पक्ष वाले नहीं चाहते कि हम बातचीत के लिये तैयार हों, अतः वह युद्ध को ही समस्या को सुलझाने का ही एकमात्र उपाय मानते है ; परन्तु वह युद्ध को वास्तविक रूप में समझते ही नहीं। बातचीत भयी एक प्रकार से

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध का एक रूप है । मैं समझता हूं कि चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए कोलम्बो प्रस्ताव अथवा बातचीत करने के प्रयास भी हमारे युद्ध का एक रूप मात्र है ।

मैंने विरोधी पक्षों के सदस्यों को जनमत की बातें करते सुना है, परन्तु मैं आप को बताना चाहता हूं कि गांव गांव में घूम कर मैंने लोगों के विचारों को समझने का प्रयत्न किया है , और मैं समझता हूं कि जनसाधारण चीनी आक्रमण का सामना करने के लिए सरकार तथा प्रधान मंत्री की नीतियों का पूरी तरह से समर्थन करता है । जिन सदस्यों ने प्रधान मंत्री की तुलना चैम्बरलेन से की है वह इतिहास से अनभिज्ञ हैं । वह तूड्रो विल्सन को नही जानते जो शांति का दूत था परन्तु जिस ने युद्ध भी लड़ा । वह रूजवैल्ट को नहीं जानते जिस की विख्याति अर्थशास्त्र के कारण होती, परन्तु जिस ने युद्ध भी लड़ा था । इस प्रकार को बातें करके उन्होंने इस लोकतंत्रात्मक देश में एक बहुत बुरा पूर्व निर्णय कायम किया है ।

जहां तक चीन के आक्रमण का सामना करने का संबंध है हम सब एकमत है, परन्तु कोलम्बो प्रस्तावों के संबंध में विरोधी पक्षों को धैर्य से काम लेना चाहिए था । यह प्रस्ताव झगड़े को सुलझाने के लिये नहीं, परन्तु दोनों देशों के बीच बातचीत आरम्भ करवाने मात्र के लिए है। हमारी सरकार द्वारा यह बातचीत आक्रमण को समाप्त करने के लिए होगी ।

आरम्भ में किसी भी आक्रमणकर्ता को सफलता प्राप्त होना स्वाभाविक ही है । भारत को असफलताओं का सामना इसलिये करना पढ़ा कि हम शांति तथा लोकतंत्र में विश्वास करते थे । परन्तु आज हम चीन को एकलित करने में सफल हो गये है । कूटनीति के क्षेत्र में यह हमारी जीत है । अल्बानिया आदि को छोड़ कर समस्त संसार का जनमत हमारे साथ है । मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस आक्रमणकर्ता की असफलता से पूरा लाभ उठायें ।

कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार करके मैं नहीं समझता किस प्रकार हमने अपने देश के सम्मान तथा अखण्डता का बलिदान किया है । विरोधी पक्ष वाले बेशक शोर मचाते रहें । हिटलर ने कहा था कि "यदि आप एक झूठ को सौ बार दोहरायें तो वह सच का रूप धारण कर लेगा" ।

* * * * * *

विरोधी पक्ष वाले हिटलर की कहावत में विश्वास करके केवल झूट को सच बताना चाहते हैं उन की ओर से अपनी बात के समर्थन में एक भी यूक्तियुक्त उदाहरण नहीं दिया गया कि किस प्रकार कोलम्बो प्रस्तावों को मान्यता दे कर हम अपने देश के सम्मान तथा अखण्डता का बलिदान कर रहें हैं ।

युद्ध काल में जब हम जनता से बलिदान की अपीलें कर रहे थे, तो विरोधी पक्ष वालों ने ऐसा प्रचार किया कि सरकार बहुत बड़ा अपराध करने जा रही है। और आज इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी इनका यही दृष्टिकोण है।

कुछ सदस्य यह भी कहते हैं कि प्रधान मंत्री के उस प्रस्ताव का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक चीनी ८ सितम्बर से पूर्व की स्थिति को बहाल नहीं करते, तबतक उनसे कोई बातचीत आरम्भ नहीं की जा सकती, उन्होंने समर्थन नहीं किया था । परन्तु यह तथ्यहीन है । श्री रामसेवक यादव के संशोधन को अस्वीकार करके सभा ने प्रधान मंत्री की विचारधारा का समर्थन किया था । इसलिए सरकार की नीति में सभा भी वचनबद्ध है ।

***अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

[श्री भागवत झा आज़ाद]

हमारा देश शांति की नीति में विश्वास रखता है। इसी नीति के कारण हमारे देश ने और हमारे प्रधान मंत्री ने संसार में विख्याति प्राप्त की। मैं समझता हूं कि शांतिपूर्वक ढंग से मामले को सुलझाने से हम अपने देश के सम्मान को बढ़ा रहे हैं और इसकी अखण्डता का भी हमें ध्यान है।

कोलम्बो प्रस्तावों से हमारी मांग पूरी हो जाती है। इसके अलावा, बातचीत न करना जंगल का कानून है, और असभ्यता तथा दुर्बलता दर्शाता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इन प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी जाय। यदि चीनी इनसे सहमत न भी हुए तो संसार को मालूम हो जायगा कि वह विस्तारवादी हैं। हम बातचीत किस लिए करें? इसलिए, कि हम उनको बता सकें कि आक्रमण चीन ने किया है। यदि बातचीत द्वारा सफलता प्राप्त न हुई, तो दूसरा उपाय हमारे सामने है और वह उपाय है सैनिक उपाय। मुझे विश्वास है कि हमारा देश हर प्रकार से तैयारी करता रहेगा; और यदि चीनी सीधे तरीके से न मानें तो बलपूर्वक हम उन्हें बाहर निकाल फैंकेंगे।

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, पहले मैं एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि यह सितम्बर ८ लाइन के बारे में इस हाउस में एक दलील दी जा रही है और वह यह है कि श्री रामसेवक यादव का जो प्रस्ताव था वह इस हाउस में गिर गया था इसीलिए यह सदन ८ सितम्बर की लाइन को मानता है। यह एक तर्क दिया जा रहा है। लेकिन यह एक असत्यपूर्ण तर्क है क्योंकि श्री रामसेवक यादव ने जो प्रस्ताव दिया था उसमें सिर्फ यह नहीं था कि ८ सितम्बर को खत्म किया जाय बल्कि उसमें कुछ और चीजें भी थीं जैसे कि १५ अगस्त १९४७ को माना जाय। इसलिए जो अमैंडमेंट गिरा वह पूरा अमेंडमेंट गिरा था और जब १५ अगस्त १९४७ की जो बात थी वह गिर गयी सदन में लेकिन उसका मतलब यह कभी नहीं निकल सकता है, किसी तर्क के अनुसार नहीं निकल सकता है कि ८ सितम्बर की लाइन को इस सदन ने मान लिया है। ऐसा असत्यपूर्ण तक इस हाउस के डिसी-शंस के बारे में कम से कम इस सदन में नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं फिर दुहराता हूं कि प्रधान मंत्री नेहरू जी ने आज जैसा भाषण दिया वह बिल्कुल आश्चर्यपूर्ण था और इस सदन को * * * * . . .

श्री शिवनारायण (बांसी): अध्यक्ष महोदय, औन ए प्वाएंट ऑफ आर्डर * * * * यह शब्द इस्तेमाल करना बहुत ज्यादती है और माननीय सदस्य को अपने इन शब्दों को वापिस ले लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छे शब्द नहीं हैं जोकि इस तरह से इस्तेमाल किये जांय। प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मेम्बर हो उसकी बावत यह कहना कि वह धोखा दे रहा है, ठीक नहीं है और ऐसे शब्द डिबेट में नहीं आने चाहिएं। यह शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं।

श्री किशन पटनायक : यह शब्द अनपार्लियामेंटरी तो नहीं हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि वे शब्द अनपार्लियामेंटरी हैं। किसी की नीयत पर शक करना और प्राइम मिनिस्टर या ख्वाह किसी भी मेम्बर के लिए यह कहना कि वह जानबूझ कर धोखा देता है, ठीक नहीं है। माननीय सदस्य अपने इन शब्दों को विदड्रा कर लें।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री किशन पटनायक : यह सदन के प्रति न्यायपूर्ण नहीं था .....

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरी बात है लेकिन यह** शब्द आप विदड्रा करते हैं या नहीं ?

श्री किशन पटनायक : जी हां, मैं उनको विदड्रा करेता हूं ।

तारीख १४ नवम्बर को जो शपथ इस सदन में हम लोगों ने ली थी और जिस शपथ को लेने के समय आपने भी कहा था कि सब लोग खड़े हो जांय, उस को जब इस सदन में कोट किया जाता है तो खाली आधा ही कोट किया जाता है जैसे कि आखिरी वह हिस्सा है कि दम नहीं लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आगे और एक वाक्य का हिस्सा है, जैसे कि संघर्ष कितना भी लम्बा और कठिन हो छोड़ दिया जाता है और संघर्ष का क्या अर्थ है वह तो ६ दिन के बाद जब कि बोमडीला का पतन हुआ तब प्राइम मिनिस्टर ने साफ़ किया । उन दिनों प्रधान मंत्री ने इन शब्दों में कहा है :—

> "अभी मैं आप लोगों को क्या आश्वासन दूं सिवाय इस के कि चाहे कुछ भी हो, जंग जारी रहेगी जब तक कि हम लोग बिल्कुल जीत नहीं जाते हैं और फिर उसके साथ जोड़ कर उन्होंने यह कहा कि यह सिर्फ मेरी राय नहीं है, यह सिर्फ़ इस सदन के बहुमत की राय नहीं है बल्कि इस सदन के एक, एक मेम्बर की राय है । यह देश के एक, एक मर्द, एक, एक औरत और एक, एक बच्चे की राय है ।"

से जोरदार ढंग से जिन बातों को प्रधान मंत्री जी ने कहा था क्या उनको वे इतनी जल्दी भूल गये? अभी इस का आप किस तरीके से यह अर्थ निकालेंगे कि जंग जारी है और यह जो कोलम्बो प्रपोज़ल्स पर निगोशिएशंस होगी वह भी क्या जंग ही होगी? शायद चिट्ठी पत्र लिखने और निगोशिएशंस करने को भी हमारे प्रधान मंत्री जी जंग ही मानते हैं क्योंकि तभी जाकर यह ठीक होगा कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा था वही किया । अगर यह सही नहीं है तो फिर प्रधान मंत्री, ज़रूर जो सदन ने कहा था और जो खुद उन्होंने कहा था, उसके ख़िलाफ़ आज कर रहे हैं । भविष्य का इतिहासकार शायद इसको किसी न किसी तरीके से एक कलंक की बात कह कर लिखेगा । वह शायद यह भी कहेगा कि प्रधान मंत्री कुछ ऐसे अकर्मण्य लोग थे, ऐसे जराग्रस्त हो गये थे कि उनको ऐसा करना पड़ा । क्योंकि यह बात नहीं है कि जराग्रहस्त आदमियों में उत्तेजना नहीं होती है, लेकिन अगर उनमें उत्तेजना होती भी है, तो वह उतनी जल्दी ठंडी पड़ जाती है । जैसे २० नवम्बर को तो यह बात कही और २१ नवम्बर को जब चीन ने ऐलान कर दिया कि हम सीज-फ़ायर कर गे, तो फिर ८ सितम्बर की लाइन पर आ गए ।

८ सितम्बर की लाइन की जो बात चल रही है, या कोलम्बो प्रोपोज़ल्ज़ की जो बात चल रही है, उस के पीछे अजीब अजीब तर्क दिये जा रहे हैं । हमको आज तक मालूम नहीं था कि जो काफ़ी बुड्ढे हो जाते हैं, वे लोग भी सपनों की दुनिया में बहुत ज्यादा विचरण करते हैं । यह बात हमको आज बहुत अच्छी तरह मालूम हो गई है ।

श्री डी० चं० शर्मा : क्यों बुड्ढों की निन्दा करते हैं ?

श्री किशन पटनायक : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस वक्त चीन बिल्कुल आइसोलेटिड है, दुनिया में उसके साथ कोई नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : अल्बानिया है ।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री किशन पटनायक : अल्बानिया को छोड़ कर और कोई नहीं है। दूसरे देशों में कौन कौन चीन के साथ हैं, मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना कह देता हूं कि * इस देश में बहुत से लोग चीन के साथ हैं।

अध्यक्ष महोदय : किसी चीज़ को बिल्कुल वज़न किये बगैर कह देना मुनासिब नहीं है। मेम्बर साहब को चाहिए कि वह जिम्मेदारी से काम लें। *

श्री किशन पटनायक : *

अध्यक्ष महोदय : यह बात बहुत ग़लत है। अगर माननीय सदस्य ऐसे लफ्ज़ कहेंगे, तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। मतलब तो माननीय सदस्य का कुछ होता है, लेकिन जो शब्द वह इस्तेमाल करते हैं, वे मुनासिबन हीं हैं।

श्री किशन पटनायक : मेरा मतलब यह है कि * मैंने कहा है .....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपने शब्दों को हमेशा तोल कर और वज़न करके कहा करें। वह हमेशा ऐसे शब्द कह देते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अनुचित होते हैं।

श्री किशन पटनायक : जो कुछ मैंने कहा है, मैंने तो उसका मतलब भी आपके सामने रख दिया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से हर एक बात का मतलब कौन पूछता रहेगा ? जो कुछ रिकार्ड में जायेगा, लोग उसको देखगे या माननीय सदस्य के मतलब को देखेंगे ?

डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : माननीय सदस्य ने पहले कहा कि उन्होंने इस सदन को धोखा दिया है और अब वही बात वह दूसरे तरीके से कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उससे भी ज्यादा है कि *

श्री किशन पटनायक : मैंने ऐसा नहीं कहा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने और क्या कहा है ? यह बात रिकार्ड से निकाल दी जायगी। प्रैस वाले भी इस बात को नोट करेंगे कि वे इसको शाया नहीं करेंगे।

श्री किशन पटनायक : कोलम्बो पावर्ज़ के प्रति भी काफ़ी आभार-प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन इस बात को शायद हम भूल जाते हैं कि जब जंग चली थी, जब चीन का हमला हुआ था, तब कोलम्बो पावर्ज़ में से कोई हम लोगों के साथ सहयोग करने के लिए, हम को फ़ौजी मदद देने के लिए, आया था या नहीं। इस बात को आप खुद ही गिन लें कि उनमें से कितने आये थे। मैं खुद तटस्थ नीति का हिमायती हूं, लेकिन मैं यह कहने के लिए कभी नहीं हिचकूंगा कि जब चीन का हिन्दुस्तान के ऊपर हमला हुआ, जब तक जंग चली, उस समय अगर हमारा कोई दोस्त निकला था, तो अमरीकी गुट के देश, और ज्यादातर अमरीका ही, हिन्दुस्तान का सच्चा दोस्त बन कर आया था, कोलम्बो पावर्ज़ या तथा-कथित तटस्थ देश नहीं आए थे। इस लिए यह कहना एक नकली तर्क है कि ये तटस्थतावादी देश हैं, ये हमारे गुट के लोग हैं और इसलिए ये हमारी भलाई चाहेंगे और ये कभी हमारी बुराई नहीं चाहेंगे।

अगर हम इस बात को मान लेते हैं, तो क्या नतीजा होगा ? अभी तो कांग्रेस की तरफ से लोग यह तर्क देंगे ही कि यह एक टेम्पोरेरी चीज़ है, यह एक टेम्पोरेरी फ़ेज़ है और यह ख़त्म हो जायगा

---

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

और अगर ख़त्म नहीं हुआ, तो हम जंग छेड़ देंगे, हम लड़ेंगे। लेकिन यह बात तो हमेशा होती रही है। जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो सरकार की ओर से कहा गया कि अगर हम तिब्बत में दखल देंगे, तो विश्व-युद्ध हो जायगा और इसलिये हम कैसे दखल दें। जब लद्दाख में रोड बनाई गई, तो यह कहा गया कि हम नेगोशिएशन्ज़ चलायेंगे और अगर नेगोशिएशन्ज़ नहीं चलायेंगे, तो युद्ध हो जायगा। जितनी बार चीन का हमला हुआ है, उतनी बार यह दलील दी गयी है, लेकिन अभी तक एक बार भी अपनी तरफ़ से लड़ाई करके अपनी ज़मीन को लौटाने के लिये कोशिश नहीं की गई है।

इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक बार हम इन कोलम्बो प्रोपोज़ल्ज़ को मान लेते हैं और समझौते की टेबल पर बैठ जाते हैं, तो फिर यह चीज़ भी ठप्प हो जायगी और जैसे काश्मीर में हुआ, जैसे चीन के बारे में पहले हो चुका है, वैसे ही जितनी जमीन चीन के पास रह जायेगी, वह उसी के पास रह जायगी और चीन जब चाहेगा, फिर हमला कर देगा। अभी तक तो यह हुआ है कि जब चीन चाहता है, तो हमला होता है, जब चीन चाहता है, तो जंग होती है और चब चीन चाहता है, तो शान्ति भी होती है---हमारे चाहने पर नहीं होती है।

अगर हम लोग अभी जंग नहीं करते हैं और इस तरह समझौते की टेबल पर बैठ जाते हैं, तो सारे देश का मनोविज्ञान परिवर्तित हो जायगा। सरकार इमर्जेन्सी एक्ट को जारी रखेगी, क्योंकि कांग्रेस दल को इससे फायदा होगा। उस के बहाने वह काफ़ी विरोध को भी दबा देगी, लेकिन देश में युद्ध का मनोविज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो जायगा, युद्ध के लिए प्रस्तुति ख़त्म हो जायगी और जो पुरानी फिज़ूलख़र्ची चल रही थी, वह फिर चलने लगेगी।

लोग पूछते हैं कि विकल्प क्या है। केवल एक ही विकल्प हो सकता है और वह है जंग करना। अगर सरकार जंग करने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए देश खड़ा हो गया था, जिसके लिए इस सदन ने शपथ ली थी, तो उसको अपना स्थान छोड़ देना चाहिए। यह कोई ठेकेदारी नहीं है कि वे लोग ही यह काम करेंगे। उनको कोई और कर सकते हैं। अगर उन में जंग चलाने के लिए मन, प्रस्तुति और दिमाग़ नहीं है, तो फिर उन को खुद ही ज़िम्मेदारी से हट जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : दिमाग भी नहीं है ?

श्री किशन पटनायक : जंग क्यों नहीं चलाई जा रही है और सरकार क्यों तैयार नहीं है युद्ध चलाने के लिए, उसके पीछे भी बड़ा भारी कारण है। वह कारण यह है कि अगर युद्ध चलाना पड़ेगा, अगर जंग करनी पड़ेगी, तो अभी देश में जिस किस्म का शासन चल रहा है, सरकार में जिस किस्म की गुटबन्दी, फ़ेवरिटिज्म और नेपाटिज्म वग़ैरह चल रही है, उस सब को बदलना पड़ेगा। * फ़िज़ूलख़र्ची * को ख़त्म करना पड़ेगा। यह सब ख़त्म करने के लिए सरकार प्रस्तुत नहीं है, कांग्रेस के लोग प्रस्तुत नहीं हैं। यह है सब से बड़ा कारण, जिससे सरकार युद्ध चलाना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर वह युद्ध चलायेगी, तो रिश्वतख़ोरी * को थोड़ा सा बन्द करना पड़ेगा। प्रधान मंत्री नेहरू साहब * ख़ाली अपने भवन में दरी बिछाने . . .

श्री भगवत झा आजाद : यह व्यक्तिगत आक्षेप है। मैं सदस्य के व्यवहार का तीव्र विरोध करता हूं। उसे यह शब्द वापिस लेने चाहिएं।

श्री मोहन स्वरूप (पीलीभीत) : उन की बात तो सुनिए।

---

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री भगवत झा आजाद : इस तरह का पर्सनल रिमार्क करना कि * * बिल्कुल ग़लत है (**अन्यबाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री मोहन स्वरूप : माननीय सदस्य इस के ठेकेदार नहीं हैं ।

श्री भगवत झा आजाद : वह भी ठेकेदार नहीं हैं (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर । जब इतने ठेकेदार हो गए, तो इस में मैं क्या कर सकता हूं ? क्या माननीय सदस्य अपने आप ही हाथ-पांव से फ़ैसला कर लेंगे ?

मेम्बर साहब से मैं ने पहले कहा कि कुछ हद होनी चाहिए, जहां तक नुक्ताचीनी भी हो सकती है । माननीय सदस्य ने * ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किये हैं । क्या यह दुरुस्त है ? उन का मतलब जो भी हो । वह हमेशा कहते रहते हैं—उन का यह बर्डन आफ़ मांग है—कि ख़र्च ज्यादा किया जाता है । वह बात को कहते चले जायें । *

श्री किशन पटनायक : *

श्री मोहन स्वरूप : * का मतलब बहुत बुरा नहीं हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : * का शब्द ठीक नहीं है ।

श्री किशन पटनायक : हम * कहते हैं ।

श्री पालीवाल (हिण्डौन) : ऐसा प्रतीत होता है कि शब्द का अर्थ समझे बिना ही शब्द का प्रयोग माननीय सदस्य कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को ज्यादा समझता हूं । वह सब कुछ जान बूझ कर कहते हैं । यह बात गलत है कि वह समझते नहीं हैं । यही तकलीफ माननीय सदस्य के साथ मेरी हमेशा रही है ।

श्री रा० शि० पांडेय : * इन दोनों शब्दों को रिकार्ड से हटा दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं हिन्दी का इतना पंडित नहीं हूं कि जानता होऊं कि * के क्या माने होंगे ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : दोनों के माने एक ही हैं ।

श्री बड़े : बहुत फर्क है ।

श्री रघुनाथ सिंह : यह संसदीय व्यवहार के योग्य नहीं है ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) : मेरे खयाल में फिजूलखर्ची का शब्द होना चाहिए । जहां तक इन दोनों शब्दों का सम्बन्ध है, ये ऐसे हैं कि इन को यहां पर संसद् में नहीं कहा जाना चाहिए ।

---

*अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप का मतलब यह है, जोकि आप पहले से कहते आ रहे हैं कि खर्चा ज्यादा करते हैं या कुछ और भी है ।

श्री किशन पटनायक : करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस की इजाज़त नहीं देता हूं । यह काट दिया जाता है अगर आप का कोई और मतलब है । इन दोनों शब्दों को काट दिया जायगा अगर इन का मतलब फिजूलखर्ची के बजाय और किसी जगह जा रहा है ।

श्री किशन पटनायक : यह मैं ने बजट के वक्त भी कहा था कि प्रधान मंत्री के वास भवन का कारपेट बदलने के लिए तीन लाख रुपये का खर्च हुआ है । जिस प्रधान मंत्री के कारपेट के लिए देश का तीन लाख रुपया खर्च हो सकता है, क्या उस प्रधान मंत्री का दिमाग कभी जंग करने के लिए या युद्ध करने के लिए तैयार हो सकता है । अगर युद्ध चलाने वाला हो तो यह सब खत्म करना होगा । प्रधान मंत्री अपना खर्चीलापन खत्म नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जंग चलाने के लिए तैयार नहीं हैं ।

श्री भागवत झा आज़ाद : अभी माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह असत्य है कि श्री राम सेवक यादव का एमेंडमेंट इस हाउस में गिर गया । लेकिन यह बात सच है क्योंकि यह एमेंडमेंट मेरे हाथ में है ।

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसा शब्द नहीं है ।

†**श्री ब्रजेश्वर प्रसाद** (गया) : चैम्बरलेन की नीति यह थी कि एक राज्य को शक्तिशाली आक्रमणकर्ता के साथ समझौता कर लेना चाहिए । और वही नीति आज अपनाई जा रही है । मैं चीन के साथ राजनैतिक समझौते के पक्ष में हूं ।

कुछ लोग चीन से खतरे की बातें करते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि इस परमाणु-युग में विस्तारवाद की कोई जगह नहीं है ।

मैं इस आधार पर चीन से राजनैतिक समझौते पर विश्वास करता हूं कि चीन अक्साई-चीन और लिग्ज़ी तांग पर अपने अधिकार छोड़ दे और यह स्वीकार कर ले कि यह भारत के अभिन्न अंग हैं । उस सड़क पर केवल असैनिक यातायात की सहूलियतें हमें चीन को देनी चाहिएं ।

काश्मीर के किसी भी भाग को दे कर हमें चीन से या किसी अन्य देश से समझौता नहीं करना चाहिए ।

चीनियों से हमारे संघर्ष में रूस और अमरीका हमारे साथ हैं, और वह तब तक हमारा साथ देंगे जब तक चीन हमारा शत्रु रहेगा ।

अक्साई-चीन सड़क को चीनियों के सुपुर्द कर के हम अपने देश की सुरक्षा को नष्ट कर देंगे । भारत की सुरक्षा का उत्तरदायित्व रूस और अमरीका का है । भारत ही एक ऐसा देश है जिसे रूस और अमरीका का, राजनैतिक तथा सैनिक क्षेत्रों में, समर्थन प्राप्त है । रूस और अमरीका भारत के साथ हैं ; इस में उन दोनों के स्वार्थ निहित हैं । रूस को, यदि वह भारत पर चीनी आक्रमण होने दे, तो, साईबेरिया से हटना पड़ेगा, और अमरीका का एशिया से प्रभाव समाप्त हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब्रजेश्वर प्रसाद]

अक्साई चीन क्षेत्र से परे तक चीन को नहीं ढकेलना चाहिए, क्योंकि उस से रूस के हस्तक्षेप करने की सम्भावना है। अक्साई चीन की रूस के लिए वही महत्ता है जैसी क्यूबा की अमरीका के लिए है। और यदि रूस हस्तक्षेप करेगा तो अमरीका भी पीछे नहीं रहेगा। उस परमाणु-युद्ध से संचार नष्ट हो जायगा। इस कारण मैं चाहता हूं कि अक्साई-चीन क्षेत्र में स्थिति को योंहि बरकरार रखा जाये।

अक्साई-चीन में योंहि स्थिति बनाये रखना इसलिए और भी आवश्यक है कि जब तक चीन की एकलित न किया जायगा तब तक वह निःशस्त्रीकरण के लिए राज़ी नहीं होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस प्रकार हमारे प्रधान मंत्री ने स्थिति को संभाला है उस के लिए वह बधाई के पात्र हैं।

भारत की तटस्थता की नीति का, चीन के आक्रमण के पश्चात्, मैं समर्थक हो गया हूं। इसी नीति के कारण आज रूस और अमरीका हमारे साथ हैं।

भारत पर आक्रमण से, चीन और अमरीका, दोनों की विदेश नीतियां असफल हो गई हैं। चीन के आक्रमण का लक्ष्य भारत को अमरीकी गुट में शामिल करना था। इस आक्रमण के उपरांत भारत ने अमरीकी गुट में शमूलैयत नहीं की, और चीन तथा रूस के आपसी सम्बन्ध और अधिक बिगड़ गये हैं।

†**श्री कैप्पन** (मुवातुपुजा) : इन कोलम्बो प्रस्तावों पर जो निर्णय यह सभा लेने जा रही है, वह न केवल देश के लिए एतिहासिक महत्ता रखते हैं, परन्तु सारे विश्व के लिए यह महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए हमें बहुत सावधानीपूर्वक उन पर विचार करना चाहिए।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह प्रस्ताव चीन और भारत में समझौते के लिए नहीं, बल्कि केवल बातचीत आरम्भ करवाने मात्र के लिए हैं। मेरे विचार में, इन प्रस्तावों द्वारा भारत को अपनी आरम्भिक मांग से भी अधिक भूमि मिल रही है।

कई सदस्य यह सुझाव देते हैं कि इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर के हमें युद्ध आरम्भ करना चाहिये। परन्तु चीन ने एकपक्षीय युद्ध-विराम की घोषणा इतने दिन पहले की थी और यदि हमें युद्ध ही करना था तो हम ने युद्ध बन्द ही क्यों किया था। परस्पर बातचीत से मेरे विचार में कोई हानि होने वाली नहीं है।

कुछ देशों को छोड़ कर सारे संसार का जनमत इस समय भारत की नीति की सराहना करता है। यदि हम इन प्रस्तावों को मान लेते हैं, और उस के पश्चात् चीन किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए सहमत नहीं होता, तो संसार का जनमत और भी हमारे पक्ष में हो जायगा। इस के विपरीत यदि हम इन प्रस्तावों को ही ठुकरा देते हैं, तो युद्ध के अतिरिक्त और कोई उपाय हमारे लिए नहीं रह जाता। यदि युद्ध छिड़ जाता है तो पश्चिमी राष्ट्र हमारी सहायता करेंगे। और उस दशा में रूस चीन का साथ अवश्य देगा। और उस युद्ध का क्षत्र होगा भारत। उस युद्ध से भारत क्या प्राप्त करेगा जिस से इस का अपना सर्वनाश हो जाय।

श्री फ्रैंक एंथनी ने कहा कोलम्बो शक्तियों का सम्मेलन ही इसलिए हुआ था क्योंकि वह चीन से भयभीत थे, अतः यह प्रस्ताव भी उस भय की उपज हैं। परन्तु, यदि हम इस बात को

---

†मूल अंग्रेजी में

मान भी लें, तो भी बातचीत करने से हमें लाभ ही होगा। इस काल में, जब तक बातचीत हो, हम अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाते रहेंगे। सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भी हमें समय की आवश्यकता है। इस समय हम केवल विदेशी सहायता से ही युद्ध कर सकते हैं, परन्तु समय मिल जाने पर हम स्वयं आत्मनिर्भर हो जायेंगे।

मेरा विचार है कि यदि बातचीत आरम्भ की जाय तो चीन सीधे मार्ग पर अवश्य ही आ जायेगा। चीन के एकपक्षीय युद्ध विराम से भी यही विदित है कि राजनैतिक तथा कूटनीति की दृष्टियों से चीन की असफलता हुई है।

युद्ध विराम कर के आज चीन विश्व को बता रहा है कि वह शांति चाहता है, परन्तु भारत युद्ध चाहता है। यदि हम बातचीत करने के लिए तैयार हो जायें तो चीन हम पर यह लांछन नहीं लगा सकेगा। शांतिपूर्वक ढंग से मामलों को सुलझाया जा सकता है।

जो लोग युद्ध की बातें करते हैं, वह शायद समझते नहीं कि युद्ध का अर्थ नाश होता है। मैं नहीं चाहता कि इस देश द्वारा जो विकास पिछले १५ वर्षों में किया गया है, उसे नाश के मुंह में ढकेल दिया जाय। मैं सभा से निवेदन करूंगा कि हमें हर प्रकार से इस मामले को शांति-पूर्वक ढंग से सुलझाना चाहिए। इसी में देश तथा विश्व की भलाई निहित है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये पवित्र विचारों का समर्थन करता हूं।

मैं कोलम्बो प्रस्तावों के लिए कोलम्बो शक्तियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रयास से उन का लक्ष्य तटस्थता की नीति को नष्ट होने से बचाना है। इन प्रयासों द्वारा वह देश अपनी स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का संरक्षण चाहते हैं। इन देशों ने चीन के आक्रमण तथा वस्तारवाद को अच्छी तरह समझा तथा उस का अनुभव किया है।

हमारे समक्ष प्रश्न इन प्रस्तावों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का नहीं, वरन् यह है कि हमें इस स्थिति में क्या करना चाहिए।

प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि इन प्रस्तावों से हमारी ८ सितम्बर वाली स्थिति काफ़ी हद तक बहाल हो जायगी। पश्चिम खण्ड में कुछ चौकियां हमारे पास नहीं रहेंगी, परन्तु जब हम बातचीत करने बैठेंगे तो उन के बारे में भी हम आग्रह कर सकते हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार भर में चीन की आलोचना हो रही है। साम्यवादी देश भी चीन की आक्रमणकारी तथा विस्तारवादी नीतियों का समर्थन नहीं करते, यहां तक कि रूस भी उस की आलोचना करता है। यह तथ्य भारत की विदेश नीति की सफलता का द्योतक है। इस तटस्थता की नीति के लिए मैं प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं। चीनी आक्रमण से यह सिद्ध हो गया है कि तटस्थता की नीति से देशों की स्वतंत्रता सुरक्षित है।

यदि हम इन कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करते, तो एफ्रो-एशियन देशों की दृष्टि में हमारा पहले जैसा सम्मान नहीं रहेगा। चीन यदि उन को नहीं मानता तो उस की आलोचना अवश्य होगी। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि चीन ने तो केवल सिद्धान्त रूप में ही इन प्रस्तावों को मान्यता दी है।

चीन की विस्तारवादी नीति मार्क्सिज्म से मेल नहीं खाती। इसेलिए हमें चीन की परवाह नहीं करनी चाहिए।

[श्री स० मो० बनर्जी]

मैं समझता हुं कि कोलम्बो प्रस्तावों को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रधान मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं अपने स्थानापन्न प्रस्ताव पर आग्रह नहीं करता।

हम में आत्म तुष्टि की भावना नहीं आनी चाहिए। आज देश में एकता की भावना पाई जाती है। चर्चाओं का कुछ भी फल निकले, हमें देश को आक्रमण का सामना करने के लिए हर प्रकार से तैयार करते रहना चाहिए।

काश्मीर के सम्बन्ध में भी बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि इस में सफलता प्राप्त हो, परन्तु पश्चिमी देशों से जो सहायता हम ले रहे हैं उस सहायता का प्रभाव काश्मीर के मामले पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी एक इंच भूमि भी, चाहे वह लद्दाख में हो, नेफा हो या काश्मीर में हो, नहीं देनी है। सैन्य सहायता का प्रभाव किसी तरह भी हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए।

रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए और इस लक्ष्य को सम्मुख रख कर हमें हथियारों के कारखानों में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। देश के श्रमिकों ने जिस प्रकार बलिदान की भावना का प्रदर्शन किया है, वह सराहनीय है।

चीनी आक्रमण को समाप्त करने की अपनी प्रतिज्ञा पर हम दृढ़ हैं, परन्तु बातचीत करने के लिए हमें हर समय तैयार होना चाहिए। बातचीत करने से इनकार करना राजनीति तथा कूटनीति के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

विरोधी पक्ष वाले कुछ लोग यह चाहते हैं कि हम अमरीकी गुट के हाथों में खेलें और युद्ध आरम्भ करें। वह उनके हाथों में खेल कर काश्मीर के मामले में देश के अग्रेतर बटवारे के लिए भी तैयार हैं। परन्तु मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह उन की बातों में मत आयें। सारा देश आज प्रधान मंत्री के साथ है। मैं श्रमिक वर्ग की ओर से, जिस का कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं, प्रधान मंत्री जी को पूरे समर्थन का आश्वासन देता हूं। यह वर्ग देश की अखण्डता को स्थिर रखने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद भी बहा देंगा।

परन्तु हमें बातचीत करनी चाहिए, और इस प्रकार विश्व जनमत को अपने साथ रख कर चीनियों को युद्ध में ही नहीं, बल्कि राजनीति तथा कूटनीति में भी पिछाड़ना चाहिए।

इस के पश्चात् लोक-सभा गुरुवार, २४ जनवरी, १९६३, माघ, ४, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

बुधवार, २३ जनवरी, १९६३
३, माघ १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--		२५१–२७१
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३०	सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु	२५१–५३
४३१	मद्य निषेध	२५३–५५
४३२	मिट्टी के तेल की उचित मूल्य वाली दुकानें	२५५–५६
४३५	आपात काल के कारण शिक्षा प्रणाली की पुनर्व्यवस्था	२५७–५९
४३६	माध्यमिक स्कूलों में राष्ट्रीय अनुशासन योजना	२५९–६०
४३७	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग	२६१–६३
४३८	सरकारी क्षेत्र में चौथा तेल शोधक कारखाना	२६३–६४
४३९	सिवसागर परियोजना में रूसी विशेषज्ञ	२६४–६५
४४०	भारत का प्रतिरक्षा अधिनियम	२६५–७०
४४१	भारत के लिये रूसी तेल उत्पाद	२७०–७१
४४३	अखिल भारतीय शिक्षा सेवा	२७१
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१८	बंगाल और उड़ीसा राज्यों के नाम पर सेना गठित करना	२७२–७३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--		२७३–३०६
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३३	दिल्ली में भाषाई अल्पसंख्यकों के विद्यार्थियों की शिक्षा	२७३–७४
४३४	खेत्री तांबा परियोजना	२७४
४४४	सिंगरेनी कोयला खानें	२७४
४४५	पृथक्करण की प्रवृत्तियों को रोकना	२६५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४४६ 'बर्मा शैल' 'एस्सो' तथा 'कालटैक्स' की स्थापित क्षमता में वृद्धि करना . . २७५
४४६-क आकाशवाणी में चीनी कर्मचारी . . . २७६
४४७ कोयली तेल शोधक कारखाना (गुजरात) . . २७६
४४८ दिल्ली में अपराध . . . २७६–७७
४४९ कथित जासूस की गिरफ्तारी . . २७७
४५० कोयले का उत्पादन २७७
४५१ इंडिया आफिस लाइब्रेरी २७८
४५२ कोयला उद्योग को विश्व बैंक का ऋण . . २७८
४५३ केन्द्रीय जांच ब्यूरो २७८–७९
४५४ प्रविधिक तथा अप्रविधिक कर्मचारियों की भरती . २७९–८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९९४ भारत की प्रतिरक्षा नियमों के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति . २८०
९९५ नागरिक सुरक्षा २८०–८१
९९६ नाटकों के प्रदर्शन के लिये अनुदान . . . २८१
९९७ दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की अध्यापिकायें २८१–८२
९९८ गुजरात में गैस क्षेत्र २८२
९९९ गोहाटी विश्वविद्यालय . . . २८२
१००० सरकारी कर्मचारियों के संघ . . . २८२–१३
१००१ नारियल जटा उद्योग . . २८३
१००२ बरौनी और गोहाटी के तेलशोधक कारखानें . २८३–८४
१००३ बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना . . . २८४
१००४ खनन एवं इंधन नीति २८४–८५
१००५ दिल्ली के स्कूलों में पंजाबी का पढ़ाया जाना . २८५–८६
१००६ किरीबुरु लौह अयस्क परियोजना . . २८६
१००७ नई कीयले को खानें . . . २८७

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी	
१००८	चीनी जासूसों की गिरफ्तारी .	२८७
१००९	विदेशियों की गिरफ्तारी	२८८
१०१०	दिल्ली में मिट्टी के तेल पर मुनाफाखोरी करने वालों की गिरफ्तारी . .	२८९
१०११	आदिम जातियों के लोगों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा	२८९
१०१२	बिहार में क्यानाइट की खानें . . .	२८९—९०
१०१३	सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु . .	२९०
१०१४	चीनी राष्ट्रजन .	२९०—९१
१०१५	पवन शक्ति	२९१
१०१६	भारत सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारी . . .	१९१
१०१७	कांचीपुरम् तालुक, मद्रास राज्य में कोयले के निक्षेप .	२९२
१०१८	अच्छी किस्म का कोयला .	२९२
१०१९	पेकिंग के प्रसारण	२९२—९३
१०२०	सेना में भर्ती होने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा सुविधायें .	२९३
१०२१	भारत में तेल शोधक कारखाने . .	१९३
१०२२	सिंगरेनी कोयला खानों के लिए विद्युत् जननयंत्र . .	२९३—९४
१०२३	सिंगरेनी कोयला खान के लिए स्वीकृत धनराशि . .	२९४
१०२४	अन्तर्राष्ट्रीय सूर्य वर्ष	२९४
१०२५	केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था जलिगोड़ा . .	२९५
१०२६	रूसी वैज्ञानिकों का दौरा	२९५
१०२७	प्रतिषिद्ध चीनी साहित्य का परिचालन . .	२९६
१०२८	विज्ञान की शिक्षा में सुधार के लिए यूनेस्को द्वारा सहायता	२९६
१०२९	आपात के दौरान शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं के लिए व्यवस्था . . .	२९७
१०३०	दिल्ली में व्यक्तियों का बन्दीकरण . .	२९७
१०३१	संकट काल और शिक्षा . . .	२९७—९८
१०३२	नूनमती का तेल शोधक कारखाना . .	२९८
१०३३	कोयला वितरण . . .	२९८
१०३४	तेल में आत्म निर्भरता . .	२९९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी		
१०३५	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया भवन	२९९–३००
१०३६	अंकलेश्वर में तेल . .	३००
१०३७	आंध्रप्रदेश के बंगमपल्ले क्षेत्र में हीरे .	३००
१०३८	इंजीनियर तथा टेक्निशियन . . .	३००–३०१
१०३९	विश्वविद्यालयों में विशिष्ट वैज्ञानिक केन्द्र	३०१
१०४०	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड . .	३०१
१०४१	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग .	३०२
१०४२	नागा विद्रोही . .	३०२
१०४३	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पाये गए शव . . .	३०२–०३
१०४४	गुजरात के तेल क्षेत्रों में गैस तथा पाइप लाइन .	३०३
१०४५	सैनिकों के बच्चों के लिये शिक्षा सुविधायें . .	३०३
१०४६	जम्मू तथा काश्मीर के पुलिस के भूतपूर्व इन्स्पैक्टर जनरल	३०४
१०४७	ग्रामीण विश्वविद्यालय तथा संस्थायें .	३०४–०५
१०४८	दिल्ली में भूमि का अर्जन . . .	३०५
१०४९	दिल्ली फायर सर्विस	३०५–०६
१०५०	प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले समाचारों का प्रकाशन . . .	३०६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .		३०६–०७
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने तस्कर परियोजना में कथित अनियमितताओं की ओर प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया।		
प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवंतराव चह्वाण) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		३०७–०९
(१) श्वेत पत्र संख्या ८ की एक प्रति जिसमें अक्तूबर, १९६२ और जनवरी, १९६३ के बीच भारत और चीन की सरकारों द्वारा एक-दूसरे को भेजे गये टिप्पण, ज्ञापन और पत्र दिये हुए हैं।		
(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—		
(एक) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की		

विषय पृष्ठ

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७०६ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये नीवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नीवेली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड, रांची का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) जांच आयोग (डालमिया-जैन कम्पनियों के प्रशासन की जांच) की रिपोर्ट की एक प्रति ।

(४) संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (३) के परन्तुक के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ८ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६४४ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्ति) द्वितीय संशोधन नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८९ में प्रकाशित संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से विमुक्ति) तीसरा संशोधन विनियम, १९६२ ।

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७२९ में प्रकाशित भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ ।

(दो) दिनांक २२ दिसम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १७३० में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) संशोधन नियम, १९६२ ।

(६) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित रिपोर्टों की एक-एक प्रति :—

(एक) ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये माज़गांव गोदी लिमिटेड, बम्बई का वार्षिक प्रितिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

विषय **पृष्ठ**

(दो) ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड, कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(७) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १५ दिसम्बर, १९६२ को अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १७०७ में प्रकाशित खनिज रियायत (पांचवां संशोधन) नियम, १९६२ ।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . ३१०

छटा और सातवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

राज्य सभा से संदेश ३१०

(१) कि राज्य सभा ने अपनी २१ जनवरी, १९६३ की बैठक में विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है ।

(२) कि राज्य सभा ने अपनी २१ जनवरी, १९६३ की बैठक में परिसीमन विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है ।

(३) कि राज्य सभा ने अपनी २२ जनवरी, १९६३ की बैठक में दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३ को पास कर दिया है ।

विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये . ३१०

(१) विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, १९६३

(२) श्री परिसीमन विधेयक, १९६३

(३) दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, १९६३

कोलम्बो प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव . . . ३११-५२

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने १० और १२ दिसम्बर, १९६२ के बीच कोलम्बो में हुए छै तटस्थ राष्ट्रों के सम्मेलन के प्रस्तावों पर, १२ और १३ जनवरी, १९६३ को भारत के प्रधान मंत्री और उनके सहयोगियों के साथ हुई बैठकों में श्रीलंका, संयुक्त अरब गणराज्य और घाना के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरणों सहित, जो २१ जनवरी, १९६३ को सभा पटल पर रखे गये थे, के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । श्री राम सेवक यादव द्वारा एक स्थानापन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गुरुवार, २४ जनवरी, १९६२ / ४ माघ, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

कोलम्बो प्रस्थापनाओं के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

GMGIPND—LSIII—2575 (Ai) LSD—16-2-63—140.

श्री याज्ञिक ३३६–३७
श्री बालकृष्ण वासनिक . . ३३७
श्री फ्रैंक एंथनी . . . ३३७–३८
श्री दी० चं० शर्मा . ३३९
श्री खाडिलकर . . ३३९
श्री रा० शि० पांडे . . ३३९—४२
श्री भागवत झा आज़ाद . . . ३४२—४४
श्री किशन पटनायक . . ३४४—४९
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद . . ३४९–५०
श्री केप्पन . . ३५०–५१
श्री स० मो० बनर्जी ३५१–५२
दैनिक संक्षेपिका . . . . ३५३—५८

P.L.S. 41. XII. 29. 63.
140

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।